खण्ड १ — अंक ३
२१ फरवरी, १९५६, (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

(खण्ड १—अंक १ से २०—१७ फरवरी से १५ मार्च, १९५६ तक)

अंक १—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४१ से ४६, ४८ से ५३, ५५ से ६० — १–२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ — २१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से २८, ३० से ४०, ४७, ६१ से ७२ — २३–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २९ — ४०–४८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४९–५२

अंक २—सोमवार, २० फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७६, ७८, ७९, १०१, ८०, ८२ से ८५, ८७ से ९१ ... — ५३–७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७७, ८६, ९२ से १००, १०२ से १०७ — ७४–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३० से ४८ — ७९–८४

दैनिक संक्षेपिका — ८५–८६

अंक ३—मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८, ११०, १११, ११३, ११५, ११६, ११८, १२१ से १२६ और १२८ से १३१ — ८७–११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०९, ११२, ११४, ११७, ११९, १२०, १२७, १३२ से १३४, १३६ से १४० और १४२ से १४९ — ११०–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५५, ५७ से ६४ — ११७–२२

दैनिक संक्षेपिका — १२३–२४

पृष्ठ

अंक ४--बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १५३, १५५, १५६, १६२ से १६८, १७१ से १७४, १७६, १७७, १७९ से १८२, १५४ और १६० १२५–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५७ से १५९, १६१, १६९, १७० और १७८ ... ... १४७–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ८१ १४९–५५

दैनिक संक्षेपिका १५६–५७

अंक ५--गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १९५, १९७, २०७ से २१० और १८३ ... ... १५८–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०१ ... १७९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से ९४ ... १८०–८४

दैनिक संक्षेपिका ... १८५–८६

अंक ६--शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१८ से २३०, २३४ से २३८ ... ... १८७–२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २१७, २३१ से २३३, २३९ से २४५ ... ... २०९–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०८ २१२–१६

दैनिक संक्षेपिका २१७–१८

अंक ७--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८५ से २९६, २९८ से ३०१, ३०४, ३०६, ३१२, ३०८ से ३११ ... ... २१९–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २८४, २९७, ३०२, ३०३, ३१३ से ३१५, ३१७, ३१८, ८१ २४०–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या. १०८ से १६७ २५३–७६

दैनिक संक्षेपिका २७७–८०

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ से ३२२, ३२४ से ३२७, ३२९, ३३०, ३३२, ३३४, ३३६ से ३३९, ३४३ से ३४७, ३४९ २८१–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ४२८, ३३१, ३३३, ३३५, ३४० से ३४२, ३४८, ३५० से ३६९ ... ३०३–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९ सें १८६ ३१२–१७

दैनिक संक्षेपिका ३१८–१९

अंक ९—गुरुवार, १ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७८, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३९२ ३२०–४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३७९, ३८०, ३८३, ३८५, ३९३ से ३९९ ३४२–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ से २०७ ३४६–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५५

अंक १०—शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४०३, ४०५, ४०६, ४०८, ४०९, ४११, ४१२, ४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२८ ... ३५६–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०४, ४०७, ४१०, ४१३, ४१६, ४१८, ४२०, ४२५, ४२६ ... ३७७–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८ से २२९ ३७९–८४

दैनिक संक्षेपिका ३८५–८६

पृष्ठ

अंक ११—शनिवार, ३ मार्च, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ ३८७–८९

दैनिक संक्षेपिका ३९०

अंक १२—सोमवार, ५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ से ४३७, ४३९, ४४०, ४४२ से ४४४, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५२ से ४५४, ४६१, ४६३ से ४६५, ४६७ ... ३९१–४१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ से ४३२, ४३८, ४४१, ४४५, ४४७, ४५५ से ४५९, ४६२, ४६६ और ४६८ से ४७२ ४१२–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २३० से २५३ ४१८–२४

दैनिक संक्षेपिका ४२५–२७

अंक १३—मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४, ४७६ से ४८१, ४८३, ४८५, ४८८ से ४९०, ४९२ से ४९४, ४९६, ४९८, ४९९, ५०२, ५०५, ५०७ और ५०८ ४२८–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३, ४७५, ४८२, ४८४, ४८६, ४८७, ४९१, ४९५, ४९७, ५००, ५०१, ५०३, ५०४, ५०६, ५०९ से ५३० ... ... ४५०–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ से २९९ ४६०–७८

दैनिक संक्षेपिका ४७९–८१

अंक १४—बुधवार, ७ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३५, ५३६, ५३९, ५४०, ५४२, ५४४, ५४६, ५४७, ५५२ से ५५४, ५५६, ५५८, ५६०, ५२१, ५३७, ५३८... ... ४८२–५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ५३२, ५३४, ५४१, ५४५, ५४८, ५४९, ५५१, ५५५ ५०१–०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० से ३१९ ५०३–१०

दैनिक संक्षेपिका ... ५११–१२

अंक १५—गुरुवार, ८ मार्च, १९५६

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पदत्याग ५१३

अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ५१३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७२, ५७३, ५७५, ५७६, ५८२, ५८५, ५८७, ५७० और ५८४ ५१३–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२, ५६६, ५६९, ५७४, ५७७ से ५८१, ५८३, ५८६ और ५८८ ५२९–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२० से ३२५ ५३३–३४

दैनिक संक्षेपिका ५३५–३६

अंक १६—शुक्रवार, ९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९० से ५९४, ५९९ से ६०१, ६०४ से ६०६, ६०८ से ६१०, ६१३ से ६१६, ५८९, ६०२, ६०३ और ६०७ ५३७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ५९८, ६११, ६१२ और ६१७ ५५८–५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३४६ ५५९–६५

दैनिक संक्षेपिका ५६६–६७

अंक १७—सोमवार, १२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२३, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८ से ६४५, ५५९, ६२१ ५६८–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२२, ६२५, ६२७, ६३१, ६३३, ६३७ ... ... ५८९–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३६२ ५९१–९७

दैनिक संक्षेपिका ५९८–९९

पृष्ठ

अंक १८—मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४९, ६५०, ६५३, ६५२, ६५५, ६५६, ६५८, ६६०, ६६१, ६६३ से ६६५, ६६७ से ६७४ और ६७६ से ६७९ ६००–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४८, ६५१, ६५४, ६५७, ६५९, ६६२, ६६६, ६७५ और ६८० ६२१–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३७९ ६२३–२८

दैनिक संक्षेपिका ६२९–३०

अंक १९—बुधवार, १४ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८४ से ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ६९८ से ७०३, ७०७ से ७०९, ६८३, ६८८, ६८१, ६९५ ... ... ६३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९४, ६९६, ६९७, ७०४ से ७०६ और ७१० ... ... ६५२–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ४०८ ... ६५५–६४

दैनिक संक्षेपिका ६६५–६६

अंक २०—गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७११ से ७१४, ७१६ से ७२०, ७२२, ७२३, ७२५ से ७२९, ७३१, ७३४, ७३२, ७१५, ७२१ और ७२४ ... ... ६६७–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ ... ६८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४१८ ६८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ... ६९१

M20LSD—190—7-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रूरकला इस्पात कारखाना

†*१०८. **श्री बंसल** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में समस्त संसार के लिये टैंडर जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) समस्त संसार से प्राप्त होने वाले टैंडरों के आधार पर प्राप्त किये जाने वाले कुल उपकरणों की कितनी प्रतिशतता इन टैंडरों के अन्तर्गत आती है?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) जी हां; इस्पात कारखाने के कुछ विभागों के लिये ।

(ख) सभी सम्बन्धित टैंडर-पत्रादि अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह तक विक्रय के लिये उपलब्ध थे ।

(ग) प्राप्त किये जाने वाले कुल उपकरणों के मूल्य के लगभग २५ प्रतिशत के लिये ही ये टैंडर हैं ।

†**श्री बंसल** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या क्रुप और डेमाग फर्म द्वारा भी टेंडर भेजा गया है?

---

†मूल अँग्रेज़ी में

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इन टैंडरों की इस समय पड़ताल की जा रही है और यह बताने की स्थिति में मैं नहीं हूँ कि इस समय किन-किन व्यक्तियों ने टैंडर भेजे हैं।

†**श्री बंसल** : क्या माननीय मंत्री को देश में फली इस आशय की अफवाह की जानकारी है कि शायद क्रुप और डेमाग फर्म ने टैंडर नहीं भेजा है?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो वही प्रश्न दूसरे रूप में है। वह एक निश्चयात्मक उत्तर चाहते थे; अब वह यह पूछते हैं कि क्या माननीय मंत्री इनकार करने की स्थिति में हैं।

†**श्री बंसल** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या किसी भारतीय सार्थ ने भी टैंडर भेजे हैं?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। वे सभी सीलबंद टैंडर हैं, और मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य भी, भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिषद् से सम्बन्धित होने के नाते, इसे जानते हैं।

†**श्री बंसल** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या ये टैंडर मूल समझौते में निर्धारित समय पर जारी किये गये अथवा इसमें कुछ विलंब हुआ है? यदि कुछ विलंब हुआ है तो उसका क्या कारण है?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मूल समझौते में टैंडर जारी किये जाने की कोई निश्चित तिथियां निर्धारित थीं। यह मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता हूँ; मुझे इस सम्बन्ध में देखभाल करनी होगी। जहां तक विलंब का सम्बन्ध है, यथा संभव विलंब न होने दिया जायेगा।

†**डा० रामा राव** : अभी हाल में अखबारों में यह प्रकाशित हुआ है कि इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में ब्रिटिश, रूसी और जर्मन इस्पात विशेषज्ञों का समन्वय करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। यदि जर्मनी का अभी टेंडर स्वीकार नहीं किया गया है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि जर्मन विशेषज्ञ किस प्रकार इस में भाग ले सकते हैं और उस समन्वय सम्बन्धी क्या योजनायें हैं?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : अखबारों में प्रकाशित समाचारों के लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूँ।

†**श्री बंसल** : चूंकि ये टैंडर काफी देर से जारी किये गये हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या परियोजना के पूर्ण किय जाने में कोई विलंब होगा, और यदि हो, तो इस्पात का उत्पादन कब से प्रारंभ हो जायेगा?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : विलंब का प्रश्न विशुद्धतः सापेक्ष है। किन्तु हम आशा करते हैं कि १९५८ के अंत तक उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

प्रशिक्षण की सुविधायें

†***११०. श्री झूलन सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंदरी फर्टीलाईज़र्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड द्वारा सम्भोदित प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण सुविधायें देने सम्बन्धी योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ख) उस योजना की कार्यान्विति के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०**]

---

†मूल अँग्रेज़ी में

†**श्री झूलन सिंह** : क्या मैं जान सकता हूँ कि योजना के अन्तर्गत फैक्टरी में प्रशिक्षण के लिये अधिक से अधिक कितने व्यक्ति लिये जा सकते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रशिक्षार्थियों की संख्या है सौ स्नातक शिक्षार्थी तथा ९० व्यवसाय शिक्षार्थी ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों को जो अभी फैक्टरी में सेवायुक्त नहीं किये गये हैं, किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता देने जा रही है?

†**श्री सतीशचन्द्र** : सिंदरी में साधारणतः उन सभी व्यक्तियों को सेवायुक्त करने का प्रयत्न किया जाता है जिनके लिये रिक्त स्थान होते हैं । किन्तु नौकरी की कोई प्रत्याभूति नहीं है ।

प्रदर्शनियां

†*१११. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग मेले के क्षेत्र को एक स्थायी प्रदर्शनी में परिवर्तित कर देने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय उद्योग की विशिष्ट शाखाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं को निर्धारित अवधि के लिये प्रदर्शित करने और इस प्रकार प्रदर्शनी को साल भर जारी रखने का भी एक प्रस्ताव है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जी हां; विषय विचाराधीन है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रदर्शनी के मौजदा स्थान और वहां बने हुए भवनों आदि के बारे में सरकार क्या कर रही है ।

†**श्री करमरकर** : भवनों आदि से तीन को रखने की प्रस्थापना है; वे स्थायी प्रकार के हैं । किन्तु जैसा कि मैं ने बताया इस विषय पर हमारे मंत्रालय और निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के बीच चर्चा की जा रही है।

†**श्री राधा रमण** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार निकट भविष्य में किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा उक्त स्थान पर किसी प्रदर्शनी के आयोजन के बारे में विचार कर रही है, और यदि हां, तो प्रदर्शनी के कब तक आयोजित किये जाने की हम आशा कर सकते हैं ?

†**श्री करमरकर** : उसे एक तौर से एक स्थायी प्रदर्शनी बनाने का इरादा है । किन्तु जैसा कि मैंने कहा यह विषय —कि क्या गैर-सरकारी दलों द्वारा कोई प्रदर्शनी आयोजित की जाए अथवा केवल सरकार द्वारा ही किसी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाये—और अन्य बातें विचाराधीन हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या उन विदेशों के जिन के उक्त मेले में प्रदर्शनकक्ष थे, निबन्धन सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं, और यदि हां, तो वे प्रमुख निबन्ध कौन से हैं जिनके अनुसार सरकार स्थायी भवनों को ले रही है?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : मुझे दुख है कि मैं माननीय महिला सदस्या के प्रश्न के आशय को ठीक तरह से समझ नहीं सका हूँ । यदि वह कुछ विवरण दें तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मैं अपने प्रश्न को और स्पष्ट कर सकती हूँ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं ।

†**श्री करमरकर** : मेरे माननीय सहयोगी ने जो कुछ कहा है उसे अनुपूरित करने के लिये, मैं माननीय महिला सदस्या को यह और बता दूं कि हमें अमरीका और चीन के जो दो भवन प्राप्त हुये हैं उन को वैसे ही बनाये रखा जायेगा । इससे माननीय सदस्या का समाधान हुआ है या नहीं यह मैं नहीं जानता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री भागवत झा आज़ाद—अनुपस्थित । श्रीमती इला पालचौधरी—अनुपस्थित । अगला प्रश्न

संश्लेषित तैल कारखाना

†***११३ . श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री, क्रमश: ७ और २० दिसम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२५ और १०२१ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब अमरीकी सार्थ ने एक संश्लेषित तैल कारखाने की स्थापना सम्बन्धी परियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सभी प्रतिवेदनों की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच कर ली गई है; और

(ग) अब तक क्या निर्णय किये गये हैं?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां ।

(ख) प्रतिवेदन अब भी विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन हैं ।

(ग) अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : अमरीकी फर्म से प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रतिवेदन दिसम्बर १९५५ में प्राप्त हुआ था ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद विशेषज्ञ समिति की कोई बैठक हुई थी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : बैठकों की तिथियां मैं नहीं बता सकता हूँ । दिसम्बर के अन्त में उक्त फर्म से जो पत्र आदि प्राप्त हुये थे वे समिति को जांच के लिये भेज दिये गये हैं और मेरा ख्याल है कि वह उन पर विचार कर रही हैं ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या दोनों परियोजना प्रतिवेदनों की जांच समाप्त कर ली गई है अथवा क्या इन तीनों प्रतिवेदनों की एक साथ ही जांच की जा रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इन प्रतिवेदनों की जांच विशेज्ञ समिति द्वारा की जा रही है । पहले दो प्रतिवेदनों की जांच की गई थी किन्तु अगली पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण, वृहत्तर योजना के क्रियान्वय की कोई संभावना नहीं है । सम्भव है पूरी योजना को फिर से बनाना पड़े जिस से कि उसे किसी विशिष्ट सीमा में लाया जा सके । जिन फर्मों ने इन रिपोर्टों को प्रस्तुत किया है उनके साथ इस सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रतिकर के दावे

†*११५. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह दिल्ली में निष्क्रांत सम्पत्ति खरीदने वालों को कई करोड़ रुपयों के मूल्य के जाली प्रतिकर दावे बेच रहा था;

(ख) क्या उक्त गिरोह के पास प्रतिकर के मुद्रित प्रपत्र थे और क्या उसने दावे सत्यापन करने वाले अफसरों की जाली मुहरें बना ली थीं;

(ग) क्या ऐसे जाली दावे रखने वालों को कोई सम्पत्तियां बेची गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो बेची गई सम्पत्तियों का मूल्य क्या है?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) कुछ व्यक्तियों द्वारा जाली दावा आदेशों को काम में लाने का प्रयास करने के कुछ मामले हमारे ध्यान में आये हैं। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है ।

(ख) जी, हां । अफसरों के हस्ताक्षरों के सम्बन्ध में जालसाज़ी की गई थी ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री गिडवानी** : मुझे ज्ञात हुआ है कि मामला अभी भी विचाराधीन है । क्या यह सही है?

†**श्री जे० के० भोंसले** : जी, हां ।

†**श्री गिडवानी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे कोई अफसर भी इस मामले में लिप्त हैं?

श्री जे० के० भोंसले : इस सम्बन्ध में इस समय कुछ भी कहना समयोचित नहीं होगा । अभी हमारा संदेह कार्यालय के एक-दो लिपिकों पर है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में, किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है?

श्री जे० के० भोंसले : अभी तक नहीं । मामले की पुलिस द्वारा और विभागीय जांच की जा रही है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि जालसाज़ी किये गये कितने दावों का अब तक पता लगा है?

श्री जे० के० भोंसले : वास्तव में जो कुछ हुआ है वह यह है कि निर्धारण आदेशों में जालसाज़ी की गई है किन्तु जहां तक दावों का सम्बन्ध है किसी जाली दावे की जानकारी हमें नहीं है ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त विभाग के उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने कि कुछ समय पूर्व दावों के सम्बन्ध में भेजे गये आवेदन पत्रों के साथ लगाये गये पोस्टल आर्डरों को निकाल कर उन्हें भुना लिया था, क्या कार्यवाही की गई है? यदि माननीय मंत्री को इस की जानकारी न हो, तो क्या वह जानकारी प्राप्त करके स्थिति को स्पष्ट करेंगे ?

श्री जे० के० भोंसले : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती है, तथापि मैं इस सम्बन्ध में अवश्य पूछताछ करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जर्मनी में प्रदर्शनी

*११६. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मनी में २८ फरवरी, १९५६ में होने वाली प्रदर्शनी में भारत से ग्रामोद्योग की वस्तुएं प्रदर्शन के लिये भेजी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी मुख्य वस्तुओं में दूसरे देशों की दिलचस्पी होने की संभावना है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) भारतीय गृह उद्योगों का सामान प्रदर्शनी में भेजा गया है ।

(ख) बिदरी की चीजें, हाथीदाँत तथा सींग की वस्तुएं, बनारसी कपड़ा, चमड़े की वस्तुएं, चटाइयां, लकड़ी पर नक्काशी का काम, पीतल तथा तांबे के कलापूर्ण बर्तन, खिलौने तथा गुड़ियां, कागज़ की लुब्दी से बनी चीज़ें, चांदी के महीन तारों से बनी वस्तुएं, वस्त्र आदि ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आप सभी प्रदर्शित वस्तुओं की सूची पढेंगे तो.....

†**श्री आर० जी० दुबे** : प्रश्न तो यही है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो उसे तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार करना गलत है ।

श्री आर० एस० तिवारी : ग्रामोद्योग की वस्तुओं में क्या सोने, चांदी की बनी हुई चीज़ें भी भेजी गई हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : सोने, चांदी की चीज़ें तो प्रदर्शनी में नहीं भेजी गई हैं लेकिन वहां पर भेजी जाने वाली चीज़ों में चांदी के महीन तारों का इस्तेमाल अवश्य किया गया है ।

श्री आर० एस० तिवारी : लकड़ी पर नक्काशी का काम बनी हुई चीज़ें भी क्या वहां पर भेजी गई हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां, भेजी गई हैं ।

सेठ अचल सिंह : उस प्रदर्शनी में क्या ताजा मोडल ज़रदोज़ी एम्ब्रायडरी का काम भी भेजा गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने सभी बस्तुओं की सूची पढ़ कर सुना दी है । यदि यह उसमें हैं तो है अन्यथा नहीं ।

†**सेठ अचल सिंह** : उस उद्योग का उस में कोई उल्लेख नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : इन भेजी गई चीज़ों के बारे में वहां के लोगों का क्या रुख है ?

श्री आर० जी० दुबे : गये साल जब यहां पर जर्मनी का ट्रेड डेलिगेशन आया था, उस वक्त उनके साथ सलाह मशवरा किया गया था और उसके बाद ही यह चीज़ें यहां से भेजी गई हैं ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†*११८. **डा० रामा राव** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री २१ नवम्बर, १९५५ को दिए गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर में तीसरा इस्पात कारखाना खोले जाने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है;

(ख) क्या अब तक ब्रिटिश कम्बाइन के साथ कोई अंतिम समझौता किया गया है; और

---

†मूल अँग्रेजी में

(ग) क्या इस परियोजना का वित्त प्रबंध हमारे पौण्ड पावने से करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग और लोहा तथा इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). इंडियन स्टील वर्कस् कन्सट्रक्शन कम्पनी से प्रारंभिक प्राक्कलन प्राप्त हो चुके हैं और भारत सरकार द्वारा उनकी जांच की जा रही है। इसी बीच प्रारंभिक कार्य, जैसे भूमि का अर्जन, स्थान का सर्वेक्षण आदि बातें की जा रही हैं।

(ग) इस परियोजना के वित्त प्रबंध का विषय अब भी विचाराधीन है।

†**डा० रामा राव** : इस बात को देखते हुये कि हमारा पौंण्ड पावना बहुत अधिक है और जिस से हमें नाम मात्र का ही ब्याज मिलता है और लंदन के "फाइनेन्शियल टाइम्स" ने भी भुगतान के ही उपाय का सुझाव दिया है, और चूंकि यह फर्म बहुत अधिक ब्याज मांग रही है, बैंक दर से एक प्रतिशत अधिक– तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भुगतान के इस तरीके पर विचार करेगी?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य के सुझाव को मैं अपने माननीय सहयोगी **वित्त** मंत्री को प्रेषित कर दूंगा ।

†**श्री के० के० बसु** : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि बैंक दर में उतार चढ़ाव होने की संभावना रहती है, क्या मैं जान सकता हूं कि जिस समय सरकार कोई दीर्घकालीन समझौता करेगी तब क्या वह कोई निश्चित दर निर्धारित किये जाने के प्रश्न पर विचार करेगी और बैंक दर अथवा किसी अन्य बात पर निर्भर नहीं रहेगी ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : आपके इस सुझाव के लिये मैं बहुत आभारी हूं।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस्पात कारखानों के निर्माण के लिये किन्हीं अन्य देशों से कोई नवीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जी, नहीं । कोई ठीक नहीं है ।

†**डा० रामा राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के अथवा भारतीय इस्पात कम्पनियों के हमारे कोई भारतीय विशेषज्ञ, कम से कम ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित इस इस्पात कारखाने में, हमारे ब्रिटिश परामर्शदाताओं से सम्बन्ध हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जो भी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं उन से काम लिया जा रहा है ।

†**श्री के० के० बसु** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई वाक्बद्धता की गई है कि इस इस्पात कारखाने के निर्माण के लिये अपेक्षित मशीनरी केवल उक्त ब्रिटिश फर्म द्वारा ही प्रदाय की जायेगी अथवा उसका प्रदाय समस्त संसार से प्राप्त होने वाले टैंडरों के आधार पर किया जा सकता है?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : निश्चित हो जाने पर व्यवस्था यह रहेगी कि मशीनरी का प्रदाय केवल ब्रिटेन द्वारा ही किया जायेगा

लोहे और इस्पात का संभरण

†***१२१. श्री पी० सी० बोस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकरा लोयाबाद और झरिया कोयला क्षेत्रों में अन्य कारखानों को कच्चे लोहे और इस्पात के टुकड़ों का नियमित और पर्याप्त संभरण प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके परिणाम

†मूल अंग्रेजी में

स्वरूप कारीगरों में बेरोजगारी और अपर्याप्त रोजगारी हो रही है और कोयला खदानों सम्बन्धी ही तुरन्त अपेक्षित सामग्री के उत्पादन में विलम्ब हो रहा है; और

(ख) इसका क्या कारण है और इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान। इस्पात की सामान्य कमी के अतिरिक्त, ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री पी० सी० बोस** : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कारखानों ने यह शिकायत की है कि कच्चे लोहे के संभरण में कमी होने के कारण लोग बेरोजगार हैं.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने मंत्री से शिकायत क्यों नहीं की?

†**श्री पी० सी० बोस** : मुझे बताया गया था कि उन्होंने उपयुक्त प्रणाली के द्वारा सरकार को शिकायत भेजी थी; वे सीधे माननीय मंत्री को शिकायत नहीं भेज सकते थे।

†**श्री कानूनगो** : गत वर्ष के पूर्वार्ध में कुछ समय के लिये कुछ कमी हुई थी, परन्तु उत्तरार्ध में काफ़ी कच्चा लोहा उपलब्ध रहा है।

†**श्री ए० एम० थामस** : यह प्रश्न लोहे और इस्पात के संभरण के बारे में है और वह भी विशेष रूप से कोयला क्षेत्रों के लिये। क्या सरकार को विदित है कि लोहे और इस्पात से बनी वस्तुओं का संभरण न होने के कारण सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों की कई परियोजनाओं का काम रुक गया है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान यह इस बात पर निर्भर है कि सम्बद्ध सामुदायिक परियोजनाओं ने कब अपने आर्डर दिये थे। यदि उन्होंने अपनी आवश्यकताओं से काफ़ी समय पहले आडर दिये थे तो संभव है कि अब तक उन्हें वह वस्तुयें मिल गई होंगी; अन्यथा उन्हें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : साधारणतः ऐसे प्रश्न यहां नहीं पूछे जाने चाहियें। लोगों को शिकायत करने और माननीय सदस्यों को उन शिकायतों को सभा के समक्ष रखने का अधिकार है। वे कार्यपालिका में नहीं हैं। अतः पहले तो हमें चाहियें कि हम सम्बद्ध व्यक्तियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जाने का परामर्श दें और यदि निचले स्तर पर कुछ न किया जाये, तो तब उस मामले को संसद् में रखा जाये। यह सभी ऐसी बातें हैं कि जिन का निबटारा विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है और यदि कहीं भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तब माननीय सदस्य उसे यहां प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु जब कि प्रत्येक अवस्था के लिये प्रबन्ध किया गया है और जबकि माननीय मंत्री को व्यक्तियों की शिकायतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी हालत में यदि लोकसभा को शिकायतें दर्ज करने वाला विभाग मानकर प्रत्येक शिकायत ही यहां लाई जाये तो यह लोक-सभा का समय अनावश्यक रूप से नष्ट करना होगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ए० एम० थामस :** क्या बंटवारे के विषय में सरकार की सामान्य नीति इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** श्रीमान, यह एक लम्बी कहानी है। हमारी मांग अकस्मात ही बढ़ गई है और हमारा स्थानीय उत्पादन मांग से आधा भी नहीं है। लोहे, कच्चे लोहे और इस्पात का हमारा उत्पादन वर्तमान मांग का एक तिहाई है। इस समय मांग ३३ लाख टन की है और उत्पादन लगभग १३ से १४ लाख टन तक है। ऐसी स्थिति में पहले की गई मांगों को पूरा करने का ही प्रश्न है। हम संसार के विभिन्न भागों से इस्पात प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे आशा है कि जुलाई तक हम सभी उचित मांगों को पूरा करने की स्थिति में हो सकेंगे। परन्तु इस समय माल नहीं है अतः मैं अत्यधिक प्राथमिकता की मांग को भी इस समय पूरा नहीं कर सकता।

†**श्री पी० सी० बोस :** क्या मैं यह समझूं कि इन कारखानों के लिये निश्चित किया गया अभ्यंश उनकी आवश्यकता से कम है।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** जहां तक इन कारखानों विशेष का जिन का उन्होंने जिक्र किया, सम्बन्ध है, मेरे सहकारी ने बताया है कि कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

†**श्री के० के० बसु :** क्या देश के वास्तविक समय और मंत्रालय अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा अभ्यंश स्वीकृत किये जाने के बीच साधारणतयः कितने समय का अन्तर रहता है?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** यह समय-अन्तर मांग और संभरण के गुण प्रकार पर निर्भर करेगा। साधारणतः हम उचित समय में ही अर्थात ४ या ५ मास में ही मांग को पूरा करते रहे हैं। परन्तु आजकल मांग इतनी अधिक है और उपलब्ध संभरण इतना कम है कि अधिक समय लगना स्वाभाविक ही है।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या मंत्रालय को विदित है कि लोहे और इस्पात का चोर बाज़ार हो रहा है, यदि हां, तो क्या फिर से नियन्त्रण लागू करने का कोई विचार है?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** कई प्रवर्गों पर फिर से नियन्त्रण लगाया जा चुका है। यदि माननीय सदस्य उस स्थान विशेष को बतायें जहां चोर बाज़ारी हो रही है तो हम कार्यवाही करेंगे।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने अभी बताया कि विदेशों से इस्पात का आयात करके वह जुलाई तक इस्पात सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने जा रहे हैं, तो क्या सरकार द्वारा इस समय अपनाई गई नियंत्रण सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन किया जायेगा?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** जब तक हम मांग और संभरण को बराबर नहीं कर लेते तब तक नियंत्रण जारी रहेगा।

प्रतिकर के दावे

†*१२२. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **प्रधान मंत्री** ३ दिसम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से ले कर सरकार ने पाकिस्तान की ओर से किये गये आक्रमणों के कारण भारतीय राष्ट्रजनों के जीवन और सम्पत्ति को हुई हानि के सम्बन्ध में कितनी बार मांग की थी; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या १९५० के पश्चात किसी भी समय पाकिस्तान को भी इस प्रकार की कोई मांग करने का अवसर मिला ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) ग्यारह दुर्घटनाओं के लिये हम ने पाकिस्तान सरकार से प्रतिकर की मांग की । उनमें से ६ के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार ने अपने उत्तरदायित्व से इन्कार किया । एक मामले में उसने प्रतिकर के दावे पर विचार करने से ही इन्कार कर दिया । चार मामलों पर अभी उसके निर्णय लम्बित हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : वे कौन से चार मामले हैं जो अभी लम्बित हैं और सरकार द्वारा क्या मांग की गई है?

†**श्री सादत अली खां** : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये । मुझे इसकी विस्तारपूर्वक जांच करनी पड़ेगी ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या नेकोवाल दुर्घटना से सम्बन्धित दावों का निपटारा कर दिया गया है, या, वह अभी भी लम्बित हैं?

†**श्री सादत अली खां** : वह अभी लम्बित हैं ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या मैं जान सकती हूं कि जब पाकिस्तान के ऊपर हिन्दुस्तान का क़र्ज़ा है और, मैं सुनती हूं, हम उन को चावल भी उधार दे रहे हैं, तो इस चावल को क्या मुद्रा में वापिस किया जायेगा? यदि नहीं, तो जो क़र्ज़ा उन के ऊपर पहले से है उस को और क्यों बढाया जा रहा है?

श्री सादत अली खां : यह बातें तो उस वक्त तय हो सकती है जब हमारी और उन की आपस में कुछ बातचीत हो और वह हमारी डिमांड्स को क़बूल करें, मगर जहां तक मैं देख रहा हूं वह हमारी डिमांड्स को शुरु से ही क़बूल नहीं करते हैं ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : जब चावल हम दे रहे हैं तो शर्तें लगाना हमारे हाथ में है ।

†**श्री सादत अली खां** : यह सवाल तो कम्पैन्सेशन क्लेम्स के मुताल्लिक है । इस सिलसिले में चावल देने ना देने का सवाल पैदा नहीं होता है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : यह बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने एक मामले का उत्तरदायित्व स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है । क्या हमारी सरकार ने उस मामले के बारे में पाकिस्तान सरकार से सभी अग्रेतर पत्र व्यवहार बन्द कर दिया है या उस मामले को अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया है ?

†**श्री सादत अली खां** : माननीय सदस्य किस मामले के बारे में कह रहे हैं?

†**श्री डी० सी० शर्मा** : सभासचिव ने बताया कि एक मामले में उसने दावों पर विचार करने से इन्कार कर दिया ।

†**श्री सादत अली खां** : जी, नहीं । हमने उसके इन्कार को स्वीकार नहीं किया है । हम उत्तर देने के लिये उसे वाध्य कर रहे हैं ।

†**सरदार एम० एस० सहगल**: क्या मैं जान सकता हूँ कि कम्पैन्सेशन कलेम्स के मुताल्लिक़ अभी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

तक जितनी बातचीत पाकिस्तान गवर्नमेंट से हुई है उसमें कहीं पर भी हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो भी क्लेम्स हिन्दुस्तान के हैं उनको वे देना मंजर करेंगे ?

†**श्री सादत अली खां :** किसी ख़ास नतीजे पर पहुंचने का कोई सवाल नहीं है। हम ने उन से कुछ मुतालबात किये हैं और अपनी डिमांड्स उनके सामने रखी हैं और उम्मीद करते हैं कि कभी वह लोग हमारी डिमांड्स को मंजूर करेंगे।

†**श्री टी० एन० सिंह :** जो अभी तक दुरावस्था में हैं उन के आश्रितों का क्या होगा? क्या उनका प्रतिकर पाकिस्तान पर निर्भर है, अथवा क्या इस बीच उनकी कुछ सहायता की जायेगी ?

†**श्री सादत अली खां :** सम्भवत: इस बीच उनकी कुछ सहायता की जायेगी। मुझे निश्चित रूप से मालूम नहीं है, मैं पूछताछ करूंगा।

†**डा. राम सुभग सिंह :** सभासचिव ने कहा कि ६ मामलों में पाकिस्तान सरकार ने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं किया है और एक मामले में उसने उत्तरदायित्व से बिल्कुल इन्कार कर दिया है। क्या सभासचिव को उस प्रैस विवरण के बारे में विदित है कि भारत सरकार पाकिस्तान को कुछ चावल उधार देने जा रही है, और इस मामले में, भारत सरकार का वर्ताव कैसा होगा ? क्या वह चावल उधार देगी या नहीं ?

†**श्री सादत अली खां :** इस विषय में हम बहुत उदार हैं।

†**श्री कामत :** अब आप परस्पर शत्रु हैं।

†**पंडित डी० एन० तिवारी :** इन ११ आक्रमणों में कितने व्यक्ति मरे और कितने सम्पत्ति की क्षति हुई ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री सादत अली खां :** यदि वह अलग प्रश्न की पूर्वसूचना दें तो मैं उत्तर दूंगा।

रेशम उद्योग

†*१२३. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारतीय रेशम और रेयन के वस्त्रों के लिये न्यूज़ीलैंड में एक अच्छे बाज़ार की स्थापना हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन वस्तुओं को न्यूज़ीलैंड को निर्यात करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी, हां।

(ख) विदेशी बाज़ारों को, जिनमें न्यूज़ीलैंड भी सम्मिलित है, भारतीय रेशम और रेयन के वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के मुख्य प्रयोजन से रेशम और रेयन के वस्त्रों के लिये एक निर्यात प्रोत्साहन परिषद् स्थापित की गयी है। उपलब्ध माल के नमूने न्यूज़ीलैंड भेजने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप न्यूज़ीलैंड को किये जाने वाले भारतीय रेशमी वस्त्र के निर्यात में वृद्धि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री करमरकर** : कार्यवाही की जा रही है और यदि माननीय सदस्य परिणामों के विषय में एक अलग प्रश्न की पूर्व सूचना दें, तो हम उन्हें उत्तर दे सकेंगे ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या इस देश से कोई व्यापारिक शिष्टमण्डल न्यूज़ीलैंड भेजने या न्यूज़ीलैंड से कोई व्यापारिक शिष्टमण्डल आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

†**श्री करमरकर** : इस समय–मेरे उत्तर में शुद्धि की जा सकती है–केवल इसी प्रयोजन के लिये कोई विशेष शिष्टमण्डल भेजने का कोई विचार नहीं है, परन्तु यदि कोई शिष्टमंडल भेजना आवश्यक हुआ तो हम इस पर विचार कर सकते हैं ।

†**श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी** : क्या विशेषकर शुद्ध रेशम के विभिन्न विदेशों को निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

†**श्री करमरकर** : इन वस्तुओं के निर्यात के लिये कोई लक्ष्य नहीं है । जितना अधिक हो उतना ही अच्छा है ।

†**श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी** : क्या यह सच नहीं, कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि भारत में शुद्ध रेशम का मूल्य बहुत अधिक है, हम को निर्यात के बढ़ाने की तब तक सम्भावना नहीं है जब तक कि सरकार शुद्ध रेशम का भाव कम करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं करती है ?

†**श्री करमरकर** : जब तक कि माननीय सदस्य द्वारा कोई ऐसी निराशाजनक बातें न कही जायें, तब तक मेरा तो यही विचार है कि निर्यात की बहुत अधिक सम्भावनायें हैं ।

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित कृषकों को प्रतिकर

*१२४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले उन दावेदारों में से जिन्होंने कि इसके लिये आवेदन पत्र दिये थे, इस वर्ष अब तक कितने दावेदारों को प्रतिकर दिया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : १९५५-५६ में ३१ जनवरी, १९५६ तक ४०,४२२ विस्थापित दावेदारों को प्रतिकर दिया गया है । इनमें पाकिस्तान से आये हुये १७२२ भूमि के दावेदार भी सम्मिलित हैं जिन्हें पंजाब और पैप्सू से बाहर भूमि आवंटित की गई है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : यह संख्यायें प्रतिकर की किस श्रेणी के सम्बन्ध में हैं? अन्तरिम प्रतिकर और सामान्य प्रतिकर की दो योजनायें हैं । क्या अन्तरिम प्रतिकर योजना पूरी हो गई है और क्या उन सभी व्यक्तियों को जो उस परियोजना के अन्तर्गत प्रतिकर प्राप्त करने के पात्र थे, भुगतान कर दिया गया है? माननीय मंत्री ने जिस संख्या का उल्लेख किया है उसमें कितने सामान्य दावेदार सम्मिलित हैं?

†**श्री जे० के० भोंसले** : प्राथमिकता श्रेणी के अधीन जो लोग आते हैं उन को भुगतान करने के पश्चात हम उन लोगों पर विचार करेंगे जिन्हें अन्तरिम प्रतिकर योजना के अन्तर्गत भुगतान किया गया था । जहाँ तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं, पर मैं इतना बता सकता हूं कि जनवरी, १९५६ तक हम ने कुल मिला कर ८१,२४५ दावों का भुगतान किया है और भुगतान की गयी राशि २३ करोड़ रुपये से अधिक है । अतः इन ८१,२४५ दावों में वह लोग सम्मिलित हैं जिन्हें अन्तरिम प्रतिकर योजना के अन्तर्गत भुगतान किया गया और वह लोग भी सम्मिलित हैं जिन्हें अन्तिम प्रतिकर योजना के अन्तर्गत भुगतान किये गये ।

---

†मूल अँग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या समस्त अन्तरिम प्रतिकर दावों का भुगतान कर दिया गया है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : अन्तरिम प्रतिकर योजना के स्थान में स्थायी प्रतिकर योजना लागू कर दी गई है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : अन्तरिम प्रतिकर योजना के उन्मूलन के बाद कितने स्थायी दावेदारों को अब तक भुगतान कर दिया गया है और अभी तक कितनों को भुगतान करना शेष है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : यह बताना बहुत कठिन है । जैसा कि मैंने बताया मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं । सब मिला कर कोई चार लाख दावेदार हैं जिन्हें प्रतिकर दिया जाना है । उनमें से कोई ८१,००० कुछ अधिक को भुगतान कर दिया गया है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या माननीय मंत्री को पता है कि पुनर्वास मंत्रालय के सचिव ने किसी स्थान पर भाषण देते हुए यह बताया था कि वह प्रतिवर्ष लगभग एक लाख व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान करते आये हैं । सचिव द्वारा दिये गये आंकड़े तथा माननीय मंत्री द्वारा अभी दिये गये आंकड़े अर्थात् केवल ८१,००० लोगों को भुगतान किया गया है, में इतना अन्तर कैसे है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को भाषण नहीं देना चाहिये । एक प्रश्न में वह दो प्रश्न सम्मिलित कर देते हैं । प्रश्न संक्षिप्त तथा सुसंगत होना चाहिये ।

†**श्री जे० के० भोंसले** : पुनर्वास सचिव ने अपने भाषण में जो कुछ कहा था वह यह था कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक हम एक लाख दावों का भुगतान कर चुकेंगे और आने वाले वर्षों में भी हम इतने ही दावों का भुगतान करते रहेंगे और अन्त में तीन या चार वर्षों में हम सभी दावों का भुगतान कर देंगे ।

†**श्री गिडवानी** : क्या निर्वाह भत्ता, आदि पाने वाले व्यक्तियों की सभी प्राथमिकता श्रेणियों को भुगतान किया जा चुका है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : कुल मिला कर लगभग १४ प्राथमिकता श्रेणियां हैं, और मुझे आशा है कि अगले कुछ ही महीनों में उनको भुगतान कर दिया जायेगा ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : अन्तरिम प्रतिकर योजना के फलस्वरूप, भारी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी । इतनी भारी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने के कारण प्रतिकर के भुगतान के कार्य की गति कितनी बढ़ी है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : अन्तरिम प्रतिकर योजना नवम्बर, १९५३ में शुरु की गई थी; और तब से ३१ जनवरी, १९५६ तक हमने ८१,००० दावों का भुगतान किया है । पहले वर्ष में तो हमने बहुत ही सीमित संख्या का भुगतान किया था, क्योंकि वह एक अन्तरिम प्रतिकर योजना थी, जिसमें वर्गों की संख्या सीमित थी । कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने के समय से, भुगतान की गति इतनी बढ़ गई है कि हम एक लाख प्रति वर्ष की दर से भुगतान करने की आशा करते हैं ।

श्री टी० के० चौधरी संसद्-सदस्य की रिहाई

†*१२५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल विधान सभा का सर्वसम्मति से स्वीकृत वह संकल्प मिल

---

†मूल अंग्रेजी में

गया है, जिस में आजकल गोआ में बन्दी संसद् सदस्य श्री टी० के० चौधरी को जेल से मुक्त कराने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो मामला इस समय किस स्थिति पर है; और

(ग) क्या सरकार को उनके स्वास्थ्य और गोआ के जेल-अधिकारियों के उनके प्रति बर्ताव के बारे में भी कोई सूचना मिली है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जैसा कि पहले भी ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर में बताया जा चुका है, कि भारतीय और गोआ वासी सत्याग्रहियों की रिहाई का प्रश्न भारत में पुर्तगाली बस्तियों के समूचे प्रश्न के साथ ही जुड़ा हुआ है ।

(ग) उनका स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन बन्दियों के साथ किये जाने वाले बर्ताव के सम्बन्ध में सामान्य शिकायतें हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय सभासचिव ने पहले की बात को दोहराते हुए कहा है कि श्री चौधरी की रिहाई का प्रश्न भारत में पुर्तगाली बस्तियों के समूचे प्रश्न पर ही निर्भर है । इस समय वह सामान्य समग्र स्थिति क्या है और क्या निकट भविष्य में इस प्रश्न को उठाया जाने को है?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर इस वाद-विवाद के अंत में दिया जायेगा । यदि माननीय सभासचिव यह समझते हैं कि वह थोड़े से ही शब्दों में इसका उत्तर दे सकते हैं, तो वह उत्तर दे दें ।

†**श्री सादत अली खां** : मुझे भय है कि थोड़े से ही शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हाल ही में मिस्र के राज दूतावास के अधिकारियों में से एक अधिकारी गोआ की सीमा पर गया हुआ था । क्या उसने भारतीय बन्दियों की रिहांई के प्रश्न को उठाया था और क्या भारत सरकार ने उससे इस प्रश्न को उठाने के लिये कहा है? इस मामले में कितनी प्रगति हुई है?

†**श्री सादत अली खां** : मिस्र के राजदूतावास का प्रथम सचिव भारतीय नज़रबन्दों की कुशल-क्षेम और इसी से सम्बन्धित अन्य मामलों के विषय में जांच करने के लिये पांच तारीख़ को गोआ गया था । वह वापिस लौट आया है और अपना प्रतिवेदन हमारे पास भेज रहा है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सही है कि हाल ही में गोआ जाने वाले मिस्र के राजदूतावास के अधिकारी को गोआ में अधिकांश बन्दियों से नहीं मिलने दिया गया था? क्या यह भी सही है कि गोआ के राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य किसी संघठन ने ऐसी कोई मांग की है कि जहां तक गोआ के बन्दियों के स्वास्थ्य के मामले का सम्बन्ध है रेड क्रास को हस्तक्षेप करना चाहिए?

†**श्री सादत अली खां** : एक दो मामलों में ऐसा हुआ है कि उन्हें नज़रबन्दों से नहीं मिलने दिया गया है । उदाहरण के लिये श्रीमती जोशी के मामले में, मुझे बतलाया गया है कि मिस्र के राजदूतावास के प्रथम सचिव को उनसे इस आधार पर नहीं मिलने दिया गया कि वह भारतीय राष्ट्रजन नहीं थीं । पर, प्रश्न में रेड क्रास से किये जाने वाले जिस अनुरोध का उल्लेख है । मुझे उसका पता नहीं है । मैं मालम करूंगा ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या मैं माननीय सभासचिव के कथन का यह अर्थ लगाऊं कि भारत

---

†मूल अंग्रेजी में

में पुर्तगाली बस्तियों सम्बन्धी समूचे प्रश्न का समाधान होने तक श्री चौधरी जैसे राजनीतिक बन्दी को स्वंय उनके ही संसाधनों पर छोड़ दिया जायेगा और इस बीच इस बारे में राष्ट्र मंडल के सदस्य पुर्तगाल के मित्रों को सद्भावना का उपयोग किये जाने की संभावना नहीं है?

†**श्री सादत अली खां :** मुझे विश्वास है कि हम औपनिवेशिक जेलों में सड़ने वाले इन अभागे व्यक्तियों की सहायता करने का यथाशक्ति प्रयत्न करें। लेकिन, अभी इस स्तर पर, मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि यह सहायता की कैसे जायेगी ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** माननीय सभासचिव ने कहा है कि श्री चौधरी का स्वास्थ्य अच्छा है क्या इसके अतिरिक्त श्री चौधरी को अपने मित्रों और सम्बन्धियों को पत्र लिखने जैसी जेल की सामान्य सुविधायें भी दी जा रही हैं?

†**श्री सादत अली खां :** जी, हां। बन्दियों की देखभाल करने वाले, फ्र० कराने से प्राप्त हुए प्रतिवेदन के अनुसार,—उन्हीं के शब्दों में—

"श्री चौधरी का स्वास्थ्य अच्छा है और वह अपने आपको पठन-पाठन तथा अध्ययन में व्यस्त रखते हैं और प्रसन्न चित्त रहते हैं।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें पत्र लिखने की सुविधायें दी गई हैं ।

†**श्री सादत अली खां :** मैं इसका पता लगाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन्हें वे सुविधायें प्राप्त हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या सरकार को श्रीमती जोशी और श्रीमती देशपाण्डे के स्वास्थ्य के बारे में भी कोई सूचना मिली है?

†**श्री सादत अली खां :** प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, उनका स्वास्थ्य ठीक है ।

†**श्री कामत :** बिलकुल नहीं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने श्री चौधरी की रिहाई के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार करती है?

†**श्री सादत अली खां :** जैसा कि मैं ने निवेदन किया, यह प्रश्न भारत में पुर्तगाली बस्तियों के समूचे प्रश्न के साथ ही जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक ही है कि हम जेलों में बन्द अपने राष्ट्रजनों को वापिस लाने के लिये प्रत्येक प्रयास कर रहे हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि समूचे प्रश्न से अलग भी कोई कार्यवाही की जा रही है, या नहीं ।

†**श्री सादत अली खां :** मुझे ज्ञात नहीं ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** सरकार को यह तो ज्ञात है कि हमारे माननीय सहयोगी श्री वी० पी० देशपाण्डे गोआ में गिरफ्तार होने वाले पहले भारतीय संसद् सदस्य थे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को अपने प्रश्न का पूर्वपरिचय देने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** यह भी स्पष्ट है कि अब गोआ की जेल में हमारे दूसरे सहयोगी श्री चौधरी

†मूल अंग्रेजी में

ही एक मात्र भारतीय संसद् सदस्य हैं। क्या मिस्र के प्रतिनिधि को यह भी बताया गया था कि संसद् के सत्र में श्री चौधरी का यहां उपस्थित होना वांछनीय होगा?

†**श्री सादत अली खां** : यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था।

†**श्री गिडवानी** : श्री मधु लिमाये और अन्य व्यक्तियों समेत, कुल कितने राजनीतिक बन्दी हैं।

†**श्री सादत अली खां** : भारतीय बन्दियों की कुल संख्या ३५ है, लेकिन जिन बन्दियों के राज्य के बारे में अभी झगड़ा चल रहा है उनकी संख्या ६ है। इस प्रकार कुल संख्या ४१ है।

†**श्री ए० एम० थामस** : भारत और पुर्तगाल के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध टूट जाने की बात को दृष्टि में रखते हुए अब पुर्तगाल के साथ ऐसे मामलों पर बातें चलाने के लिये किस साधन का उपयोग किया जाता है? क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि क्या माननीय सभासचिव इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में भी कोई अधिक संतोषप्रद उत्तर दे सकते हैं?

†**श्री सादत अली खां** : मैं कह चुका हूं कि गोआ में हमारे मित्रों की देख-रेख मिस्र का राजदूतावास कर रहा है। पुर्तगाल स्थित मिस्र का राजदूतावास इस सम्बन्ध में कार्य कर रहा है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : श्री कामत को उत्तर देते हुए, सभासचिव ने कहा कि उन्हें गोआ कांग्रेस द्वारा रैड क्रास के सम्बन्ध में किये गये किसी भी अनुरोध की जानकारी नहीं है। क्या अब सरकार हमारे गोआ के बन्दियों की देख-भाल करने के कार्य में हमारी मदद करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास से अनुरोध करेगी?

†**श्री सादत अली खां** : इस मामले पर विचार किया जायेगा।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या श्री चौधरी बाहर से किताबें मंगा सकते हैं और क्या हमारे द्वारा भेजी हुई कोई किताब उन्हें मिल जायेगी?

†**श्री सादत अली खां** : जी, हां।

नमक

†*१२६. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांभर झील में तैयार किया जाने वाला नमक किस अभिकरण के द्वारा बेचा जाता है;

(ख) उसकी उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि भूमि के पट्टेदारों से नमक दो आने प्रति मन की दर से खरीदा जाता है; और

(घ) क्या यह सत्य है कि बंटवारे सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति के कारण इसका व्यवसाय करने वाले लोग एक भारी संख्या में व्यापार छोड़ बैठे हैं?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये [परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]**

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंटवारे सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति के कारण सांभर का नगर जिस का मुख्य व्यवसाय ही नमक का है, अब बिलकुल उजड़ा

---

†मूल अंग्रेजी में

सा लगने लगा है ? सरकार उन लोगों को पुनर्वासित करने और यह देखने के लिये कि उन्हें उनके सामान्य कार्य से वंचित नहीं किया जाता है क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : मैंने पटल पर एक लम्बा विवरण रख दिया है, जिससे माननीय सदस्य को वांछित सूचना मिल जायेगी। सरकार सांभर के व्यापारियों को फिर से पुनर्वासित करने और उन्हें पहले से अधिक व्यवसाय देने की चेष्टा कर रही है ।

†**श्री बंसीलाल** : क्या लोक-सभा के पिछले सत्र में भी ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था और उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि सांभर के व्यापारियों को पुनर्वासित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी । तब से अब तक कौन से कदम उठाये गये हैं? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि सरकार ने नमक के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : प्रश्न का पिछला भाग बहुत ही विस्तृत है और यदि माननीय सदस्य सूचना चाहते हैं.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री पहले भाग का उत्तर दे सकते हैं ।

†**श्री सतीशचन्द्र** : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, कई राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापारियों की नाम-निर्देशन करने की पद्धति को समाप्त कर देने पर सहमत हो गई हैं । उस हद तक तो, जहां तक कि सांभर के व्यापारियों का सम्बन्ध है व्यवसाय के परिमाण में वृद्धि हुई है।

†**श्री बंसीलाल** : उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश को जाने वाला सांभर नमक अभी तक नाम-निर्देशन पद्धति के द्वारा ही वितरित किया जाता है?

†**श्री सतीशचन्द्र** : अनेक राज्यों में यह इसी प्रकार से वितरित किया जाता है, क्योंकि पिछली गतिविधियां और व्यवसाय के तरीकों के कारण सांभर के व्यापारियों पर से राज्यों का विश्वास उठ चुका है।

†**श्री के० के० बसु** : माननीय उपमंत्री के कथनानुसार सांभर के इन व्यापारियों के कब तक पुनर्वासित हो जाने की संभावना है?

†**श्री सतीशचन्द्र** : वास्तव में प्रश्न पुनर्वास का नहीं है। सांभर तो नमक की झील के पास एक छोटा सा नगर है और उस के अधिकतर निवासियों का व्यवसाय नमक का है। नमक की कमी के दिनों में उनकी कुछ हरकतों की ही वजह से उन दिनों नियंत्रण शुरू करना पड़ा था। उनका व्यवसाय समाप्त हो गया था। धीरे-धीरे उन्हें फिर से व्यवसाय में स्थापित किया जा रहा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री राधा रमण** : अगला प्रश्न लेने से पहले, एक बात और । प्रश्न १२७ और १३६ एक से ही हैं । यदि आप कृपया इन दोनों प्रश्नों को एक ही साथ लें तो बड़ी आसानी रहेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने उस बुलेटिन को देखा है जिसमें प्रश्नों की अनुमति दिये जाने के तरीके का उल्लेख है । यदि कोई माननीय सदस्य तीन प्रश्न रखते हैं, तो तीनों प्रश्न एक साथ नहीं छापे जाते हैं। मंत्रियों के क्रमानुसार ही प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दी जाती है । वे एक प्रश्न का सम्बन्ध दूसरे से जोड़े सकते हैं। और इस बात की सम्भावना हटाने के लिये

†मूल अंग्रेजी में

कि लगातार एक ही सदस्य अपने प्रश्नों का उत्तर पाता रहे, इस संभावना को दूर करने के लिये प्रत्येक सदस्य का एक-एक प्रश्न ले लिया जाता है और उसी क्रम में वह छापे जाते हैं। जब प्रत्येक सदस्य के एक-एक प्रश्न का क्रम समाप्त हो जाता है तो फिर उसी पहले सदस्य के अन्य प्रश्नों को लिया जाता है। प्राथमिकता सूचना के समय के अनुसार ही दी जाती है। यदि मुझ से प्रत्येक बार एक प्रश्न को दूसरे के साथ जोड़ देने का अनुरोध किया जायेगा, तो यह सारा का सारा नियम समाप्त हो जायेगा। माननीय सदस्य तब शिकायतें करने लगेंगे। तथापि, आज वैसा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री राधा रमण** : यह केवल अनुरोध ही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या १३६ का उत्तर प्रश्न संख्या १२७ के साथ दिया जाए। श्री जी० एल० चौधरी अनुपस्थित हैं।

†**श्री राधा रमण** : मैं उपस्थित हूँ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : लेकिन वे इसके सह-हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं हैं। क्या उन्हें न्यायवादी की सामान्य शक्ति प्राप्त है?

नाहन फाउन्ड्री लिमिटिड

†*१२८. **श्री बूबराघस्वामी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि हिमाचल प्रदेश की नाहन फाउन्ड्री लिमिटिड जब से कि सरकार ने उसका प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है घाटे में चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो १९५५-५६ में कितना घाटा हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग और लोहा तथा इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख) जी नहीं। १९५२-५३ और १९५३-५४ में इस ढलाई कारखाने ने क्रमशः २,११६ और २८,७४९ रुपयों का मुनाफा कमाया था। १९५४-५५ में उसे ९४,७१३ रुपयों का घाटा हुआ था। १९५५-५६ में, आशा है कि कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि कुल मुनाफा ही होगा।

†**श्री बूबराघस्वामी** : क्या यह सच है कि नाहन फाउण्ड्री में कतिपय पुर्जों का लागत मूल्य अधिक होने के कारण उनमें स्थानीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने की सामर्थ्य नहीं है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यदि निश्चित पुर्जे मालूम हों, तो उत्तर देने का प्रयत्न किया जा सकता है।

†**श्री बूबराघस्वामी** : सरोवर पम्प।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरोवर पम्प ?

†**श्री बूबराघस्वामी** : जी, हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : केवल ईश्वर जानता है कि इस भाषा का क्या अर्थ है। यह भारतीय है अथवा अंग्रेजी। यदि माननीय मंत्री इसका अर्थ समझे हों तो उत्तर दे दें।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

†**श्री० एस० वी० रामस्वामी** : मैं जानना चाहता हूं कि पर्वतों में ऊचाई पर इस फाउण्ड्री को

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थापित करने में मंत्रालय को प्राकृतिक अथवा अन्य किसी तरह का लाभ हुआ है और यदि नहीं तो क्या इसे पंजाब सरकार अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंप देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : सरकार ने इस पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया है कि इसमें कोई लाभ है अथवा नहीं ।

†**श्री बूबराघस्वामी** : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इसका कार्य भार लेने के पश्चात् इसके प्रबन्ध कर्मचारियों में वृद्धि हुई है अथवा कमी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या इसका यह अभिप्राय है कि घाटे के कारण कर्मचारियों की वृद्धि है ?

†**श्री बूबराघस्वामी** : और भी अनेक कारण हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : नाहन फाउण्ड्री के विषय में इस समय मेरे पास काफी जानकारी है। किन्तु कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता हूं ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री एवं सरकार उसके वर्तमान प्रबंध से संतुष्ट हैं अथवा क्या वे उसमें कोई परिवर्तन अथवा सुधार करना चाहते हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि फाउण्ड्री का कार्य सन्तोषजनक नहीं है । यह प्रबंधकर्ताओं पर आरोप नहीं है । मेरे सहयोगी उत्पादन मंत्री ने एक समिति की नियुक्ति की थी । उसने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । वह अभी विचाराधीन है ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : मैं जानना जाहता हूं कि क्या उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मत था अथवा ये दो प्रतिवेदन हैं और उन में से बहुमत प्रतिवेदन कौन सा है...

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : विचार यह है कि जब सरकार अपने निष्कर्ष स्थापित करेगी तब एक संकल्प जारी किया जायेगा और स्वभावत: प्रतिवेदन लोक-सभा के पटल पर रखा जायेगा । यह मेरे लिये समय से पूर्व होगा कि मैं इस समय इस प्रश्न का उत्तर दूं ।

लेखन सामग्री संग्रहागार (डिपो)

†*१२९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित प्रादेशिक लेखन सामग्री संग्रहागार दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) उसके स्थापन का स्थान; और

(घ) दिल्ली संग्रहागार के लिये नियुक्त कर्मचारिवर्ग का स्वरूप?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नहीं, श्रीमान् । संग्रहागार का भवन बन रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) फेक्टरी रोड, नई दिल्ली ।

(घ) प्रश्न के (क) भाग के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रादेशिक संग्रहागार से किस क्षेत्र को लाभ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुख्यतः दिल्ली की आवश्यकता की पूर्ति होगी ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्रादेशिक संग्रहागार कलकत्ता की तंगी को दूर कर सकेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस विषय का अध्ययन करने के लिये जो विभागीय समिति नियुक्त की गई थी उसने दिल्ली, बम्बई और मद्रास में तीन संग्रहागारों की सिफारिश की थी । भवन पूरा होते ही दिल्ली संग्रहागार का कार्य आरम्भ हो जायेगा । इसके पश्चात् इस प्रश्न की जांच की जायेगी कि बम्बई और मद्रास के अन्य संग्रहागार आरम्भ किये जायें अथवा नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं जानना चाहती हूं कि क्या मद्रास, बम्बई और दिल्ली में तीन अतिरिक्त डिपो के निर्माण का यह अभिप्राय है कि कलकत्ता लेखन सामग्री कार्यालय अक्षुण्ण रहेगा अथवा उसे हीं ले जा कर तीन संग्रहागारों में विभाजित कर दिया जायेगा?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस समय कार्यालय कलकत्ते में रखने का विचार है ।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड

†*१३०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रमजीवी पत्रकारों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के बारे में कोई निर्णय किया गया है?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन हैं और उन पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मजूरी बोर्ड की नियुक्ति में और अधिक देर करने से श्रमजीवी पत्रकारों के हित संकटग्रस्त होंगे, क्या मैं यह विश्वास करूं कि सरकार थोड़े समय में ही—दो या तीन महीनों में—मजूरी बोर्ड की स्थापना के लिये अग्रेतर कार्यवाही करेगी ?

†**डा० केसकर** : प्रश्न की अविलम्बनीयता के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं तथापि मैं उनका ध्यान अच्छे मजूरी बोर्ड के महत्त्व की ओर आकर्षित करूंगा । मेरा विचार है कि एक बहुत अच्छे सभापति को प्राप्त करने की इच्छा से वस्तुतः देर हो गई है किन्तु मुझे शीघ्र ही इसके सम्पन्न कर दिये जाने की आशा है ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : इस आधिनियम के आधीन विभिन्न समाचारपत्रों के कार्यालयों को कर्मचारीवर्ग तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में आंकड़े सम्भरित करने पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उनसे यह आंकड़े मांगे हैं ?

†**डा० केसकर** : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने समाचारपत्र कार्यालयों से उन विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में आंकड़े सम्भरित करने के लिये कहा है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत देने पड़ते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मजूरी बोर्ड के विधान के सम्बन्ध में उनसे परामर्श लेना है । प्रश्न मजूरी बोर्ड से सम्बन्धित है । अधिनियम के अधीन बोर्ड को क्या करना है, यह एक अलग प्रश्न है । अब हम

---

†मूल अंग्रेजी में

मजूरी बोर्ड के सम्बन्ध में चर्चा कर रहेहैं। माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या इसके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सरकार गति वृद्धि करेगी और यथासंभव शीघ्र मजूरी बोर्ड बना देगी। माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि इसमें सर्वथा योग्य व्यक्ति रहें, इसीलिये उन्हें समय लग रहा है। अब माननीय सदस्य का प्रश्न है कि मजूरी बोर्ड को कुछ और भी कार्य करने पड़ते हैं और क्या उन के सम्बन्ध में आँकड़े समाचारपत्र कार्यालयों से मांगे गये हैं। क्या माननीय सदस्य की यह मंशा है कि मजूरी बोर्ड की रचना के सम्बन्ध में विभिन्न पत्रकारों से परामर्श किया जाये ?

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** मेरा प्रश्न यह है कि यदि यह जानकारी समय पर सम्भरित नहीं की गई तो क्या सरकार.....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** रचना के सम्बन्ध में क्या जानकारी है ?

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कर्मचारियों के विषय में है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में नहीं जा रहा हूं। यह मजूरी बोर्ड की स्थापना से सम्बन्धित है। कर्मचारी बाद में आयेंगे।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** मजूरी बोर्ड यह विचार करेगा कि.....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मजूरी बोर्ड को अस्तित्व धारण करने दें। प्रश्न केवल मजूरी बोर्ड की स्थापना से सम्बन्धित है।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** आप मेरी बात कदापि नहीं समझे हैं। विभिन्न समाचारपत्र-कार्यालयों के पत्रकार कर्मचारी वर्ग के वेतन से मजूरी बोर्ड का सम्बन्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी दी गई है और पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं अंग्रेजी समझता हूं। यह प्रश्न संगत नहीं है क्योंकि प्रश्न यह है कि मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है इसके बाद वेतन तथा किस प्रकार इसे निर्धारित किया जाये, आदि दूसरी बातें हैं।

†**श्री के० के० बसु :** क्या माननीय मंत्री सभा को यह आश्वासन देंगे कि चालू सत्र की समाप्ति के पूर्व मजूरी बोर्ड नियुक्त कर दिया जायेगा?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जितना शीघ्र सम्भव हो सके।

†**डा० केसकर :** मैं यह बता दूं कि हमें वर्तमान सत्र के अंत तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** एक माननीय सदस्य पूछते हैं कि इस में कितना समय लगेगा। दूसरे पूछते हैं कि इसमें दो महीने लगेंगे अथवा तीन महीने, क्या यह वर्तमान सत्र की समाप्ति के पूर्व सम्पन्न हो जायगा इत्यादि कितने ही प्रश्न हैं।

स्थानीय निर्माण-कार्यक्रम

†***१३१. श्री अस्थाना :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निर्माण-कार्य कार्यक्रम योजनाओं का अनुमोदन करने के पूर्व विकास बोर्ड अथवा समितियों से पूर्व परामर्श करने के लिये राज्य सरकारों को कोई अनुदेश दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : जी हां ।

†**श्री ए० एम० थामस** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय निर्माण-कार्य कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे अगली पंचवर्षीय योजना में रखना चाहती है, और यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को अग्रिम जानकारी दी गई है ताकि वे अपनी योजनाएं बना कर उनके अनुसार प्राक्कलन तैयार कर सकें ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : यह द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पहले ही उपबंधित है और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से हमने इस विषय पर चर्चा की है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं इस बात की भी जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि स्थानीय निर्माण-कार्य कार्यक्रमों के लिये अग्रिम आवंटन व्यपगत हो जायेगा तथा क्या योजना आयोग इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि जिन विभिन्न राज्य-सरकारों को यह रशियां आवंटित की गई हैं वे इस वर्ष मार्च के पश्चात् भी उसका पूरी तरह प्रयोग कर सकेंगी ।

†**श्री एस० एन० मिश्र** : यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है और हमें सूची मिल जाने की आशा है लेकिन यदि कुछ बात बाकी रह गई तो उस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर दिया है किन्तु विकास परिषदों के सदस्यों की स्थिति में हमारा अनुभव उससे भिन्न है जो माननीय मंत्री ने कहा है?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब प्रश्न क्या है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को स्थानीय निर्माण-कार्य कार्यक्रमों के अधीन योजनाओं का अनुमोदन करने के पूर्व विकास बोर्ड अथवा समितियों से पूर्व परामर्श के लिये अनुदेश दिया गया है किन्तु विकास समितियों के सदस्यों की हैसियत से हमारा अनुभव दूसरा है। योजनायें क्रियान्वित हो जाने के पश्चात् उन्हें पुष्टिकरण हेतु हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया जाता है । क्या हम सरकार से यह जान सकते हैं कि वह इस दिशा में क्या कार्यवाहियां करना चाहती है जिससे विकास निकायों के सदस्यों के पूर्वपरामर्श के अभाव में योजनायें क्रियान्वित न हों ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के अनुभव को दृष्टि में रखते हुए सरकार इस बात के लिये क्या कार्यवाही करेगी कि योजनायें क्रियान्वित हो चुकने के पश्चात् नहीं रखी जायें, किन्तु सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जाये ? प्रश्न यह है ।

†**श्री एस० एन० मिश्र** : बिहार के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम हैं और जहां तक मुझे स्मरण है यह सम्पूर्ण कार्य का केवल चार या पांच प्रतिशत है लेकिन इन मामलों में केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने ही उन योजनाओं की क्रियान्विति सम्पन्न कराई जो उनकी राय में अत्यंत महत्त्वपूर्ण और अविलम्बनीय थीं तथा जिनके सम्बन्ध में उन्हें जिला विकास समितियों के अनुमोदन की आशा थी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या परामर्श के इस विशिष्ट पहलू पर और स्थानीय विकास कार्यों के स्थानीय पदाधिकारियों और समितियों तथा विकास बोर्ड के बीच बैठकों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग के पास कोई सिफारिशें भेजी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० एन० मिश्र :** हमें कार्य के पूर्ण विस्तार की सूचना मिलती रहती है ।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि पिछले चार वर्ष से इस समिति के लिये कोई कार्यावलि नहीं परिचालित की गई है तथा न ही इसकी कार्यवाही का विवरण समिति के सदस्यों में परिचालित किया गया है । यह बात मैं देश के उस भाग के बारे में कह रहा हूं जहां से कि मैं आया हूं ।

†**श्री एस० एन० मिश्र :** यदि मुझे कोई खास शिकायत मिलती है तो मैं उसकी जांच के लिये तैयार हूं ।

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) :** हमें कुछ शिकायतें मिली हैं। जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है मैं उसका अभिप्राय समझता हूँ । हमें अन्य सदस्यों से भी ऐसी ही कुछ शिकायतें मिली हैं । इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है और हम इसकी जांच कर रहे हैं । सब जगह एक जैसी ही स्थिति नहीं है । कुछ स्थानों पर समितियां बहुत अच्छी प्रकार से कार्य कर रही हैं । कुछ स्थानों पर शिकायतें हैं वहां हम उनकी जांच कर रहे हैं ।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** क्या माननीय मंत्री को यह समरण है कि मैंने यह बात पहली परामर्शदात्री समिति के सामने विशेष रूप से रखी थी और वह उस समय उसके सदस्य थे ? इन चार वर्षों में हमें कोई भी अनुतोष नहीं प्राप्त हुआ है ।

†**श्री नन्दा :** हाँ आपने यह बात रखी थी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जब कभी आप कोई जबानी वक्तव्य दें आपको उसे लिख कर भी भेजना चाहिये ।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** मैं यह विषय समिति के ध्यान में लाया था । उसका जैसे मैं सदस्य था वैसे ही मंत्री महोदय भी एक सदस्य थे । उसके बाद इन चार वर्षों में हमें समिति की न कोई कार्यावलि मिली है और न ही उसकी कार्यवाही का कोई विवरण मिला है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका अर्थ है कि उसके बाद कोई भी अनुस्मारक नहीं भेजा गया है ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विकास कार्यक्रम बड़ी अच्छी प्रकार से चल रहा है, क्या सरकार इस कार्यक्रम के लिये कुछ और धन लगाने का विचार कर रही है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** हमने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस कार्य के लिये १५ करोड़ रुपये की निधि रखने का निश्चय किया है ।

†**श्री के० के० बसु :** इस १५ करोड़ रुपये का स्थानीय विकास परियोजनाओं की मांग से क्या अनुपात है ? क्या यह सत्य है कि कई अवस्थाओं में स्थानीय निकायों द्वारा एकत्रित किया गया अंशदान भी, जो नियमों के अनुसार कुल धन का आधा होता है, धन की कमी के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** सम्भवत: माननीय सदस्य राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक परियोजनाओं पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री नन्दा :** यह सत्य है कि स्थानीय कार्यों की मांग के अनुरूप उपयुक्त उपबन्ध नहीं किये जा रहे हैं । किन्तु यह बात अन्य सभी प्रकार के कार्यों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर भी लागू होती है । प्रत्येक

†मूल अंग्रेजी में

विभाग में ऐसी ही कठिनाइयां हैं। कुल मिला कर संसाधनों की कमी के कारण हम पर्याप्त उपबन्ध नहीं कर पा रहे हैं ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : इस समिति के सदस्य के नाते हमारा यह अनुभव है कि विचाराधीन कार्यों के लिये हमसे बिल्कुल परामर्श नहीं किया गया है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वह भारतवर्ष की विभिन्न समितियों को प्रत्येक ज़िले में, उनकी शक्तियों तथा कार्यों के सम्बन्ध में निदेश जारी करन तथा सदस्यों को योजना में सम्मिलित करने के लिये कुछ अत्यावश्यक प्रस्ताव रखने तथा उन्हें पारित करने का अधिकार देने की आवश्यकता पर विचार करेंगे ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मैं केवल यही कह सकता हूँ कि इन विकास समितियों के सामान्य कार्यों के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत असन्तोष हो सकता है किन्तु, स्थानीय कार्यों के सम्बन्ध में विशेष रूप से मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि वे बिल्कुल अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अमरीकी राष्ट्रजनों को बहुप्रवेश वाले दृष्टांक (मल्टी वीसा)

*१०९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अमरीकी राष्ट्रजनों को बहुप्रवेश वाले दृष्टांक दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया है, ताकि भारतीय राष्ट्रजनों को अमरीका में उसी प्रकार की सुविधायें मिल सकें; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री क सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) तथा (ख). नई दिल्ली के अमरीकी राजदूतावास ने भारत सरकार से दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे देश द्वारा मल्टी जर्नी वीज़ा (बहु-यात्रा वीज़ा) जारी करने के लिये आपसी क़रार करने को कहा था। पूरे तौर पर विचार करने के बाद, भारत सरकार ने अमरीकी राजदूतावास को सूचित किया कि वह उनके साथ ऐसा क़रार करने के लिये तैयार नहीं है ।

भारतीय चलचित्र (फिल्म) उद्योग

*११२. **श्री भागवत झा आज़ाद** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व जर्मनी की सरकार ने भारतीय चलचित्र उद्योग को कोई सहायता देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है; और

(ग) क्या इस सुझाव के अन्तर्गत कच्ची फिल्म अर्थात् चित्र उतारने के काम आने वाली फिल्मों के उत्पादन के लिये कोई सुझाव है?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). भारत सरकार की प्रार्थना पर पूर्व जर्मनी की सरकार ने भारत में कच्ची फिल्मों का निर्माण चालू करने की सम्भावनाओं की खोज करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल भेजा है। आवश्यक पर्यवेक्षण करने के बाद ये विशेषज्ञ एक प्रारम्भिक योजना रिपोर्ट उपस्थित करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सरकारी वास्तुशास्त्री

†*११४. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में दूसरे मन्त्रालयों द्वारा प्रस्तावित कार्यों के लिये ग़ैर-सरकारी वास्तुशास्त्री, जिन्हें दूसरे मन्त्रालयों को कुल व्यय का ५ से ७।। प्रतिशत तक देना पड़ता है, रखने की स्वीकृति देने की कार्यप्रणाली विद्यमान है; और

(ख) क्या सरकार इस मन्त्रालय के वास्तुशास्त्री विभाग को बढ़ाने का विचार रखती है ताकि, वह कम से कम भारत सरकार की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सके?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये वास्तुशास्त्री विभाग अभी अभी बढ़ाया जा चुका है और आगे भी जब-जब और जैसी आवश्यकता पड़ेगी इसको बढ़ाया जायगा ।

बचा खुचा लोहा

†*११७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में बचे खुचे लोहे (सक्रेप आयरन) के मूल्यों पर नियंत्रण हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) १९५५-५६ में देशी उपभोक्ताओं ने कुल कितने सक्रेप आयरन की खपत थी?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) लगभग ६,३५,००० टन ।

चाय की फसल

†*११९. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ की प्राक्कलित चाय की फसल कितनी है; और

(ख) इस प्राक्कलन में औसत तथा ऊँचे दर्जे की चाय की कितनी-कितनी मात्रा है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) चाय की फसल का प्राक्कलन पत्री वर्ष के हिसाब से लगाया जाता है । १९५५ के पत्री वर्ष के दौरान में चाय की फसल लगभग ६६ करोड़ २० लाख पौंड थी ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

कपड़े पर हाथ की छपाई का उद्योग

†*१२०. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतवर्ष में कपड़े पर हाथ की छपाई के उद्योग को कपड़े की मिलों से उग्र प्रतियोग्यता का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इस समय देश में हाथ की छपाई के उद्योग में कुल कितने लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें कितने एकक लगे हुये हैं; और

(ग) सरकार उस उद्योग के विकास के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) इस समय इस उद्योग में भारतवर्ष में लगभग ८०,००० कर्मचारी हैं और इसके ४,८७२ एकक हैं ।

(ग) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड बड़े पैमाने के उद्योग के मुकाबले में हाथ की छपाई के उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने का विचार कर रहा है । इस जांच के पूरा हो जाने पर इस उद्योग के विकास के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ।

खादी

*१२७. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बर चर्खे से काते गये सूत से बुना हुआ कपड़ा खादी समझा जायगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस कपड़े पर भी तीन आना प्रति रुपया कमीशन दिया जायगा ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) तथा (ख). ये प्रश्न विचाराधीन हैं ।

लाहौर पारनयन शिविर

†*१३२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय लाहौर पारनयन शिविर में कितनी महिलायें रुकी हुई हैं; और

(ख) इस वर्ष के दौरान में कितनी महिलायें तथा बच्चे भारत में भेजे गये ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) ३९ ।

(ख) २१ ।

सिंध नदी जल सम्बन्धी विवाद

†*१३३. { **श्री एन० एम० लिंगम** :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री ७ दिसम्बर १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिन्ध नदी के जल सम्बन्धी विवाद के बारे में चल रही बातचीत में कोई प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : सिन्ध नदी का उपयोग करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास तथा पुनर्निमाण बैंक के मध्यम से एक व्यापक इंजीनियरी योजना बनाने की अभी बातचीत चल रही है ।

सरकारी भवन निर्माण फैक्टरी

†*१३४. **श्री कामत** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी में उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सी वस्तुएं बनती हैं और प्रति मास प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा बनती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) फैक्टरी में अब भी वह वस्तुएँ बन रही हैं जो सरकार द्वारा इसे १६-८-५५ को लेने से पहले इस में बन रही थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२]**

अम्बर चरखा

†*१३६. **श्री राधा रमण :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री वीरस्वामी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंबर चरखों के निर्माण के लिये तथा गांवों में खादी के उत्पादन के लिये उनकी पुर:स्थापना करने के लिये कोई अग्रिम योजना स्वीकृत की है;

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा आगामी वित्त वर्ष में कितने अंबर चरखे बनाये जायेंगे तथा चालू किये जायेंगे; और

(ग) यह योजना वास्तव में कब चालू की जायेगी?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)**:(क) अंबर चरखा की उत्पादन क्षमता तथा इसके द्वारा काते गये सूत की हथकरघा उद्योग में उपयोगिता का अनुमान लगाने के लिये ६,००० अंबर चरखों के निर्माण की एक अग्रिम योजना स्वीकृत की गई है। यह चरखे देश भर में १०० केन्द्रों में कार्य में लाये जायेंगे ।

(ख) इस योजना में १५ प्रशिक्षण तथा १०० कार्य केन्द्र खोलने का उपबन्ध किया गया था। जब इन प्रयोगों का, जो अब किये जा रहे हैं, परिणाम मालूम हो जायेगा तब आगामी वित्त वर्ष में एक बड़े पैमाने पर अंबर चरखे चलाने का निश्चय किया जायेगा ।

(ग) यह योजना कुछ ही महीनों से कार्यान्वित हो रही है और इसकी कार्य संचालन के सम्बन्ध में ३० अप्रैल १९५६ तक एक रिपोर्ट मिलने की आशा है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*१३७. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री जी० एल० चौधरी :
पंडित डी० एन० तिवारी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योग सेवा की क्षेत्रीय संस्थाओं में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने क लिये पदाधिकारी रखे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार का कार्य करेंगे?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) ये अफसर सम्बद्ध क्षेत्र का पर्यवेक्षण करेंगे और 'उद्योग सम्भावना' रिपोर्टें तैयार करेंगे जिन में ये सिफारिशें की जायेंगी कि विभिन्न क्षेत्रों में किन-किन उद्योगों का विकास किये जाने या नये सिरे से चलाये जाने की सर्वोत्तम सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमजीवी पत्रकार

†*१३८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :**
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी .

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम १९५५ की धारा २० (१) के अन्तर्गत नियमों को अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो किस कारण से; और

(ग) उनके निश्चित होने की कब तक सम्भावना है ?

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग). प्रारूप नियमों पर चर्चा की जा रही है। उनके अंतिम रूप में निश्चित होने में कुछ समय लग जायेगा क्योंकि उनपर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है तथा सम्बन्धित हितों से भी उन पर परामर्श लेना आवश्यक होता है।

इटली से आयात तथा निर्यात

†*१३९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने १९५५-५६ में इटली से कितने मूल्य का माल आयात किया तथा कितने मूल्य का माल इटली को निर्यात किया ; और

(ख) इस वर्ष के दौरान में इटली से आयात की गई मुख्य-मुख्य मशीनरी, यदि कोई हो तो, का नाम ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**

रूरकेला इस्पात कारखाना

†*१४०. **डा० रामा राव :**
श्री मोहन राव :

क्या **लोहा तथा इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक रूरकेला इस्पात कारखाने के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस इस्पात के कारखाने के सहायक उद्योगों के रूप में किन-किन उद्योगों के विकास का खयाल किया गया है?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ख) कोक ओवन और कोलतार उपोत्पादों पर आश्रित कुछ विशिष्ट सहायक उद्योगों तथा नाइट्रोजन से बनने वाली खाद की फैक्टरियों के विकसित होने की सम्भावना हो सकती है। सरकार अभी इस मामले पर विचार कर रही है किन्तु अभी तक कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया है।

कोरिया के युद्धबन्दी

†*१४२. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री डी० सी० शर्मा :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वोडयार :
श्री कामत :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) भारत में आने के पश्चात कोरिया के कितने युद्धबन्दियों को अभी तक अपने घर वापस भेजा गया है;

(ख) क्या ब्राजील को छोड़ कर अन्य किन्हीं देशों ने भी इन भूतपूर्व बन्दियों में से कुछ को लेने का प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हाँ, तो वह कौन से देश हैं और उन्होंने कितने भूतपूर्व बन्दियों को लेने का प्रस्ताव रखा है?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) कुल ६, २ चीन को तथा ४ उत्तरी कोरिया को ।

(ख) और (ग). जी हां, मैंकसिको और अर्जेनटीना । अभी यह बताना संभव नहीं है कि यह देश कितने कितने भूतपूर्व बन्दियों को स्वीकार करेंगे । इस मामले में अभी बातचीत चल रही है ।

नमक

†*१४३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थना :
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या **उत्पादन** मंत्री २४ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन निबंधनों और शर्तों पर सैंधा नमक का संभरण विभिन्न राज्यों को किया जा रहा है;

(ख) प्रत्येक राज्य को आवण्टित अभ्यंश क्या है;

(ग) अभ्यंश किस आधार पर आवाण्टित किये गये हैं;

(घ) क्या इसे नियंत्रित दामों पर बेचा जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो दाम किस आधार पर निर्धारित किया जायेगा ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ङ). वह निवन्धन तथा शर्तें जिन पर राज्यों को सैंधा नमक दिया जायेगा, उनके लिये अभ्यँशों का आवण्टन किया जायेगा और विक्रय के लिये दाम निर्धारित किया जायेगा आदि बातें विचाराधीन हैं ।

गोआ

†*१४४. **श्री गाडिंलिगन गौड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिस्र की सरकार ने दिल्ली स्थित मिस्री राजदूतावास के प्रथम सचिव को गोआ में भारतीय हितों की निगरानी रखने के लिये प्रेक्षक नियुक्त किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या प्रेक्षक ने पुर्तगाली प्राधिकारियों से राजनैतिक बन्दियों की दशा और गोआ में कच्चे लोहे की खानों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों के भारत वापस भेजने के बारे में बातचीत की है?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). दिल्ली स्थित मिस्री राजदूतावास का एक पदाधिकारी भारतीय नजरबन्दों के कल्याण तथा उनसे सम्बन्धित मामलों का पता लगाने के लिये गोआ गया हुआ है। उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

निकोवाल घटना

†***१४५. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** ७ दिसम्बर, १९५५ को पूछे कये तारांकित प्रश्न संख्या ५९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ मई, १९५५ को निकोवाल सीमा पर हुई घटना के पीडितों को प्रतिकर का भुगतान करने के संबंध में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय मामला किस अवस्था में है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जी.नहीं । पाकिस्तान सरकार को अन्तिम बार ३० सितम्बर, १९५५ को इस संबंध में लिखां गया था और अभी उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

लंका के भारतीयों का प्रत्यावर्तन

†***१४६. श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५४ के भारत-लंका समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद लंका स्थित कितने भारतीय राष्ट्रजनों का प्रत्यावर्तन हुआ है ; और

(ख) वापस आये हुये व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये सरकार के पास कैसी योजनायें हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) १९ नवम्बर, १९५५ तक लंका की प्रत्यावर्तन योजना के अन्तर्गत ७,५९४ भारतीय भारत वापस आये ।

(ख) अभी तक भारत सरकार ने लंका से वापस आये भारतीयों के पुनर्वास के लिये कोई योजना नहीं बनाई है ।

इस्पात छीलन का निर्यात और आयात

†***१४७. श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ के दौरान में देश से कितनी मात्रा में इस्पात छीलन का निर्यात हुआ; और

(ख) क्या हमारे देश में इस का आयात भी हुआ है?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) २७८,०२४ टन पिघलाया जाने वाली छीलन जो फिर से रोल किये जाने योग्य नहीं है ।

(ख) जी हाँ, उस प्रकार का छीलन जिसको फिर से रोल किया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवेली की लिगनाइट खानें

†*१४८. **डा० रामा राव :**
श्री मोहन राव :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली लिगनाइट खानों से पम्प द्वारा पानी निकालने का काम संतोषजनक रहा है;

(ख) अग्रेतर काम के किये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) कौन-कौन से सहायक उद्योगों का वहाँ विकास किया जायेगा?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) पम्प से पानी निकालने का परीक्षण फरवरी, १९५६ के अन्त में प्रारंभ होने वाला है और १०० दिनों तक होता रहेगा ।

(ख) पम्पों से पानी निकालने के आगामी परीक्षण के परिणामों के मालूम होने के पूर्व खुदाई के कामों के लिये भूमि के अर्जन और नगर के निर्माण आदि की योजनाएँ तैयार की जा रही हैं ।

(ग) मोटर स्पिरिट, अलकतरा तथा अन्य उप-उत्पादों के उत्पादन की संभावना पर कालान्तर में विचार किया जायेगा । ऐसा विचार है कि तापीय विद्युत शक्ति केन्द्र स्थापित करने के अतिरिक्त उर्वरकों के उत्पादन तथा लिगनाइट की राख का डला बनाने का काम भी शुरू किया जायेगा ।

प्रलेखीय चल-चित्र

†*१४९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५ में कुल कितने प्रलेखीय चल-चित्र विदेशों को भेजे गये; और

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**:(क) वर्ष १९५५ के दौरान १५४ प्रलेखीय चल-चित्र विदेशों को भेजे गये थे ।

(ख) जिन देशों को चल-चित्र भेजे गये थे, उनके नाम बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४५]**

पेप्सू में विकास परियोजनायें

†४९. **श्री आर० के० गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५-५६ के लिये पैप्सू सरकार ने कितनी और किन-किन विकास परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) कितनी और किन-किन परियोजनाओं के लिये सहायता मंजूर की जा चुकी है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) क्या इस प्रकार स्वीकृत कुल राशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)**: यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत सेवक समाज

†५०. **श्री आर० के० गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज ने १९५३ से १९५५ तक पेप्सू में कुल कितनी राशि व्यय की;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस अवधि में सरकार को इस (भारत सेवक समाज) से कुल कितनी योजनाएँ प्राप्त हुईं; और;

(ग) इन वर्षों में कुल कितनी योजनाओं को मंजूर किया गया ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) से (ग). प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है।

इस्पात का आयात

†५१. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६, १९५७ और १९५८ में कितनी मात्रा में इस्पात का आयात करने का विचार है; और

(ख) यह मात्रा किन भिन्न-भिन्न देशों से आयात की जायगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) वर्ष १९५६ से १९५८ तक लगभग ५० लाख टन।

(ख) जिस देश से सुविधाजनक दामों पर और जल्दी मिल जायेगा वहीं से आयात किया जायेगा।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

†५२. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय रेशम बोर्ड में कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) उनमें से कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) पैंसठ।

(ख) बोर्ड के सभी कर्मचारी ५ पदाधिकारियों को छोड़कर जो किन्ही राज्य सरकारों के अन्तर्गत स्थायी नियुक्ति पर हैं, अस्थायी हैं। उनको स्थायी बनाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

भारत में नेपाल सरकार के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

†५३. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल से कुछ पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये भारत भेजा गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके पद नाम, उनकी संख्या और उनके प्रशिक्षण की अवधि क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)**: (क) और (ख). जी, हाँ। नेपाल सरकार अपने कुछ पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये भारत भेज रही है। अभी तक उपसचिव पद के ६ पदाधिकारी भेजे जा चुके हैं और उनके प्रशिक्षण की अवधि ३ महीने से १२ महीने तक भिन्न-भिन्न है। अभी तक नेपाल सरकार के सचिव पद का कोई पदाधिकारी प्रशिक्षण के लिए भारत नहीं भेजा गया है।

लंका को अवैध उत्प्रवास

†५४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के दौरान लंका को होने वाले अवैध उत्प्रवास को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रयोजन के लिये विशेष पुलिस पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इन कर्मचारियों पर कितना धन व्यय हुआ ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सरकार ने निम्न कार्यवाही की है :

(१) दुरभिकर्त्ताओं, अनुत्तेजकों तथा संभावित अवैध उत्प्रवासियों का अभियोजन;

(२) स्थानीय पुलिस तथा विशेष पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्वाइण्ट केलीमेर तथा तूतीकोरिन के बीच समुद्र तट पर पहरा;

(३) उत्प्रवासी पदाधिकारियों द्वारा पुलिस की सहायता से छापे मारना;

(४) सूचना देने वालों को इनाम देना;

(५) समाचारपत्रों, रेडियो तथा अन्य साधनों जैसे परचे, इश्तहार आदि से प्रचार करके लोगों को यह बताना कि अबैध उत्प्रवासियों को क्या-क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं और उनको इस प्रकार उत्प्रवास न करने की सलाह देना;

(६) उत्प्रवास, पुलिस और सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच निकट सम्बन्ध रखना और अवैध उत्प्रवास के लिये बदनाम श्रेत्रों पर कड़ी निगरानी रखना ।

(ख) ३० सितम्बर, १९५५ तक के लिए स्वीकृत विशेष पुलिस कर्मचारियों में एक इन्सपेक्टर, २ सब-इन्सपेक्टर, ४ हेड कान्सटेबिल तथा १२ कान्सटेबिल थे और उस तिथि के बाद एक इन्सपेक्टर, एक सब-इन्सपेक्टर, ३ हेड कान्सटेबिल और १० कान्सटेबिल थे ।

(ग) १९५५ के दौरान का वास्तविक व्यय अभी तक पता नहीं है । १९५५-५६ का अनुमानित व्यय ५८,००० रुपये है ।

मोटर गाड़ी उद्योग

†**५५. श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में भारत में मोटर गाड़ी बनाने वाले कितने कारखाने थे; और

(ख) १९५५ में कुल कितनी मोटर गाड़ियाँ बनीं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) छः

(ख) पुर्जे इकट्ठा करके बनाई गयी निर्मित मोटर गाड़ियों की कुल संख्या १०,२९७ थी ।

विदेशों में भारतीय

†**५७. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैलजियम, ब्राजील, चिली, फिनलैण्ड तथा पोलैण्ड में भारतीयों की संख्या कितनी है; और

(ख) वे क्या कारोबार करते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

कोयला

५८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में भारतीय रेलों के लिये कुल कितना कोयला खरीदा गया है और उसमें कोक बनाने का कोयला कितना था;

(ख) कुल खरीदे गये कोयले में से कितने प्रतिशत कोयला सरकारी खदानों से खरीदा गया है;

(ग) क्या सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी खदानों से खरीदे गये एक ही प्रकार के कोयले की दरों में कुछ अन्तर था;

(घ) यदि हां, तो कितना; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि ग़ैर-सरकारी खदानों से घटिया किस्म का कोयला नहीं दिया जाता क्या प्रबन्ध किया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १९५४-५५ में भारतीय रेलों के लिये कुल १ करोड़ १६ लाख ६० हजार टन कोयला खरीदा गया और उसमें से ४७ लाख ९० हजार टन कोक बनने लायक कोयला था ।

(ख) २१.७६ प्रतिशत ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) कर्मचारियों द्वारा कोयले के दिन-प्रति दिन किए जाने वाले लदान के निरीक्षण के अतिरिक्त, समय-समय पर रेल के ठेलों में लदे हुए कोयले की जांच की जाती है । खानों के अन्दर भी निरीक्षण किया जाता है कि कोयला केवल उसी भाग से निकाला जाये जहां किस्म अच्छी है ।

भारतीय मानक संस्था

५९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में भारतीय मानक संस्था के लिये कितना धन स्वीकृत किया गया था और वह उस संस्था के वार्षिक व्यय का कितना प्रतिशत था;

(ख) प्रमाण-पत्र देने की योजना के अन्तर्गत मानक संस्था को उस वर्ष कुल कितनी आय हुई और कुल कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये; और

(ग) भिन्न-भिन्न उद्योग प्रमाण पत्रों की शर्तों के अनुसार कार्य करते हैं इसे देखने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) (१) ५.१३ लाख रु० (२) ५८.७ प्रतिशत ।

(ख) (१) केवल २०० रु० (२) चार । ये ७-१२-५५ को स्वीकृत किये गये थे ।

(ग) लाइसेन्सदार को भारतीय मानक संस्था का संतोष देने वाली ऐसी किस्म-नियन्त्रण प्रणाली

---

†मूल अंग्रेजी में

अपनानी पड़ती है जो उसे दिये गये सर्टीफिकेट की शर्तों के अनुरूप हो। संस्था के निरीक्षण यह देखने के लिये कि लाइसेन्सदार शर्तों का पालन करता है या नहीं समय समय पर निरीक्षण करते हैं।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

†६०. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री कृष्णा चार्य जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक की अवधि के दौरान उचित दृष्टाँकों और परिषत्रों के साथ पूर्वी पाकिस्तान से कुल कितने विस्थापित व्यक्ति भारत में आये; और

(ख) इसी अवधि में और इसी ढंग से कुल कितने मुसलमान भारत से पाकिस्तान—पश्चिमी और पूर्वी—गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्ति परिपत्रों और दृष्टाँकों के आधार पर नहीं आते बल्कि पाकिस्तान स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी किये गये प्रव्रजन प्रमाण पत्र के आधार पर आते हैं और उन्हें दृष्टांक की आवश्यकता नहीं पड़ती। नवीनतम जानकारी के अनुसार पत्री वर्ष १९५५ में पूर्वी पाकिस्तान से २,४०,४०० व्यक्ति भारत में आये ।

(ख) उसी अवधि में भारत से पश्चिमी पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की संख्या ४४,७२८ है और पूर्वी पाकिस्तान को जाने वालों की संख्या २९ है।

नमक

†६१. **श्री बूबराघस्वामी :** क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी नमक कारखानों और निजी नमक कारखानों में प्रति वर्ष औसतन कितनी मात्रा में नमक का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) छोटे पैमाने पर नमक के उत्पादक कुल कितने हैं और प्रति वर्ष उनका औसतन उत्पादन क्या है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और** (ख). **लोक-सभा के पटल पर एक विवरण** रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]**

लंका की नागरिकता

†६२. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री एम. एस. गुरुपादस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ वर्ष के दौरान में अक्टूबर, १९५५ से लंका की नागरिकता के लिये भारतीय उद्भव के लोगों के कितने आवेदनपत्र अब तक निबटाये जा चुके हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने व्यक्तियों को लंका की नागरिकता दी गई है और कितने आवेदनपत्र अब तक अस्वीकार किये गये हैं;

(ग) अभी कितने आवेदनपत्र विचाराधीन हैं;

(घ) लंका की नागरिकता के लिये उनके आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाने के बाद भारतीय उद्भव के कितने व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी गयी; और

(ङ) अभी ऐसे कितने आवेदनपत्र विचाराधीन हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अक्टूबर से नवम्बर, १९५५ की अवधि में ७,३७९ आवेदनपत्र अंतिम रूप से निबटाये गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रारंभ से नवम्बर, १९५५ तक ३७,३०४ व्यक्ति लंका के नागरिक के तौर पर पंजीकृत किये गये, १,९१,९२९ लोगों के ५९,४६४ आवेदनपत्र अस्वीकार किये गये और १,६६,८७० आवेदनपत्र अभी विचाराधीन हैं ।

(घ) और (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्यों को अनुदान

†६३. **श्री गार्डलिंगन गौड़** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने १९५५-५६ में आन्ध्र राज्य को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : अनुदान और ऋणों के रूप में कुल १७,५०,४२३ रुपये मंजूर किये गये हैं । (अनुदान—५,१६,२८३ रुपये, ऋण—१२,३४,१४० रुपये)

आल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी)

*६४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों पर कितने संगीत-निर्देशक नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) उनके चुनाव का क्या तरीका है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) के किसी स्टेशन पर कोई संगीत-निर्देशक नियुक्त नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६]

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	८७–११०
१०८	रूरकेला इस्पात कारखाना ...	८७–८८
११०	प्रशिक्षण की सुविधायें	८८–८९
१११	प्रदर्शनियां ...	८९–९०
११३	संश्लेषित तैल कारखाना	९०
११५	प्रतिकर के दावे ...	९१
११६	जर्मनी में प्रदर्शनी	९२
११८	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	९२–९३
१२१	लोहे और इस्पात का संभरण	९३–९५
१२२	प्रतिकर के दावे ...	९५–९७
१२३	रेशम उद्योग	९७–९८
१२४	पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित कृषकों को प्रतिकर	९८–९९
१२५	श्री टी० के० चौधरी, संसद् सदस्य की रिहाई ...	९९–१०२
१२६	नमक	१०२–१०४
१२८	नाहन फाउन्ड्री लिमिटिड	१०४–१०५
१२९	लेखन सामग्री संग्रहागार (डिपो) ...	१०५–१०६
१३०	श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड ...	१०६–१०७
१३१	स्थानीय निर्माण कार्यक्रम	१०७–११०
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	११०–१२२

तारांकित प्रश्न संख्या		
१०९	अमरीकी राष्ट्रजनों को बहुप्रवेश वाले दृष्टांक (मल्टी वीसा) ...	११०
११२	भारतीय चलचित्र (फिल्म) उद्योग	११०
११४	सरकारी वास्तुशास्त्री	१११
११७	बचा खुचा लोहा	१११
११९	चाय की फसल ...	१११
१२०	कपड़े पर हाथ की छपाई का उद्योग	१११–११२
१२७	खादी	११२
१३२	लाहौर पारनयन शिविर ...	११२
१३३	सिन्ध नदी जल सम्बन्धी विवाद ...	११२

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमश:)	
१३४	सरकारी भवन निर्माण फैक्टरी	... ११२–११३
१३६	अम्बर चरखा ...	... ११३
१३७	छोटे पैमाने के उद्योग	११३
१३८	श्रमजीवी पत्रकार	११४
१३९	इटली से आयात तथा निर्यात	११४
१४०	रूरकेला इस्पात कारखाना	११४
१४२	कोरिया के युद्धबन्दी	... ११४–११५
१४३	नमक ...	११५
१४४	गोआ ...	... ११५–११६
१४५	निकोवाल घटना ...	११६
१४६	लंका के भारतीयों का प्रत्यावर्तन	११६
१४७	इस्पात छीलन का निर्यात और आयात ...	११६
१४८	निवेली की लिगनाइट खानें ...	११७
१४९	प्रलेखीय चलचित्र	११७
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
४९	पेप्सू में विकास परियोजनायें	११७
५०	भारत सेवक समाज ...	११७–११८
५१	इस्पात का आयात ...	११८
५२	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	११८
५३	भारत में नेपाल सरकार के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	११८
५४	लंका को अवैध उत्प्रवास	... ११८–११९
५५	मोटर गाड़ी उद्योग ...	११९
५७	विदेशों में भारतीय	११९
५८	कोयला	१२०
५९	भारतीय मानक संस्था ...	... १२०–१२१
६०	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति	१२१
६१	नमक	१२१
६२	लंका की नागरिकता	... १२१–१२२
६३	राज्यों को अनुदान	१२२
६४	आल इण्डिया रेडियो (आकाशवाणी)	१२२

GIPF—M3LSD—190—15-4-57.

खण्ड १ — अंक ६
२१ फरवरी, १९५६, (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खंड १—१५ फरवरी, १९५६ से ३ मार्च, १९५६ तक]

	पृष्ठ
संख्या १—बुधवार, १५ फरवरी, १९५६	
राष्ट्रपति का अभिभाषण	१–५
अध्यक्ष महोदय से सन्देश	६
श्री नटेशन का निधन	६
विशेषाधिकार प्रश्न ...	६–७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	७
स्थान प्रस्ताव—	
पुर्तगाली सशस्त्र सेना द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण	८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	८–१०
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	१०
प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक	११
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक	११
दैनिक संक्षेपिका ...	१२–१५
संख्या २—गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६	
श्री मेधनाद साहा का निधन	१७
दैनिक संक्षपिका ...	१८
संख्या ३—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर राज्य में गोली चलाना –	१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२०–२२, २३
ग़ैर-सकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	२१, ४६–४७
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक	२१
बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक	२१–२२
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक	२२
जीवन बीमा निगम विधेयक ...	२२
लोक-सभा का कार्य	२३, ४६
विशेषाधिकार का प्रश्न ...	२३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, ...	२४–४२
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४३–४६
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प	४७–६४
दैनिक संक्षेपिका	६५–६६

संख्या ४--शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	६८
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७–७०
खंड १--२९	७०–९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९७
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९७–१०४
खंड १--२ और अनुसूची ...	१०४–०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१०५
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१०५–०६
खंड १--२	१०६–०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१०७–१०
भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११०–१३
खंड १--९ और अनुसूची १--३ ...	११३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११४–१५
सेंट जान एम्बूलेंस एसोशिएसन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११५–१९
खंड १--२ और अनुसूची ...	११६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११६–१७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६
संख्या ५--सोमवार, २० फरवरी, १९५६	
आचार्य नरेन्द्र देव का निधन	१२७–२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२९
कार्य मंत्रणा समिति--	
इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१२९
दो सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई ...	१२९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ...	१३०–७०
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०–८३
खंडों पर विचार	१८३–८७
दैनिक संक्षेपिका	१८८

पृष्ठ

संख्या ६---मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १८९–९०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक--रायें १९०
राज्य-सभा से संदेश १९०
बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५६ १९१
प्राक्कलन समिति
उन्नीसवां प्रतिवेदन १९१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक--
खण्ड १९१–९३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १९३–९६
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव १९६–२३५
दैनिक संक्षेपिका ... २३६–३७

संख्या ७---बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

स्थगन प्रस्ताव--
कच्छ की खाड़ी के छाड़बेट में पाकिस्तानी सेना का बलात् प्रवेश २३९–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र २४१–४२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चालीसवां प्रतिवेदन ... २४२
समिति के लिये निर्वाचन--
दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ... २४३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव २४३–९१
दैनिक संक्षेपिका ... २९२–९३

संख्या ८---गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

सदस्य की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट ... २९५
रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ... २९५–३१३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव ३१३–५६
दैनिक संक्षेपिका ... ३५७

संख्या ९---शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५९
राज्य-सभा से सन्देश ३५९
भारत लाख उपकर (संशोधन) विधेयक ... ३५९
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकाएं ३५९–६०
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६०–७७
खण्ड २ और १ ... ३७७
पारित करने का प्रस्ताव ३७७–७८
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३७८–८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चवालीसवां प्रतिवेदन ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १७०क का रखा जाना) ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७क का रखा जाना) ३८६
विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक ... ३८६
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५, आदि के स्थान पर नई धारा रखना)--
विचार करने का प्रस्ताव ३८६-४०१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें ४०१
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४०१-०६
दैनिक संक्षेपिका ४०७-०८

संख्या १०--सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन ४०९-१६
दैनिक संक्षेपिका ४१७

संख्या ११--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

श्री लालचन्द नवलराय का निधन ४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९-२०
राष्ट्रपति से सन्देश ४२०
राज्य-सभा से सन्देश ४२०
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक ४२१
एक सदस्य की गिरफ्तारी ४२१
प्राक्कलन समिति--
बीसवां प्रतिवेदन ४२१
समिति के लिये निर्वाचन
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ४२१
कृषिउत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निर्गम विधेयक ४२१-२२
पूंजी निर्गन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४२२-२३
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४४३
पारित करने का प्रस्ताव ... ४४३
बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ४४४-६३
दैनिक संक्षेपिका ४६४-६५

संख्या १२--बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ४६७
विक्री-कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४६८-८८
खण्ड २, ३ और १ ४८९-९२
पारित करने का प्रस्ताव ४९२
सभा का कार्य ४९२
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४९२-५१०
१९५६-५७ के सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०-३२
वित्त विधेयक ५३२
दैनिक संक्षेपिका ५३३

संख्या १३--गुरुवार, १ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५
प्राक्कलन समिति--
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३५
सभा का कार्य--
बैठक का समय ५३५
१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६...७६
विनियोग विधेयक ५७६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५७६-९१
दैनिक संक्षेपिका ५९२

संख्या १४--शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३-९४
राज्य-सभा से सन्देश ५९४
विनियोग विधेयक ... ५९४
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५९५-६१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१२
सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं
की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ६१३-३५
मद्य निषेध के लिये अंतिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प ६३५
दैनिक संक्षेपिका ६३६

संख्या १५--शनिवार, ३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव ६३७-३८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६३९

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य ... ६३९

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ६३९–६८

खण्ड २ से १६ और १ ६६८–७७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६७७–७८

दैनिक संक्षेपिका ६७९

M87LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ – प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचनायें

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: मैं, उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५३ की चर्चा के समय दिये गये आश्वासन के अनुसार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिलिपि पटल पर रखता हूँ :

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४३६/आइ० डी० आर० ए/१८ए/१/५५ दिनांक ८ नवम्बर, १९५५ [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–३५/५६**]

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४३७/आइ० डी० आर० ए/१८ए/२/५५ दिनांक ८ नवम्बर, १९५५ [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–३६/५६**]

(३) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४४०/आइ० डी० आर० ए/१८ए/५/५५ दिनांक ९ नवम्बर, १९५५ [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–३७/५६**]

(४) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५६४/आइ ०डी० आर० ए/१८ए/३/५५ दिनांक २५ नवम्बर, १९५५ [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–३३/५६**]

(५) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५६५/आइ० डी० आर० ए/१८ए/४/५५ दिनांक २५ नवम्बर, १९५५ [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–३४/५६**]

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्ति [प्रतिकर तथा पुनर्वास] नियमों का संशोधन

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : मैं, विस्थापित व्यक्ति [प्रतिकर तथा पुनर्वास] अधिनियम, १६५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अधीन, विस्थापित व्यक्ति [प्रतिकर तथा पुनर्वास] नियमों, १६५५ में कुछ संशोधन करने वाली, अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३१/आर० ए० एम० डी० टी० ३ दिनांक ३१ दिसम्बर, १६५५ की एक प्रति पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस–४६/५६**]

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक पर रायें

†**श्री यू० सी० पटनायक** (घुमसूर) : मैं पत्र संख्या ७ जिसमें भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, १६५४ के सम्बन्ध में राय हैं तथा जिसको ३१ जुलाई, १६५५ को राय जानने के प्रयोजन से परिचालित किया गया था, पटल पर रखता हूँ।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश प्राप्त हुआ है :—

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा ने १६ फरवरी, १६५६ को हुई अपनी बैठक में संलग्न प्रस्ताव को पारित किया है जो प्रतिलिप्यधिकार विधेयक को सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में है और मुझे यह प्रार्थना करनी है कि उक्त प्रस्ताव में लोक-सभा की सहमति और उक्त प्रवर समिति में नियुक्त किये जाने वाले लोक-सभा के सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित किये जायें।"

प्रस्ताव

"कि प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी विधि का एकीकरण तथा संशोधन करने वाले विधेयक का निर्देश दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को किया जाये। इस सभा के १५ सदस्य अर्थात् श्री मुहम्मद वली उल्ला, प्रो० आर० डी० सिंह दिनकर, श्री जी० रंगा, श्री नवाब सिंह चौहान, डा० रघुवीर, श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीमती लीलावती मुन्शी, श्री राघवेन्द्रराव, डा० रघुबीर सिंह, श्री श्यामधर मिश्र, काका साहब कालेलकर, श्री अब्दुर्रज़ाक खां, श्री एन० बी० देशमुख, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, डा० के० एल० श्रीमाली हैं, तथा ३० सदस्य लोक-सभा के हैं;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये, संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई गणपूर्ति होगी;

कि अन्य विषयों के सम्बन्ध में, प्रवर समिति के सम्बन्ध में, इस सभा के प्रक्रिया नियम, सभापति द्वारा किये गये रूपभेदों तथा विभिन्नताओं से लागू होंगे;

कि यह सभा लोक-सभा से सिफारिश करती है कि लोक-सभा, इस संयुक्त समिति में अवश्य हिस्सा ले तथा संयुक्त समिति में लोक-सभा द्वारा नियुक्त सदस्यों की नामावलि इस सभा में भेज दें; और

कि समिति २५ मई, १६५६ को इस सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।"

(२) "राज्य सभा के प्रक्रिय तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६७ के उपबन्धों के अनुसार, मैं बहु एकक सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक १६५६ जिसको राज्य सभा ने १६ फरवरी, १६५६ को हुई अपनी बैठक में पारित किया है, की एक प्रति संलग्न करता हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहु-एकक सहकारी समिति संशोधन विधेयक

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं बहु-एकक सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९५६ को, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखता हूँ।

प्राक्कलन समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

†**श्री वी० जी० मेहता** (गोहिल वाड़) : उपाध्यक्ष महोदय : मैं रेलवे मंत्रालय सम्बन्धी एस्टीमेट कमेटी (प्राक्कलन समिति) की उन्नीसवीं रिपोर्ट लोक-सभा के पटल पर रखता हूँ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : चार दिन पहले विशेषाधिकार भंग के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। परन्तु हमें उसके बारें में अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विशेषाधिकार भंग का विषय क्या था ?

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : बाबू रामनारायण सिंह की गिरफ्तारी से उत्पन्न विशेषाधिकार भंग।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं शीघ्र ही पूछताछ करूँगा।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैंने भी एक विशेषाधिकार भंग सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना दी थी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं जाँच करने पर माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक

खण्ड ९—सभापति पद का आदि

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसके खण्ड १ तथा खण्ड ९ पर विचार किया जा रहा है पंडित ठाकुर दास भार्गव अपना भाषण जारी करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गाँव) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं लोक-सभा की खिदमत में दफा ९ के बारे में अर्ज़ कर रहा था। कल मैंने दफा ९ को पढ़ कर सुनाया था जिसकी कि रू से आल इंडिया इंस्टीच्यूट के जो मेम्बर्स होंगे या प्रेसीडेंट होंगे, उनके बारे में जो आफिस आफ प्राफिट (लाभ पद) का रिस्ट्रिक्शन (प्रतिबन्ध) है, उससे बरी किये जायेंगे यानी हर एक मेम्बर और उसके प्रेसीडेंट अगर वह इस हैसियत में होंगे तो उसके साथ में वह हाउस की मेम्बरी भी कर सकेंग और आइदर हाउस की मेम्बरी भी वह कर सकेंगे और आइदर की मेम्बरी के वास्ते वह खड़े हो सकेंगे।

लोक-सभा को याद होगा कि कल चन्द एक मेम्बर साहबान ने बड़ा सख्त ऐतराज़ किया था कि आल इंडिया इंस्टीच्यूट की गवर्निंग बॉडी का जो कम्पोज़ीशन (रचना) है उसमें बहुत सारे आफिश्यल्स हैं, नान आफ़िश्यल एलिमेंट (लोग) बहुत कम हैं। मैं समझता हूँ कि उनका ऐसा ऐतराज़ करना बिल्कुल दुरुस्त है और दरअसल इस इंस्टीच्यूट के अधिकतर मेम्बर्स नान आफिश्यल्स होने चाहियें। जहाँ तक हाउस के उन मेम्बरान का सवाल है जिनका हाउस इन्तखाब करेगा, यह बिल्कुल ठीक बात है कि हाउस के उन मेम्बरों के साथ किसी किस्म की डिसक्वालिफिकेशन नहीं आ सकती क्योंकि वे हाउस के एलेक्टेड मेम्बर्स होंगे, लेकिन ऐसे दूसरे असहाब के साथ जो इस बॉडी के मेम्बर होंगे, उनके साथ इस डिसक्वालि-फिकेशन को हटाना वाजिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस मिनिस्ट्री को अभी तक शायद यह इल्म ही नहीं है कि स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने काफी छान-बीन के बाद एक रिपोर्ट पेश

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कर दी है और कुछ उसूल क़ायम किये हैं और उसकी रिपोर्ट की कापी हर एक मेम्बर साहब को मुहैया की जा चुकी है। इस रिपोर्ट की रू से जितने भी वाइस चांसलर्स हैं उन सब को कमेटी की राय में ऐसा शख्स करार दिया गया है जिनके बारे में डिसक्वालिफिकेशन (अनर्हतायें) नहीं हटाई जायेंगी। इसके कम्पोज़ीशन (निर्माण) में मैं देखता हूँ कि एक वाइस चांसलर का ज़िक्र है, देहली युनिवरसिटी का वाइस चांसलर इस इंस्टीच्यूट (संस्था) का मेम्बर होगा और जाहिर है कि अगर कमेटी की राय मानी गई तो वह वाइस चांसलर डिसक्वालिफिकेशन के मातहत आ जायेंगे। इसके कम्पोज़ीशन में वाइस चांसलर को सबसे पहले जगह दी गई है और वह वाइस चांसलर डिसक्वालिफिकेशन से मुबर्रा कर दिये गये हैं। चाहिये तो यह था कि जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट लोक-सभा में बिल नहीं बन जाती उस वक्त तक इस क़िस्म की कोई प्राविज़न (उपबन्ध) नहीं रक्खा जाता और उस रिपोर्ट से कानफिलिक्ट (संघर्ष) की सूरत पैदा न होती और बेहतर होता कि इसके अन्दर यह जो एग्ज़ेम्शन (छूट) का सेक्शन (धारा) है वह न आता। अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट न तो लोक-सभा में कंसिडर हुई है और न ही उस पर कोई डिसीशन (विनिश्चय) लिया है। हमने यहाँ पर एक कानून पास किया था कि सन् १६५७ तक जो भी किसी कमेटी के मेम्बर हैं, उनको डिसक्वालिफाई होने से रोका गया है क्योंकि ऐक्ट जल्दी पास नहीं हो सकता था। एक्ट उस रिपोर्ट के बाद जल्दी ही आने वाला है और मेरी समझ में उसको पहले ही एंटिसिपेट (पूर्वावधारण) करके ऐसे अशखास को इसमें से मुबर्रा कर देना जो फिलवाकया बहुत सारे आफ़िशियल्स होंगे, यह वाजिब और दुरुस्त नहीं है। मालूम ऐसा होता है कि इस मिनिस्ट्री को अब तक इस रिपोर्ट का पता नहीं है और देखने में आया है कि इस मिनिस्ट्री को दूसरी और बहुत सी बातों का भी इल्म नहीं है। इस लोक-सभा में बहुत से ऐश्योरेंसेज़ (आश्वासन) रिफ्यूजीज के मकानात के बारे में दिये गये, उनकी बाबत भी जब यहाँ पर मिनिस्टर साहब के महकमे से पूछा गया कि आपने उन पर क्या अमल किया तो उन्होंने फरमाया कि हमको इन एश्योरेंसेज़ का पता नहीं है

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य, संसद् सदस्यों को अनर्हता सम्बन्धी छूट देने वाले उपबन्धों को सामान्य अधिनियम में रखना चाहते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा नम्र निवेदन है कि इस संस्था के सदस्य हमारे साथ न बैठे क्योंकि वह मंत्रालय के सरकारी कर्मचारी होंगे। यदि आप इस पर दृष्टिपात करें तो आपको जानकारी हो जायेगी कि अधिकांशत: इसमें सरकारी कर्मचारी ही होंगे। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्तियों की अर्हता निर्धारित होनी चाहिये। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि वह किसी अन्य विधेयक में इस प्रकार के उपबन्ध न रखें।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : मेरा विचार है कि खंड ६ अनावश्यक है। खण्ड ६ तभी लागू होगा जब कोई व्यक्ति चुनाव द्वारा सभाओं में न आकर केवल राज्य सभा में नाम निर्देशन से आता है तथा खण्ड ६ के अनुसार, इस संस्था के किसी सदस्य का नाम निर्देशन सरकार कर सकती है। मुझे आशा है कि सरकार का ऐसा विचार नहीं है। सरकार खण्ड ६ के द्वारा यह निश्चित करना चाहती है कि इसे लाभ-पद न घोषित किया जाय तथा इस संस्था के वह सदस्य, जो संसद के भी सदस्य हों, संसद के सदस्य बने रहें। और मेरे विचार से यह एक दम अनावश्यक है।

मेरा विचार है कि यह केवल सुरक्षितता के दृष्टिकोण से किया गया है। और सरकार का विचार यह नहीं ह कि वेतन भोगी का संसद में नाम निर्देशन हो।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : मैं इस खण्ड को वापस लेना चाहती हूँ। क्या मैं इस वापस ले सकती हूँ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर विचार किया जा रहा है और यह इस समय वापस नहीं लिया जा सकता। इसको सभा अस्वीकार कर सकती है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

खण्ड ९ विधेयक से निकाल दिया गया

खण्ड १ संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ संशोधन किया गया :

"पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '1955' (१९५५) शब्द के स्थान पर '1956' (१९५६) रख दिया जाय।"

—[राजकुमारी अमृत कौर]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ १, पंक्ति १ में 'Sixth year' (छठे वर्ष) शब्दों के स्थान पर 'Seventh year' (सातवें वर्ष) रख दिये जायें।"

—[राजकुमारी अमृत कौर]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में तथा नाम, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी): जामनगर में स्थापित की गई संस्था पर केवल १० लाख रुपया व्यय किया गया यद्यपि योजना में इससे अधिक की व्यवस्था है। हकीम अजमल खां द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक तथा तिब्बिया कालिज द्वारा भी धन का अभाव महसूस किया जा रहा है। यह केवल इसलिये है क्योंकि आयुर्वेद की ओर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान की ओर दिया जाता है और यह कहीं अच्छा होता यदि इस विधेयक का नाम एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान रखा जाता। मैंने अपने पहले भाषण में बताया था कि योजना आयोग ने एक निश्चित सिफारिश की थी कि भौतिक चिकित्सा पद्धति पर विचार करना चाहिये और सुविधायें दी जानी चाहिये। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से पूछा परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यय के सम्बन्ध में कोई ज़िक्र नहीं है परन्तु सितम्बर १९५४ के प्रगति प्रतिवेदन में दिया है कि इस पर १,६४,००,००० रुपया व्यय किया जायेगा। मैं यह जानना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहन लाल सकसेना]

चाहता हूँ कि इस संस्था पर प्रत्येक वर्ष कितना व्यय किया गया है। इसके साथ ही मैं कार्य मंत्रणा समिति से प्रार्थना करूँगा कि वह विभिन्न विषयों के लिये समय आवंटित करने में अधिक सावधानी बर्त लिया करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों के बारे में सूचना बोर्ड पर लगाने की व्यवस्था कराऊंगा जिसमें कार्यावलि दी गई होगी, जो सदस्य किसी विधेयक के बारे में समय आदि के लिये कोई विशेष बात कहना चाहें उन्हें इसका अवसर मिलेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप की ख़िदमत में छोटे से दो पायंट्स रखना चाहता हूँ। मैं विज़िनेस एडवाइज़री कमेटी (कार्य मंत्रणा समिति) का एक मेम्बर था। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि हमने ठीक किया या ग़लत किया। कमेटी ने इस सिलसिले में एक घंटा दिया या दो घंटे दिये, लेकिन इस वक्त मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है। इस बिल में साफ़ कहा गया है कि मेडिकल साइंसिज़ का एक आल-इंडिया इंस्टीच्यूट कायम किया जायगा, हम सब इसका मतलव यही समझे थे कि जितनी मार्डन साइंसिज़ हैं, उनका यह इंस्टीच्यूट बनेगा। लेकिन दौराने-बहस में आनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने फरमाया कि माडर्न साइंसिज़ से मेरा मतलब सिर्फ एलौपैथिक सिस्टम है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किस मेम्बर के दिमाग में यह बात आ सकती थी कि आनरेबल मिनिस्टर साहिबा ऐसा डिसक्लोज़र (बतायेगी) कर देंगी कि माडर्न साइंसिज़ मीन्ज़ (का अर्थ) ओन्ली (केवल) एलोपैथिक सिस्टम है। जनाबे वाला ने भी कल फरमाया था—और वह विलकुल बजा था—कि मार्डन साइंसिज़ के मानी होमियोपैथी भी हैं, यूनानी भी है और आयुर्वेदिक भी है। डा० सुरेश चन्द्र, जोकि इस बिल के हक में बोले थे, ने भी यही समझा और हर एक मेम्बर ने भी यही समझा। किसी को इस बात का ख्याल तक न था कि आनरेवल मिनिस्टर साहिबा, जो कि नैशनल कांग्रेस को बिलांग करती हैं, माडर्न साइंसिज़ में से यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम्ज़ को हटा देंगी। जनाबे वाला, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस बिल का नाम—दि आल-इंडिया इंस्टीच्यूट आफ़ मेडिकल साइंसिज़ बिल—मिसनामर (गलतनाम) है। जनाबे वाला का इन्टरप्रेटेशन (व्याख्या) दुरुस्त है कि इस में सब साइंसिज़ शामिल होंगी। अगर कभी यह मामला कोर्ट में गया तो आनरेवल मिनिस्टर साहिबा की इन्टरप्रैटेशन होल्ड वाटर नहीं करेगी (कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी) और अगर कोई दूसरा आनरेबल मिनिस्टर इस रकम को आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम पर भी खर्च करेगा, तो वह बिल्कुल जस्टिफ़ाइड (न्यायोचित) होगा और वह कार्यवाही अनकांस्टीच्यूशनल (असंवैधानिक) नहीं होगी।

जनाबे वाला ने निहायत खूबसूरती से फ़रमाया था कि सारे इंडिया के फ़ाइनेन्सिज़ (वित्त) खत्म नहीं हो गए हैं और मैं उन की इस बात की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज आनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने एलोपैथी के लिये पांच छः करोड़ रखे हैं, तो मुझे अभी देखना है कि कब वह आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम्ज़ के लिये कोई बड़ी रकम रखती हैं। मैं जानता हूं कि वह हरगिज़ कोई रकम नहीं देंगी। इसकी वजह यह है कि उनके दिमाग में यह बात नहीं है कि आयुर्वेद को बढ़ाना है। जनाबे वाला ने प्लीड (तर्क) किया था कि उस के लिये और रुपया मिल जायगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे उसकी आशा होती और अगर मुझे और फ़ाइनेन्सिज़ दिखाई देते, तो मैं उन को कानग्रैचुलेट करता (बधाई देता)। जो रुपया और साइंसिज़ के लिये खर्च होना चाहिये था, वह उनके लिये खर्च न कर के और देश को यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम्ज़ के बैनिफ़िट (लाभ) से डिप्राइव (वंचित) करके यहां दिया जा रहा है, इसलिये मैं इसको अपोज़ (विरोध) करता हूँ। क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिबा इतनी रक़म किसी और सिस्टम के लिये देंगी? मैं जानता हूँ कि वह नहीं देंगी। जनाब ने भावनगर का जिक्र किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं जानता हूँ कि वहाँ के लिये कितनी रकम दी गई है। जब स्वराज्य नहीं था, तो सब स्टेट्स में यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम्ज़ के लिये बड़ी बड़ी रकमें खर्च की जाती थीं। अगर नैशनल गवर्नमेंट के कायम होने के बाद उनको उन का हक न दिया जाय, उनको इस तरह इग्नोर (अपेक्षा) किया जाय और रिवाइव (फिर कायम) न किया जाय, तो मैं नहीं समझता कि वह कोई ठीक काम होगा।

इस बिल को छोड़ कर जहाँ तक दूसरे मामलात का सवाल है, मैं देखता हूँ कि इस मिनिस्ट्री में न विज़न (दृष्टि) है और न ही मैं उस में कोई काम करने की शक्ति पाता हूँ। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ कि हाउसिंग फैक्टरी की स्कीम हमारे जिस्म पर एक बड़ा जख्म लगा गयी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हाउसिंग फैक्टरी इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आती।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बहरसूरत उनको यह देख लेना चाहिये था कि आया इससे देश को कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि उनमें विज़न (दृष्टि) नहीं है—वह देख नहीं सकते कि देश का फ़ायदा किस बात में है। कहा गया है कि इससे रूरल (ग्रामीण) लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश के लोगों को कोई फ़ायदा होगा, उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ (सुविधायें) मिलेंगी और उनकी हैल्थ अच्छी होगी, तो इस सिस्टम से नहीं, जो कि बहुत महंगा है, बल्कि इस देश के अपने सिस्टम्ज़ से। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ दरअस्ल सारे सिस्टम्ज़ को डिप्राइव किया जायगा और सारे देश को नुक्सान पहुंचाया जायगा।

अगर महज़ साइंस का मामला होता तो आप करोड़ों रुपये खर्च कर देते मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होता। इधर आप कहते हैं कि हमारे यहां रुपया नहीं है और दूसरी तरफ आप ऐसी चीज़ों पर जो कि महज़ सपने हैं रुपया खर्च करते हैं, जैसे कि हाउसिंग फैक्टरी है। शरणार्थियों के साथ क्या सलूक किया गया। इस मिनिस्ट्री को पता नहीं है कि उसकी ड्यूटी क्या है। यह मिनिस्ट्री दिल्ली में ऐसा इन्सीट्यूट बना कर रूरल एरियाज़ को फायदा नहीं पहुंचा सकती। इस सारे बिल का कन्सेप्शन (कल्पना) ऐसा है कि इससे देश को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। इस सिस्टम से देश को कैसे फायदा पहुँच सकता है कि जिसकी एक पेटेंट मैडीसिन की एक डोज़ (खुराक) का दाम ४२ रुपया हो। सैकड़ों रुपया इलाज़ शुरू होने से पहले कौन खर्च कर सकता है, हो सकता है कि इस सिस्टम से दिल्ली के कुछ बड़े अफसरान को, मिनिस्टरान को और हम मेम्बरान को फायदा पहुंचे। लेकिन इस बिल के वास्ते यह कहना कि इससे रूरल एरियाज़ को फायदा पहुँचेगा गलत है और धोखे की बात है। मैं कहूँगा कि यह ऐसा बिल है कि इसको पास नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री जोकिम आल्वा** (कनारा) : मैं केवल दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक यह कि क्या सरकार जामनगर संस्था को पर्याप्त मात्रा में धन देने का विचार रखती है। दूसरे इस संस्था में पाँच व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित होंगे, क्या इन पाँच व्यक्तियों में से एक व्यक्ति—जिसकी आय ६०-७० वर्ष होगी, डायरेक्टर नियुक्त किया जायगा ? हम चाहते हैं कि इस पद पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो जिसकी आयु ५५ वर्ष से अधिक न हो।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में अधिक न कह कर केवल यह कहना चाहती हूँ कि जहां तक आयुर्वेद का सम्बन्ध है, केन्द्र ने आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धति के लिये प्रथम योजना में ३७·५ लाख रुपये की राशि रखी थी। जामनगर में एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की गई थी और स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था भी इसमें की गई थी। द्वितीय योजना में आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धति के लिये एक करोड़ रुपये की व्यवस्था है। कठिनाई यह है कि वैद्य इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाते जिससे इस धन का उपयोग किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[राजकुमारी अमृत कौर]

जहाँ तक होम्योपैथी का सम्बन्ध है कलकत्ते के कालिज का स्तर ऊंचा कर दिया गया है तथा स्नातकोत्तर अध्ययन का प्रबन्ध बम्बई सरकार के सहयोग से किया गया है। परन्तु मेरा विचार है कि अधिकांश लोग आधुनिक प्रणाली की चिकित्सा चाहते हैं।

इस संस्था पर व्यय की गई धन राशि के आंकड़े लोक-सभा में, कई बार बताये जा चुके हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस संस्था से आधुनिक चिकित्सा को बड़ा लाभ हुआ है तथा भविष्य में इससे देश की और अधिक सेवा होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी धन्यवाद प्रस्ताव पर कल के संशोधनों के अलावा निम्न संशोधन प्रस्तुत किए गए :—

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन संख्या**	**संशोधन का संक्षिप्त विषय**
श्री तुलसी दास	५९	प्रथम पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किए गए काम की सराहना न करना तथा द्वितीय योजना में इसकी क्षमता के महत्व को कम समझना।
	६०	देश में परिवहन की गम्भीर स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त संशोधन प्रस्तुत किये गये

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : कल मैं कह रहा था कि भाषावार प्रान्त रचना का जो परिणाम देश में हुआ उसको कांग्रेस सरकार ने देखा। कल बम्बई के मुख्य मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि बम्बई में केवल दंगे ही नहीं हो रहे थे बल्कि वहाँ की सरकार को उखाड़ने का प्रयत्न किया जा रहा था। इस प्रकार के परिणाम देखने के पश्चात् भी पता नहीं सरकार क्या नीति निर्धारित करेगी। जो चीज़ कल बम्बई में हो रही थी वही आज मद्रास राज्य में हो रही है और मदुराई, कोयम्बटूर और तंजौर में टियर-गैस चलायी जा रही है, बसों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। मालूम होता है कि वहाँ भी सरकार को उखाड़ देने की कोशिश हो रही है।

जब कांग्रेस ने देखा कि भाषवार प्रान्त बनाने का परिणाम भयंकर हो रहा है तो उसने द्विभाषी त्रिभाषी और चार भाषा वाले प्रान्त बनाने का प्रयोग शुरू कर दिया। बंगाल और बिहार का मर्जर (विलय) इसी प्रकार का प्रयोग है। इस प्रयोग के क्या परिणाम होंगे, पता नहीं। आप इस विषय की एक साल तक चर्चा चलाते रहे और अब आप जनता के सामने आते हैं और कहते हैं कि ये दो प्रान्त एक हो गये : हम समझते थे कि राष्ट्र एक हो रहा है। एक राष्ट्रीयता की भावना जनता में पैदा हो रही है। अब डा० विधान चन्द्र राय खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुख्य मंत्री एक वर्ष बंगाल का होगा और एक वर्ष बिहार का होगा। दोनों प्रदेशों के लिये रीजनल काउंसिल्स (प्रादेशिक परिषदें) होंगी। सर्विसों में भी दोनों क्षेत्रों का अनुपात भिन्न भिन्न होगा। यह कौन सी राष्ट्रीयता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह मेरी समझ में नहीं आता, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह तो दो पहलवानों की कुश्ती कराना है और यह देखना है कि बंगाल मजबूत है या बिहार मजबूत है। यह रीजनल काउंसिल का नया स्टंट बना कर यह किया जा रहा है कि जो एक प्रान्त हो सकता था वह भी दो प्रान्तों की शक्ल में रहेगा।

अब तक तो हम बंगाल और बिहार को एक करने की बात सोचते थे पर अब हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि आन्ध्र और तेलंगाना को मिला कर एक द्विभाषी राज्य बनाया जाने का विचार किया जा रहा है। आन्ध्र की भाषा तो तेलगू होगी पर तेलंगाना की क्या भाषा होगी। आज के पत्रों से मालूम होता है कि तेलंगाना की भाषा उर्दू होगी और उस क्षेत्र का शासन और शिक्षा का कार्य उर्दू भाषा में किया जावेगा। और इस संयुक्त राज्य का नाम विशाल आन्ध्र नहीं होगा बल्कि इसका नाम हैदराबाद होगा। जो हमको डर था वही हो रहा है। हम चाहते थे कि हिन्दुस्तान के नक्शे से हैदराबाद के मुस्लिम राज्य का नाम मिट जाय लेकिन वह नहीं हो रहा है। इस राज्य में तेलंगाना की भाषा उर्दू होगी।

इसी प्रकार पंजाब के लिये भी रीजनल काउंसिल होगी। मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश का गढ़ भी टूटने वाला है और वहाँ की प्रादेशिक भाषा उर्दू को भी माना जायेगा। शायद उत्तर प्रदेश में भी एक रीजनल काउंसिल बनेगी। इस प्रकार का षड़यंत्र देश में हो रहा है।

और एकता के नाम पर इस देश में दुहाई और झगड़े पैदा करने का षडयन्त्र रचा जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार पूर्व प्रदेश आसाम, बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन चारों को मिला कर जिनकी अलग अलग भाषायें हैं, कैसे एक प्रान्त बना सकते हैं और उसको एक प्रान्त कहते हैं। इस तरह से तो मैं कहूँगा कि आप सारे देश के प्रान्तों को मिला कर एक मल्टी लिंगुएल स्टेट (बहुभाषी राज्य) बना सकते हैं और एक मजबूत केन्द्र की स्थापना कर सकते हैं। मैं इस तर्क को नहीं मानता कि भाषावार प्रान्तों की रचना करने से देश की एकता भंग हो जायगी और हम कमज़ोर पड़ जायेंगे। आज हम देख रहे हैं कि आप राज्यों के विलय की बातें अपने स्तर पर कररहे हैं और सुनने में आ रहा है कि आप बिहार और बंगाल को मिला कर एक प्रान्त बनाने जा रहे हैं और इसी तरह और अन्य राज्यों को भी आपस में परस्पर विलय की वार्ता चल रही है लेकिन ऐसा करते वक्त आप वहाँ की सम्बन्धित जनता से नहीं पूछते हैं और जब आपकी योजनाओं के विरुद्ध जनता आवाज़ उठाती है और आन्दोलन करती है तब आप जनता को दोष देते हुए कहते हैं कि जनता प्रजातांत्रिक ढंग पर नहीं चल रही है लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जनतन्त्रवादी तरीके से यह सब काम कर रहे हैं? आपने मध्य प्रदेश और मध्य भारत को एक कर दिया मध्यप्रदेश पहले बाइलिंगुएल स्टेट (द्विभाषी राज्य) थी, उसके स्थान पर आपने बड़ा मध्य प्रदेश बना दिया। मध्य प्रदेश की बाइलिंगुएल स्टेट में मराठी और हिन्दी के प्रदेश सम्मिलित थे, उसको तोड़ कर फिर से बनाना शुरू किया है और जैसे कि उर्दू में एक कहावत है कि पायजामा फाड़ कर फिर से सीना शुरू कर दिया, वह बात यहाँ पर लागू होती है। जो पहले बाइलिंगुएल स्टेट थी उसको युनिलिंगुएल (एकभाषी) बनाया। और ऐसा करते वक्त आपने जनता की राय नहीं ली कि वह क्या चाहती है। मेरा तो यह आक्षेप है कि आप इस तरह की बड़ी तबदीलियाँ करते वक्त जनता की राय नहीं लेते हैं और अगर जनता उसके खिलाफ़ अपनी नाराज़गी और असन्तोष प्रकट करती है तो आप उलटे जनता को उसके लिये दोषी ठहराते हैं। मैं कहूँगा कि यह जो आप नया महाराष्ट्र बना रहे हैं इसमें हमारा पुराना मध्य प्रदेश, मराठी और हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक बाइलिंगुएल स्टेट बना देंगे और फिर बम्बई उसका कैप्टिल (राजधानी) हो और नागपुर दूसरी राजधानी हो, इस प्रकार की योजनाएं आ सकती हैं। मेरा आप से कहना यह है कि आप बगैर जनता का मत जाने और उसकी राय की क़द्र किये इस तरह की विलय की योजनाएं

[श्री वी० जी० देशपांडे]

सामने न लायें। इसके अतिरिक्त यदि आप ऐसा समझते हों कि भाषावार प्रान्तों की रचना करने का प्रयोग आज असफल रहा है तो आप उसकी स्पष्ट घोषणा करिये। सरकार को इस प्रकार की घोषणा करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसी घोषणा करने के पश्चात् ही आप यह अपनी नई प्रान्तों के विलय की योजनाएं जनता की स्वीकृति के लिये रक्खें। सारे राज्यों के विधान मंडलों को केन्द्रीय सरकार अपनी इस घोषणा से सूचित करे और उसके बाद इस दिशा में क़दम उठाये। मैं आचार्य कृपलानी जी के इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि आज की अवस्था में भारत सरकार को दस साल तक के लिये राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करना चाहिये। किस को पता है कि दस साल बाद जब आप पुनः प्रान्तों की रचना का काम आरम्भ करेंगे तब झगड़े और जनता के आन्दोलन नहीं होंगे। कौन कह सकता है कि उस वक्त मद्रास, बम्बई और कलकत्ते में आज की भांति झगड़े फ़साद नहीं होंगे। इस तरह के झगड़े जगह जगह पर उस वक्त भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं यह जरूर कहूँगा कि फ़रवरी तो खत्म हो रहा है, मार्च के शुरू हफ्ते तक सरकार द्वारा इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा होनी चाहिये कि हमारा भाषावार प्रान्तों की पुनर्रचना का प्रयोग असफल रहा है, अगर सरकार के दिल में ऐसा भाव है तो उसको खुले दिल से सब के सामने घोषित करे कि जिस तत्व पर हम भाषावार प्रान्तों की पुनर्रचना करना चाहते थे वह असफल हुआ है, और इन नये तत्वों के आधार पर हम इस पुनर्रचना के काम को करना चाहते हैं। ऐसा आप पहले घोषित कीजिये और ऐसी घोषणा करने के बाद देश के तमाम पक्षों की एक आल पार्टीज़ कान्फ्रेंस (सर्व दलीय सम्मेलन) आप बुलाइए और जिन तत्वों के आधार पर अब आप प्रान्तों का पुनर्गठन करना चाहते हैं उनकी चर्चा कीजिये और वहाँ पर लोगों को समझाइये कि अरे, भाई, दो भाषा-भाषी प्रदेशों को मिलाकर एक प्रान्त बनाने से ही सच्ची राष्ट्रीयता और एकता का निर्माण होगा और इस तत्व के आधार पर ही हमको अपने प्रान्तों की पुनर्रचना करनी चाहिये और इस तत्व को वहाँ पर निर्धारित करने के पश्चात आप एक नया आयोग इस काम के वास्ते बनाइए। जो यह तय करे कि किस किस प्रान्त को मिला कर एक प्रान्त बनाया जा सकता है। वैसे मुझे तो दिल में डर मालूम हो रहा है कि इससे देश मज़बूत होने के बजाय उसके टुकड़े-टुकड़े न हो जायें क्यों कि हम तो चाहते थे कि बड़े-बड़े प्रान्त बनें लेकिन कल ही एक सज्जन महोदय ने कहा कि इन रीजनल कौंसिलों को सेंटर की पावर (केन्द्र की शक्ति) दी जाय, यानी पहले तो प्रान्त बने, उसके बाद रीजनल कौंसिल की एक सब फ़ैडरेशन बने और हिन्दुस्तान एक बड़ी फ़ैडरेशन बन ज़ाय, इस प्रकार के भी बुरे नतीजे इन चीज़ों के निकल सकते हैं अगर हमने अच्छी तरह से सोच विचार कर काम नहीं किया। इस काम के लिये आप एक दूसरा कमिशन बनाइए और कमिशन बनाने के पश्चात् आप एक नया बिल ले आइए और इस प्रकार सोच समझ कर इस काम को शुरू करें नहीं तो बम्बई में जो झगड़ा फ़साद और गोली से मारे गये और एक अप्रिय दृश्य उपस्थित हुआ, उसकी पुनरावृत्ति और जगह भी हो सकती है। बम्बई में हमने ग़लती की और हमने देखा कि मुरारजी देसाई की पुलिस द्वारा क़रीब ७०, ८० आदमियों को गोली से जान से मार डाला गया और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह जो कुछ हुआ वह शासक दल की ग़लती के कारण हुआ। एक पेपर ने लिखा है कि संयुक्त महाराष्ट्र की आवाज़ के पीछे बम्बई में खूब गुंडागर्दी हुई और विरोधी पक्षों पर वहाँ के उपद्रवों की जिम्मेदारी डाली जाती है। मैं कहता हूं कि आप का यह चार्ज (आरोप) बिलकुल ग़लत है और बम्बई में जो कुछ हुआ उसकी पूरी तरह जाँच पड़ताल करने के लिये आप एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष समिति की स्थापना कीजिये जो सारे तथ्यों की जाँच करके अपनी रिपोर्ट दे। आप इस तरह की निष्पक्ष जाँच कराने के हमारे प्रस्ताव को तो मानते नहीं, और उलटे हमारे लोगों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हैं। इस अवसर पर मुझे इसमें नहीं जाना है कि गुंडागर्दी की कार्यवाई किसने की, और किस ने नहीं की, कांग्रेस वालों ने की या दूसरों ने की, मझे पता नहीं है लेकिन यह बात साफ़ ज़ाहिर हो गई है कि कांग्रेस में आज प्रजातन्त्र नहीं है और

जिसके कारण यह सब अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र वाले उनको कहते हैं कि बम्बई को संयुक्त महाराष्ट्र में रहना चाहिये और चूंकि आप उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं इसलिये वह अपने त्यागपत्र देना चाहते हैं तो आप उनको कहते हैं कि त्यागपत्र मत दो और उनका त्यागपत्र देना अनुशासनहीनता मानी जायगी और मेरा तो अपने महाराष्ट्र के कांग्रेसजनों पर आक्षेप है कि वे डर कर सही मार्ग का अवलम्बन नहीं कर रहे हैं और मैं आचार्य कृपलानी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने झगड़ा फैलाया है। मैं तो यह कहने पर मजबूर हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस जनों ने कांग्रेस हाई कमांड से डरकर कि कहीं हमको आगामी निर्वाचन में टिकट न मिले, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाया है और यही कारण है कि अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में हमारे किसी भाई ने बम्बई को संयुक्त महाराष्ट्र में शामिल किये जाने का प्रस्ताव नहीं रक्खा। उन्होंने वैधानिक रीति से दल के अन्दर भी अपनी मांग नहीं रक्खी है और राष्ट्र के साथ वंचना की है और जनतन्त्र के साथ और अपने लोगों के साथ द्रोह किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस दल के लोग भी दोषी हैं, क्योंकि जो उनकी अन्तरात्मा की आवाज़ है, उसको खुले दिल से लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं। आज कांग्रेस की उच्च सत्ता अपने दलगत स्वार्थ के ख़ातिर जनतन्त्र की अवहेलना कर रही है और उसी का कारण है कि बम्बई आदि नगरों में इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं घटीं। महाराष्ट्र की जो बम्बई को उसमें मिलाने की मांग है उसके औचित्य को आप स्वीकार कीजिये और अपनी गलती को स्वीकार कीजिये। यह जनतन्त्र की अवहेलना नहीं तो क्या है कि मध्यभारत की विधान-सभा ने कहा है कि हमें मध्य प्रदेश के साथ न मिलाया जाय लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते हैं। मेजारिटी अगर शान्तिपूर्वक क़ायदे से अपनी मांग रखती है तो आप यह कह कर उसको अस्वीकार कर देते हैं कि यह जनता की मांग नहीं है क्योंकि कोई आन्दोलन अथवा मार पिटाई नहीं हुई और अगर कहीं पर मार पिटाई हो जाती है तो आप कहते हैं कि आपने हमारे हाथ कमज़ोर कर दिये, इस तरह की अजीब दलील आप देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी दलील देकर आप मार-पीट और गुंडागर्दी पर प्रीमियम रखते हैं और उसके बाद शिकायत करते हैं कि वहाँ पर लोगों ने अपनी बात मनवाने के लिये गुंडागर्दी की। अन्त में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप प्रान्तों का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में जिस प्रकार से जनतन्त्रवाद की अवहेलना कर रहे हैं, उसका परिणाम देश के लिये अहितकर सिद्ध होगा। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री गाडगिल (पूना–मध्य) : इस चर्चा में भाग लेने का मेरा पहले कोई इरादा नहीं था किन्तु कल बम्बई विधान सभा में बम्बई के मुख्य मंत्री का भाषण पढ़ कर मैंने अपना विचार बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अपील की है कि राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर शांति, सहिष्णुता और सद्भावना के वातावरण में चर्चा की जानी चाहिये। अतः मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वह उनकी इच्छा के अन्तर्गत और अमृतसर में हमारे नेता प्रधान मंत्री और उपनेता गृहमंत्री द्वारा निर्मित वातावरण के अनुकूल होगा।

आज प्रातःकाल यह पढ़ कर कि बम्बई के मुख्य मंत्री ने कहा है कि सरकार को उखाड़ फेंकने और जबर्दस्ती बम्बई शहर को ले लेने की योजना थी, मेरी यह धारणा हुई कि यह एक बहुत गम्भीर वक्तव्य है। यदि यह ठीक है, तो जनता और देश के भविष्य के हित में यह आवश्यक है कि इस देश के उच्चतम न्यायिक अधिकारी द्वारा जाँच करायी जाये। अभी कुछ दिन पूर्व इम्फाल में गोलियाँ चलायी गई और आठ आदमी मारे गये और इसके लिये गृहकार्य मंत्री ने सारे मामले की जाँच के लिये आदेश दिये हैं। यहाँ बम्बई में, सरकार के कथनानुसार, ७२ व्यक्ति गोलियों के शिकार हुए, २ अश्रुगैस के कारण और २ छुरे बाजी के कारण मारे गये। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण और उत्तरदायी कर्मचारी ने बताया है कि १४८ व्यक्ति मारे गये, ४५० घायल हुए और २०० व्यक्ति अश्रुगैस के कारण आहत हुए हैं। यहाँ कुछ समाचार पत्रों में और विदेशों में भी बड़े बड़े आंकडे प्रकाशित

[श्री गाडगिल]

किये गये हैं। यह समाचार सभी पत्रों में आया है कि 'देखते ही गोली मार देने' का आदेश दिया गया था और एक दिन में ११४ बार गोलियाँ चलाई गईं। माननीय गृहकार्य मंत्री से मेरी सादर प्रार्थना है कि वे यह समझें कि इस विषय में मुख्यतया जाँच के लिये पर्याप्त आधार हैं।

क्या वास्तव में ऐसी कोई योजना थी ? यदि हाँ, तो बम्बई के मुख्य मंत्री को उसका कब पता लगा ? यदि इन घटनाओं के बाद उन्हें पता चला तो यह पुलिस की कार्यक्षमता पर एक धब्बा है। यदि बहुत पहले ही उन्हें पता चला हो तो उन्होंने तुरन्त उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

अपने दूसरे वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मनमाने गोली नहीं चलाई गई है। मेरे पास यहाँ एक समाचारपत्र है जिसमें ६९ व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं और बताया गया है कि उन्हें किस प्रकार चोटें लगी हैं। सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें २३ गैर महाराष्ट्रीय हैं। आहत व्यक्तियों में १४ वर्ष के लड़के से ६४ वर्ष की वृद्ध महिला तक शामिल हैं और लोगों को सिर से पैर तक चोटें लगी है हैं। इस प्रकार ४०० व्यक्ति घायल हुए हैं। या तो वह मनमाने गोलीबार था या वह आन्दोलन पूर्णरूप से महाराष्ट्रियों तक सीमित नहीं था। इसके अतिरिक्त और कोई तर्क सम्भव नहीं है।

यह कहा जाता है कि बम्बई में एक योजना थी। बृहत्तर बम्बई में २२८ नागरिकों पर एक पुलिस का सिपाही है और उसके बाहर ८४९ नागरिकों पर एक पुलिस का सिपाही है जबकि न्यूयार्क में ४५० और शिकागो में ४९० नागरिकों पर एक पुलिस का सिपाही होता है। उस संख्या में उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और मध्य भारत से बुलाई गई पुलिस की संख्या भी जोड़ दीजिये। आज बम्बई एक ऐसा प्रदेश लग रहा है जैसे कि इस पर क़ब्जा किया गया है, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि सचाई और सार्वजनिक मार्गदर्शन के हित में जाँच की जाये। बम्बई में खासकर मद्यनिषेध अपराध आठ गुना बढ़ गये हैं। मुझे बताया गया है कि वहाँ औसतन प्रतिदिन १५० मद्यनिषेध अपराध होते हैं। इस बात को देखते हुए, यदि वैसी कोई योजना थी तो उसके प्रति सरकार का क्या रुख होना चाहिये था ?

१६ अगस्त को बम्बई की घटनाओं के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने १८ अगस्त १९५५ को कहा था कि बम्बई में जो कुछ होने जा रहा है उसका यह एक पूर्वाभ्यास है। क्या मैं लोक-सभा को बता सकता हूँ कि उस प्रदर्शन में महाराष्ट्रियों की संख्या बहुत कम थी ? इसका साक्ष्य गोवा के लोग हैं क्योंकि वह उनकी देश भक्ति और उनके महत्वपूर्ण हितों से सम्बन्धित विषय था। क्या मैं लोक-सभा को बता सकता हूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित होने के बहुत पहले ही संयुक्त महाराष्ट्र के समर्थकों की सूची बना ली गई थी ? यदि विद्रोह की आशंका के लिये कोई आधार था, तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? सिर्फ इस महीने की १६ तारीख को ३०० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और वह भी इसलिये कि उन्हें संयुक्त महाराष्ट्रवादी समझा जाता था और उनके द्वारा हिंसात्मक उपद्रवों की सम्भावना थी।

जुलाई से नवम्बर तक सम्पूर्ण महाराष्ट्र एक सशस्त्र शिविर था, मानो कोई विद्रोह होने जा रहा है और सरकार को उखाड़ फेंकने का कोई प्रयत्न हो रहा है। महाराष्ट्रीय जनता और महाराष्ट्रीय समाचारपत्रों में कहा गया है, कि यह सब इसलिये आयोजित किया गया था कि ऐसी स्थिति निर्माण हो जिससे उत्तेजना प्राप्त हो, महाराष्ट्र को बदनाम किया जाये और बम्बई के सम्बन्ध उसका दावा समाप्त कर दिया जाये। परिणाम यह हुआ कि १८ नवम्बर को पहली घटना हुई जिसमें ६०० व्यक्तियों ने जुलूस निकाला यद्यपि हमने कांग्रेसियों की हैसियत उन्हें सलाह दी थी कि वे जुलूस न निकालें। उनकी माँग केवल यह थी कि उन्हें बम्बई विधान सभा के अध्यक्ष के सामने अपनी राय प्रकट करने की अनुमति दी जाये। परन्तु वह मांग अस्वीकार की गई, उन पर लाठी चार्ज किया गया, अश्रुगैस फेंका गया और ६०० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में २० नवम्बर को बम्बई के

मुख्यमंत्री और बम्बई कांग्रेस के प्रमुख ने चौपाटी के मैदान में बड़े ही उत्तेजनपूर्ण भाषण दिये । लोगों ने जो कुछ किया, उसकी मैं सराहना नहीं करता । मैंने उसकी निन्दा की है और हमारी समिति ने भी उसकी निन्दा की है ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुये]

दिसम्बर में मैंने यहां अपने भाषण में जाँच की मांग की थी और कई सदस्यों ने मेरा समर्थन किया था, किन्तु कुछ नहीं किया गया । इन घटनाओं को बता कर मैं केवल जाँच की उपयुक्तता सिद्ध करना चाहता हूँ । १५ और १६ जनवरी को फिर बहुत बड़ी बड़ी सभाएँ हुई जिनमें ३–४ लाख लोग एकत्र हुए थे । मैं बम्बई सरकार और नगर पुलिस से जानना चाहता हूँ कि गुंडों को कब गिरफ्तार किया गया और यदि १६ तारीख को उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया ? मैं किसी पर दोष नहीं लगाता किन्तु मेरा यही कहना है कि इन तथ्यों से यह दिखायी पड़ता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें निश्चित रूप से झूठ या सच नहीं कहा जा सकता । इसलिये उनकी जाँच आवश्यक और योग्य है । १२ से १५ जनवरी के बीच यहाँ दिल्ली में मुझे ज्ञात हुआ कि १८ तारीख को मंत्रिमंडल अपनी बैठक में बम्बई के विषय में अपना अंतिम निर्णय देगा कि किस प्रकार वह केन्द्र द्वारा प्रशासित किया जायगा । १६ तारीख को मुझे यह भी समाचार मिला कि प्रधानमंत्री रेडियो पर इस सम्बन्ध में एक भाषण देने जा रहे हैं । यह सब मैं इसलिये बता रहा हूँ कि १६ तारीख को किसी बात के कारण सरकार को उस स्थिति के लिये बाध्य किया गया । मुझे संदेह है कि वह सरकार का अपना विनिश्चय था या किसी अन्य बातों के कारण वह विनिश्चय सरकार पर जबर्दस्ती लादा गया है । समाचारपत्रों में यह आरोप है कि जब कांग्रेसी तथा अन्य कर्मचारी शांति स्थापित करने के लिये घूम रहे थे, तब बम्बई सरकार ने कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई और न उन्हें कोई मदद दी । महाराष्ट्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के आरोप लगाये गये हैं । मैं अपनी जाति के लिये, देश के सुयश के लिये तथा शांति और सद्भावना की स्थापना के लिये केवल यह चाहता हूँ कि जाँच का आदेश दिया जाये ताकि हम यह जान सकें कि कौन दोषी है ।

७ हजार लोग गिरफ्तार किये गये हैं जिनमें ४,९५५ शांति भंग करने के अपराध में, ९९६ कर्फ्यू तोड़ने और १,१९८ लूटपाट करने के अपराध में गिरफ्तार किये गये हैं । इन १,१९८ व्यक्तियों में प्रत्येक जाति के लोग हैं । वे गुंडे हैं और उनका अध्यात्मिक रूप से किसी जाति से सम्बन्ध नहीं । मैं श्री मुरारजी देसाई के प्रति आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि मैं किसी विशिष्ट जाति पर दोष नहीं लगा सकता । इसी प्रकार प्रधान मंत्री ने भी अमृतसर में कहा है कि यह काम गुंडों का है और मैं किसी जाति पर दोष नहीं लगा सकता और यह प्रत्येक के लिये खेद का विषय है ।

एक और भी अन्तर्राष्ट्रीय कारण है जिससे कि मैं जाँच के लिये निवेदन कर रहा हूँ । वह यह है कि विदेशी पत्रों में सभी समाचार इस प्रकार दिए गये हैं कि उससे ऐसा लगता ह कि हम लोकतन्त्र के लिये सर्वथा अयोग्य हैं । कुछ लोगों को इसमें दिलचस्पी है किन्तु वे यह नहीं जानते कि इस प्रकार बढ़ा चढ़ा कर बातें कहने से क्या परिणाम होंगे । यदि लोग इन अन्तर्राष्ट्रीय उलझनों को समझें, तो वे गृहयुद्ध या सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें न करेंगे । विदेशी समाचारपत्रों में हमारे नेताओं पर पाखंडीपन का आरोप पढ़ कर मुझे बहुत दुःख होता है । केवल इसी कारण हमें इन घटनाओं की ओर उचित दृष्टिकोण से देखना चाहिये । दूसरा कारण यह भी है कि वह सद्भावना का वातावरण निर्माण करने में सहायक होगा ।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूँ । मुझे हर्ष है कि अमृतसर कांग्रेस सत्र में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा अन्य बड़े नेताओं ने यह कहा है कि समस्या को सुलझाने के रास्ते शांतिपूर्ण तथा

[श्री गाडगिल]

लोकतंत्रात्मक ढंग ही होने चाहियें। मैं उन से पूर्णतः सहमत हूँ कि हिंसा का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिये। किन्तु साथ ही उन्हें लगातार इस बात को प्रमाणित करते रहना चाहिये कि राष्ट्रीय नेताओं में लोकतन्त्रात्मक अन्तःकरण क्रियाशील है और ठोस कदम लेकर उन्हें जनता को विश्वास दिलाना चाहिये कि बुद्धि और तर्क सर्वोपरि रहेंगे। मैंने आज समाचारपत्रों में पढ़ा कि आचार्य कृपलानी ने सुझाव दिया है कि दस वर्षों तक यह समस्या स्थगित कर देनी चाहिये। इस बारे में मेरा निवेदन है कि वह एक निराशा की सम्मति है जैसा कि पन्तजी ने कुछ दिनों पूर्व कहा है।

कुछ सप्ताह पूर्व मैंने प्रधान मंत्री को यह कहते सुना है कि हमें इन समस्याओं से दूर नहीं भागना चाहिये और रचनात्मक प्रयत्नों के सम्बन्ध में हमारी योग्यता के प्रति प्रत्येक आह्वान हमें स्वीकार करना चाहिये। मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। जहाँ तक सीमाओं की समस्या का सम्बन्ध है, मैं फिर सुझाव देता हूँ कि एक न्यायिक प्राधिकार नियुक्त किया जाय जो अधिक से अधिक मामलों में यथासम्भव समझौता करे और फिर भी यदि कुछ शेष रह जाये तो वह प्रधान मंत्री पर छोड़ दिया जाये और उन्हें निर्णय करने का अधिकार दिया जाये।

जहाँ तक बम्बई का सम्बन्ध है, मैं फिर दोहराता हूँ कि आप बम्बई महाराष्ट्र को दे दीजिये और मैं आपको संरक्षण की गारंटी देता हूँ। मेरे मित्र श्री पाटील ने कहा है कि मेरी कोई साख नहीं है। वास्तव में मेरे पास कोई सम्पत्ति नहीं है किन्तु जहाँ तक महाराष्ट्रीय जनता का सम्बन्ध है, उसके हृदय में मेरी इतनी साख है जिसकी कल्पना भी श्री पाटील नहीं कर सकते। पहले के कई निर्वाचनों से यह बात सिद्ध हो चुकी है और भविष्य में भी ऐसे साक्ष्य की कमी न रहेगी। अतः हम इस समस्या की ओर उसी नम्र दृष्टिकोण से देखें जिस तरह कि महात्मा गांधी देखते थे। मैंने कई बार कहा है कि राज्यों का पुर्नगर्ठन स्वतन्त्रता का संगठन है और जिस तरह हमारी संविधान सभा में प्रत्येक को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने और मतदान देने की अनुमति थी, उसी प्रकार इस विषय में भी प्रत्येक के सुझाव पर विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्येक को दिलचस्पी है। अतः इस सुझाव को कार्यान्वित करने की सम्भावनाएँ ढूंढने में कोई गलत बात नहीं है।

एक विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग किया गया मेरा एक वाक्यांश प्रकाशित हुआ है जिसके लिये मुझे व्यर्थ ही बदनाम किया गया है। मैं कहता हूँ कि लोकतन्त्र में किसी को यह नहीं समझना चाहिये कि वह गलती नहीं कर सकता और वह अपरिहार्य है। यदि हम इस मत को नहीं मानते जो वह लोकतन्त्र नहीं होगा। उस समय मेरा यह कहना था कि यदि ऐसा नहीं किया जायगा, तो यह होगा। अतः मैं यही कहता हूँ कि हमारे आगे अब बहुत कठिन समय है। माननीय पंतजी की ६९वीं वर्षगांठ पर मैंने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि यहाँ और विदेश में बहुत कठिन समय उपस्थित है और मैं उन्हें 'दीप-स्तम्भ' के रूप में देखता हूँ। क्या इससे कोई यह कह सकता है कि चूंकि मैंने ऐसा कहा था, इसलिये वास्तव में कठिन समय आ गया है? आप मुझे गलत न समझें। यदि मैं कोई बात कहता हूँ, तो उसके पूरे परिणाम मैं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि माननीय गृहमंत्री इस पर विचार करें कि न्याय और औचित्य की दृष्टि से, बम्बई महाराष्ट्र का है। मैं आप की कठिनाइयाँ समझता हूँ, किन्तु कोई भी सरकार लोकतन्त्रात्मक होने का दावा नहीं कर सकती यदि वह केवल प्रतिष्ठा को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान देती है। प्रतिष्ठा, न्याय, सचाई और स्थायी मित्रता से होती है। मैं अपील करता हूँ कि सरकार इसी भाव से अपनी गलतियों पर विचार करे और उदारता का परिचय दे। किन्तु मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई गलती कर सकता है और गलतियों से ही हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं समस्या का उचित और सर्वसम्मत हल ढूंढने की दिशा में हम अपने प्रयत्न जारी रखें। मुझे विश्वास है कि ठीक निर्णय किया जायगा किन्तु साथ ही मेरा यह निवेदन है कि वह निर्णय ठीक समय पर किया जाये और उसमें

बहुत अधिक विलम्ब न किया जाये। अतः बिना उचित जाँच के किसी की निन्दा न की जाये। भारत के सुयश के हित में मेरी अपील है कि बम्बई की घटनाओं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विश्व के समक्ष एक उचित स्वरूप रखने के लिये जाँच की जाये। मुझे विश्वास है कि मेरी अपील बेकार नहीं जायेगी।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : सभापति जी, माननीय सदस्य श्री भागवत झा आज़ाद ने जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूँ।

इस समय पूर्वी पाकिस्तान से हमारे हिन्दू भाई बहुत बड़ी संख्या में भारत आ रहे हैं। यही नहीं अक्तूबर के महीने में करीब पाँच हजार लोगों ने हिन्दुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर से ढाका में यहाँ आने के लिये सर्टिफिकेट प्राप्त किये थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि नवम्बर में यहाँ ९,००० लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये और दिसम्बर में करीब ११,००० लोग यहाँ पर आये और जनवरी सन् १९५६ में १५ हजार आये। १५,००० दरखास्तें तो मंजूर हुईं, इनके अलावा महीने के अन्त में १८,००० दरखास्तें और बाकी थीं। इससे मालूम होता है कि पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं की माली हालत अच्छी नहीं है। यह एक विचारणीय प्रश्न है और हमारी सरकार को यह सोचना है कि उस इस माइग्रेशन (प्रव्रजन) को रोकने के लिये पाकिस्तान की सरकार के प्रति क्या कार्रवाई करनी है। या हम ऐसी व्यवस्था करें कि जो यह हमारे भाई आ रहे हैं उनको हम अच्छी तरह से रख सकें। यह गम्भीर प्रश्न है और हमारे राष्ट्रपति जी ने इस सम्बन्ध में अपने अभिभाषण में अपने विचार जाहिर किये हैं।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विदेश मंत्री श्री डलेस ने अपने एक भाषण में कहा है कि भारतीय पुर्तगाली बस्तियाँ पुर्तगाल का ही अंग हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनकी नीति यह है कि जो भी प्रदेश उनके हाथों में है वह अलग न हो चाहे उस प्रदेश के लोग उनके अधीन रहना चाहें या नहीं। लेकिन यह निश्चित है कि गोआ हमारे पास आकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि ऐसा होने में कुछ समय लग जाये।

बांडंग सम्मेलन में २९ राष्ट्रों ने भाग लिया था और उस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव पास किया था यदि उसके अनुसार दुनिया के राष्ट्र चलें तो जो हम आज दुनिया के विभिन्न भागों में कलह देख रहे हैं वह समाप्त हो जाये। वह एक ऐतिहासिक घोषणा थी और उसके अनुसार चलने से संसार के मतभेद शान्तिपूर्ण तरीकों से हल किये जा सकते हैं। उस रास्ते पर चलने से न केवल भारत का, बल्कि दुनिया के सारे राष्ट्रों का कल्याण हो सकता है। उस प्रस्ताव में जिन पंचशील सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है वे इस प्रकार है :

(१) एक दूसरे की प्रभुत्व सम्पन्नता तथा राज्यक्षेत्रीय अखण्डता का परस्पर सम्मान;
(२) किसी पर आक्रमण न करना;
(३) एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना;
(४) समानता तथा पारस्परिक लाभ;
(५) शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व।

यदि दुनिया के राष्ट्र इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार चलने लगें और यह तै कर लें कि औपनिवेशिकवाद को समाप्त कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि हालत बहुत सुधर जायेगी।

मलाया में जो प्रगति हुई है और अफ्रीका में जो गोल्ड कोस्ट में स्वतन्त्रता की स्थापना होगी उसका अफ्रीका के दूसरे औपनिवेशिक राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा तथा राष्ट्र मंडल और संयुक्त राष्ट्र

[सरदार ए० एस० सहगल]

को विचार करने उनको भी स्वतन्त्रता देनी होगी । भले ही वे उन्हें अभी स्वतन्त्र न करें, पर पीछे देनी होगी ऐसी मेरी धारणा है । मगर हम को इन समस्याओं को शान्तिपूर्ण तरीकों से और आपसी बात-चीत से ही हल करना चाहिये ।

संयुक्त राष्ट्र में जो १६ नये राष्ट्र लिये गये हैं इसका श्रेय भारत के माननीय मंत्री श्री कृष्णमेनन, रूस के सदस्यों तथा उन दूसरे राष्ट्रों के सदस्यों को है जिन्होंने इस काम में हाथ बंटाया, परन्तु सबसे अधिक श्रेय इस कार्य में श्री कृष्णमेनन को है और वे बधाई के पात्र हैं । उनको समाचारपत्र वालों ने जो भारत के घूमने वाले चाणक्य की पदवी दी है वह ठीक ही है ।

हम को यह कहना पड़ता है कि चीन और मंगोलिया संयुक्त राष्ट्रसंघ में नहीं आ सके । लेकिन हम आशा करते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच जो मतभेद हैं उनको हमारे मनोनीत मंत्री जी अपनी चेष्टाओं द्वारा दूर करने में सफल होंगे ताकि जेनेवा में जो सम्मेलन होने जा रहा है उसके लिये अच्छा वातावरण तैयार हो जाये जिससे सभी देशों का कल्याण हो सके और एशिया की स्थिति में दृढ़ता आ सके, और जो संघर्ष के बादल मंडरा रहे हैं, जो कि सहज में मालूम नहीं होते, वे भी दूर हो जायें ।

मार्शल बुल्गानिन और प्रेसीडेंट आइजनहोवर के बीच जो पत्र व्यवहार चल रहा है उससे भी मालूम होता है कि उनका झुकाव भी शान्ति की ही ओर है । इसके फलस्वरूप जो तनाव है उसमें कमी होने की आशा की जा सकती है ।

बगदाद सन्धि से जो शान्तिप्रिय देश हैं और लड़ाई से अलग रहना चाहते हैं उनको बहुत अन्देशा हो रहा है, क्योंकि वे समझते हैं कि इससे उनके देशों के लिये खतरा पैदा हो सकता ह । हमें दक्षिण पूर्व एशिया सुरक्षा संघ से भी बहुत खेद हुआ था । ऐसा ही खेद हमको बगदाद सन्धि से हुआ है ।

पहली योजना की सफलता से १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है औद्योगिक उत्पादन में ४३ प्रतिशत की, कृषि उत्पादन में १५ प्रतिशत की और अन्न के उत्पादन में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । परन्तु हमें यह देखना है कि जो यह सफलता मिली है उससे कितने प्रतिशत को लाभ पहुंचा है । यदि हमें देश की गरीबी और बेकारी को दूर करना है तो चाहे हम बड़े अफसर हों या कर्मचारी, चाह छोटे हों या बड़े, सब को कड़े से कड़ा काम करके देश के स्तर को ऊंचा उठाना होगा । हमें अपनी फिजूलखर्ची कम करनी होगी और जो हम विवाद आदि में ज्यादा खर्च करते हैं इसको कम करना होगा । इन सारी चीजों को हमें बन्द करना होगा । मैं तो सुझाव दूंगा कि हम को एक कमेटी बनानी होगी जो कि हम को यह सुझाव दे कि जो मुहकमों में फालतू खर्चे हो रहे हैं उनको हम किस प्रकार दूर करें ताकि जो बचत हो वह राष्ट्र निर्माण के काम में लगायी जा सके । यदि हमें समाजवादी राष्ट्र बनाना है तो हमें हर प्रकार की आमदनी पर सीलिंग; (अन्तिम सीमा) मुकर्रर करनी चाहिये, चाहे वह आमंदनी नौकरी से हो, चाहे व्यापार से हो या किसी और तरीके से हो। जिस तरह से कि हमने राजाओं का राज्य समाप्त किया, जमींदारी प्रथा को मिटाया, जागीरदारी प्रथा को मिटाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया उसी प्रकार हमको मकानों का और मिलों का भी राष्ट्रीयकरण करना होगा । तभी जाकर जो हम समाजवादी समाज की ओर देश को ले जाना चाहते हैं उसमें सफल होंगे । मेरा यह सुझाव नहीं है कि यह सब आज ही कर दिया जाये लेकिन हम इस ओर अग्रसर हों और धीरे धीरे इस काम को पूरा करें जिससे कि जिस चीज़ को हम देश में करना चाहते हैं वह १५ या २० साल में पूरी हो सके ।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ हैंडलूम चल रहे हैं इनको आप पावर हैंडलूम्स में बदल दें क्योकि जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक हमारा काम नहीं चल सकता ।

यदि हम इनके जरिये से छोटी छोटी चीज़ों को बना करके व्यापार करना चाहते हैं तो सहकारिता के सिद्धान्त पर हमें इसको चलाना होगा और उन्हें प्रोत्साहन देना होगा ।

जिस तरह से आज कई वर्षों से हमारे अफ़सर लोग छोटे छोटे धन्धों की बाबत जानकारी हासिल करने के लिये जापान गये हुए हैं और यह जानने गये हैं कि हमारे यहां कौन कौन सी चीज़ मुफ़ीद हो सकती है और मैं तो कहूँगा कि यदि हमारे उन अफ़सरों की उस सम्बन्ध में रिपोर्ट आ गई हो तो हमें उस पर अमल करना चाहिये और उसके अनुसार काम करना चाहिये। इस तरह हम देखेंगे कि हमारे देश में जापान के आधार पर छोटे धन्धे जल्दी कामयाब हो सकेंगे।

हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना बड़े महत्व की है। इसके अन्तर्गत लगभग २ करोड़, १० लाख एकड़ नई ज़मीन की सिंचाई होगी, मगर इस योजना में यदि मल्टी परपज़ (बहुप्रयोजनीय) हसदो बांध को ले लिया जाता तो कम से कम १० लाख एकड़ जमीन और सिंच जाती तथा जो बिजली होती वह ८० क्लिोवाट नई बिजली देता और ३४ लाख किलोवाट जो बिजली हम पैदा करते उससे ज्यादा और मिलती लेकिन हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस हसदो बांध की योजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है।

इसी तरह यह जो २ करोड़, ३० लाख टन कोयले का अधिक उत्पादन होगा, उसके साथ ही साथ हमें चाहिये कि माइनिंग (खनन विद्या) कालिज जैसा कि धनबाद में है और जिस तरह के कालिज की और भी जरूरत है, वेसा ही हम उस जगह पर एक नया माइनिंग कालिज बनावें जहाँ पर कि नई कोयले की खाने निकली हैं और जो कि कोरबा में हैं इससे माइनिंग के लिये ज्यादा सुविधा होगी। जहाँ पर कि खदानें हों वहाँ पर इस तरह के यदि माइनिंग कालिज हों तो ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। बनारस में हिन्दू युनिवरसिटी में माइनिंग कालिज है लेकिन प्रैक्किटल (व्यावहारिक) चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिये हमारे स्टुडेन्ट्स को धनबाद और दूसरी जगह जाकर पढ़ना पड़ता है। ऐसा करके हम ज्यादा से ज्यादा आदमियों को काम दे सकेंगे मगर बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जरूरी है कि इसे कैसे कम किया जाय, यह भी एक विचारणीय प्रश्न हमारे सामने आज है।

राज्यों के पुनर्गठन पर हमें शांति के साथ देश के हित को सामने रख कर तथा जिससे कोई रोष न आवे, ऐसे व्याख्यानों से लोगों को हमें समझाना चाहिये न कि जोशीले भाषणों से। जोशीले भाषणों से लोगों को भड़का कर और उसके बाद जिम्मेदारी न लेना, मैं समझता हूँ कि यह कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। मैं तो बड़ी नम्रता से अपने मित्रों की सेवा में निवेदन करूँगा कि हमें इन सारी चीजों पर बड़ी शान्तिपूर्वक विचार करना चाहिये और फर्ज कीजिये कि हमारा कुछ हिस्सा इधर से उधर हो गया तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिये क्योंकि आखिर में वह हमारा हिस्सा रहना तो हिन्दुस्तान में ही है, हिन्दुस्तान के बाहर जाने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति आने पर हमारा उसके ऊपर रोष प्रकट करना और यह कहना कि नहीं हम यहां से अलग हो जायेंगे या उस राष्ट्रीय संस्था से अलग हो जायेंगे कहाँ तक वाजिब है? मैं इस पृथकवत्व की भावना को सही और उचित नहीं समझता और मैं तो समझता हूँ कि एक सिपाही के नाते जो भी अपने अफसर का हुक्म हो उसको वजा ले लाना चाहिये और यह सिपाही का काम है कि जो भी उसका अफसर उसे आज्ञा देवे, उसका वह पालन करे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसको हमने अपना सच्चा नेता माना है अगर वह एक दफे कोई गलत आज्ञा भी देवे तो भी हमें उसको शिरोधार्य करना चाहिये।

परिगणित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में जो कुछ सुझाव बैकवर्ड कमिशन ने दिये हैं, उसे चुनाव होने के पहले बिल में जो परिगणित जाति वाले हिन्दू लिख दिये गये हैं तथा उनको और उनके बालकों को वे हक़ प्राप्त नहीं हैं जो कि उनको मिलना चाहिये, वे भी उनको दिये जायें। इस प्रकार की जो स्थिति आज उत्पन्न हो रही है वह विचारणीय है और मैं तो चाहूँगा कि उनको चुनाव के पूर्ण अधिकार प्राप्त हों और आज चूंकि वह हिन्दू लिख दिये गये हैं इसलिये वह अधिकार उनको नहीं

[सरदार ए० एस० सहगल]

मिल पा रहे हैं। अनुसूचित जातियों का भी यही हाल है। हमारे विलासपुर में भी बहुत से हरिजनों को चूंकि हिन्दू लिख दिया गया है इसलिये उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है जो कि दिया जाना चाहिये और मैं इस माननीय सभा के जरिये अपने होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूँगा कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें जिससे कि वहां के लोगों की जो तक़लीफें हैं वे दूर हो जायें।

आमदनी को देख कर यदि दूसरी योजना को कामयाब बनाना है तो हमें काफ़ी मात्रा में आर्थिक मदद जुटानी पड़ेगी और यदि रक़म जुटाने के लिये नये टैक्सज़ (कर) भी लगाना आवश्यक हों तो उनको भी अदा करके हमें अपनी इस दूसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है।

इस के साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज़ करूँगा कि जिन लोगों ने हाल के उपद्रवों में राष्ट्र की सम्पत्ति को हानि पहुँचाई है और तोड़फोड़ के काम किये हैं, उनसे राष्ट्र की सम्पत्ति को जो क्षति पहुँची है, वह पूरी कराई जाये और क्षतिपूर्ति का भार उन पर डाला जाय। राष्ट्र की सम्पत्ति समस्त भारतवासियों की सम्पत्ति है और हम इस का नष्ट होना सहन नहीं कर सकते और जो उसको नष्ट करने के लिये जिम्मेदार हैं उन पर इसके लिये टैक्स लगाया जाये। मैं यह भी चाहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में उपद्रव हुए हैं वहां पर सरकार एक निष्पक्ष कमेटी बिठला कर सारे मामलों की जांच करवाये।

अन्त में मैं और अधिक न कह कर हमारे राष्ट्रपति ने १५ फरवरी, सन् ५६ को जो अभिभाषण देकर हमें अनुगृहीत किया है, उसके लिये हम उनका आभार मानते हैं और जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका सहर्ष स्वागत करता हूँ।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में वैदेशिक मामलों को अधिक स्थान दिया गया है। अभिभाषण के २६ पैरों में से १४ पैरा वैदैशिक मामलों से सम्बन्धित हैं। यह अनुपात उचित नहीं प्रतीत होता, विशेषकर तब जब कि हमारे देश में बड़ी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें, गम्भीर चीज़ें घटित हो रही हैं।

मुझे आश्चर्य है कि अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने एक संतोषजनक तथा आशापूर्ण अभिव्यक्ति की है। दोनों सत्रों के बीच के काल के पश्चात् मैं लोक-सभा में एक भयपूर्ण अनुमति के साथ आया हूँ। मैं अत्यन्त क्षुब्ध हूँ क्योंकि देश के कुछ भागों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो देश के ढाँचे को ढीला कर रही हैं मुझे आश्चर्य है कि ऐसी घटनाओं के घटित होते हुए भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में संतोषभरी अभिव्यक्ति की गई है।

मैं देखता हूँ कि राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर सरकार ने सभी पहलुओं तथा समस्याओं को ध्यान में रख कर विचार नहीं किया है। उसका दृष्टिकोण समय-समय पर बदलता रहा है। प्रधान मंत्री की राज्य पुनर्गठन की नीति के कारण देश विपत्तिपूर्ण स्थिति की सीमा तक पहुँच गया है। १६ अगस्त को बम्बई में जो उपद्रव हुए थे उनके सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कहा था कि राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न को लेने पर जो गड़बड़ होने की सम्भावना है ये उपद्रव उसका पूर्व अभिनय है। परन्तु इतना सब जानते हुए भी इतने कम पूर्वोपाय किए गये कि देश को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जो पहले कभी नहीं पैदा हुई थी।

मेरा ख्याल है कि उड़ीसा राज्य सन् १९३५ में बना था। फिर भी कुछ उड़िया भाषी लोग मद्रास में, कुछ पुराने मध्य प्रदेश में और कुछ बिहार में रह गये थे। इससे असंतोष की भावना अवश्य रही होगी। किन्तु कोई विद्रोह नहीं हुआ था। परन्तु इस बार महज़ इसलिये कि डेढ़ लाख उड़िया भाषी लोग बिहार में रह गये थे, उड़ीसा में एक विप्लव सा हो गया। ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ हो गया है। भाषा के प्रश्न पर हमारे पड़ोसी देशों, पाकिस्तान और श्रीलंका, में भी कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं। श्रीलंका

---

†मूल अंग्रेजी में

में काफी असंतोष फैला हुआ है। यह प्रश्न इस प्रकार नहीं सुलझाया जा सकता जैसे कर रही है—आज एक दृष्टिकोण अपनाना और कल दूसरा।

मैं देश के उस भाग से आता हूँ जो बहुत बदनाम हो गया है अर्थात् बम्बई शहर। मैं गुजरात में पैदा हुआ था किन्तु मेरा पालनपोषण महाराष्ट्र में हुआ है। अपनी मातृभाषा से अधिक मैं मराठी जानता हूँ। विश्वास कीजिये कि एकभाषायी राज्य वहाँ का हल नहीं हो सकता। इससे, जैसा कि डाक्टर अम्बेडकर ने अपनी एक पुस्तक में कहा है, जातीय झगड़ों की वृद्धि होगी। इससे देश में अखिल-भारतीय नेतृत्व का विलोप हो जाएगा।

श्री गाडगील ने बम्बई के उपद्रवों की जाँच के लिये एक जाँच समिति की स्थापना की माँग की है। मुझे आशा है कि गृह मंत्री इस माँग को स्वीकार नहीं करेंगे। जाँच समित से क्या लाभ होगा। मैं जानता हूँ कि कितनी अपमानजनक बातें वहाँ हुई हैं। क्या जाँच समिति की स्थापना द्वारा हम उन घावों को फिर से हरा करना चाहते है? मैं देश के अन्य भागों के विषय में तो कुछ नहीं कहता, किन्तु जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि द्विभाषी राज्य होना चाहिये। वहाँ का केवल एक ही हल है, वह यह कि मराठी और गुजराती दोनों साथ-साथ रहें। मैं समझता हूँ कि यदि विशुद्धतः भाषायी राज्यों की स्थापना की गई तो हमें अधिकाधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में हमें हिन्देशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के अनुभवों से कुछ सीखना चाहिय।

कुछ शब्द मैं भारत की आर्थिक प्रगति के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास और स्थिरता दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। सन् १९५४ में १२० करोड़ रु० की मुद्रावृद्धि हुई थी जब कि गत वर्ष २०० करोड़ रुपये की हुई। मूल्यों के देशनांक में गत ६ मास में ९ प्वाइंट की वृद्धि हो गई है। औद्योगिक प्रतिभूतियों में लगभग २० अंकों की वृद्धि हुई है। गत वर्ष सूती कपड़े का निर्माताओं के पास ६६·७ करोड़ गज़ का स्टॉक था जब कि इस वर्ष का स्टॉक ३०·१ करोड़ गज़ है। इस सबसे ज्ञात होता है मुद्रा-स्फीति का दबाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मुद्रास्फीति ठीक है। यदि हम मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसे समझें, इसका विश्लेषण करें और फिर खुशी से इसे स्वीकार करें मुझे बहुत दुख होगा यदि मुद्रास्फीति का प्रभाव हमारी जनता के ज्ञान के बिना उस पर पड़ेगा। भारत के इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण मुख्यतया कृषि कार्यों के लिये रुपया उपलब्ध कराने के लिये हुआ था। लेकिन इन कुछ महीनों इसने जो काम किया है उससे कोई संतोषजनक परिणाम नहीं विदित हुए हैं।

हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन में ६ से ८ प्रतिशत वृद्धि हुई है। किन्तु कारखानों में प्रति वर्ष केवल एक प्रतिशत अधिक लोगों को काम मिला है। और कुछ राज्यों, जैसे पश्चिमी बंगाल में, रोज़-गारी में लगे लोगों की संख्या वास्तव में कम हो गई है। इसी से मैंने अपनी आर्थिक प्रगति को ऊपर विकास तथा स्थिरता दोनों की दशा बतलाया है। उत्पादन की वृद्धि के अनुपात में रोज़गारी बुद्धि नहीं हुई है। शिक्षित बेकारों की संख्या हमारे देश में ५·५७ लाख है। लगभग १·४० लाख स्नातक बेकार हैं। बेकारी हमारी आर्थिक ढाँचे का अंग सी बन गई है। जब हम बड़े गर्व सहित अपनी सफलताओं की बात करते हैं तो हमें दूसरे पहलू से भी अवगत होना चाहिये।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को मालूम ही नहीं कि देहाती क्षेत्रों में क्या दशा है। हम यहाँ कानून बना देते हैं और बड़ी बड़ी योजनायें तैयार करते हैं। लेकिन जन-साधारण की स्थिति क्या है? अछूतों को वहाँ अब भी कोई स्थान प्राप्त नहीं है। कानून द्वारा हम अस्पृश्यता का निवारण कर चुके हैं, किन्तु गाँवों में कोई अछूत पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। इसलिये राष्ट्रपति

[मेहता, श्री अशोक]

के अभिभाषण में केवल ऊपरी चीज़ों का जिक्र न होकर जनसाधारण की वास्तविक दशा का वर्णन होना चाहिये ।

अभिभाषण में प्रथम और द्वितीय योजनाओं के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया है । प्रथम योजना को लीजिए । बहुत सी अच्छी बातें हुई हैं, किन्तु हमें अपनी कमियों को भी भुला नहीं देना चाहिये । स्वयं योजना आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में लोहा व स्पात, बिजली संयंत्र की स्थापना, सामूहिक विकास योजना, कृषि इत्यादि के सम्बन्ध में रह गई कमियों आदि को मंजूर किया गया है, वास्तव में बात यह है कि उच्चतर स्तर पर चाहे सब चीज़ ठीक हो, नीचे स्तर पर संगठन की कमी है, प्रशासनिक दक्षता की कमी है, हमारे पास वे साधन नहीं हैं जिन से कि ग्रामीण उद्योग या शिक्षा या सामूहिक परियोजनाएँ भली प्रकार कार्यान्वित की जा सकें, जिन से भूमि-सुधार पर्याप्त रूप से लागू किया जा सके या भूमि-रहित कृषि-श्रमिकों को लाभ पहुँचाया जा सके ।

दूसरी योजना में हम इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं । दूसरी योजना में ग्रामीण उद्योगों तथा छोटे उद्योगों पर पहली योजना की अपेक्षा सात गुना अधिक खर्चा होगा । किन्तु इसे ठीक प्रकार कार्यान्वित करने के लिये महज़ एक अच्छी योजना तैयार कर लेना काफी नहीं है । यदि उसे ठीक प्रकार कार्यान्वित करना है तो सरकार ने जो न केवल अन्तिम निर्णय करने वरन मशविरा लेने तक पर एकाधिकार जमा रक्खा है उसे वह त्यागना पड़ेगा । जहाँ तक दूसरे दलों का सम्बन्ध है, सरकार उनसे मशविरा तक नहीं करती । उनकी अवहेलना कर दी जाती है और वे अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियों, अपनी कठिनाइयों तथा नीचे के लोगों की आपदाएं और खुशियाँ उन्हें नहीं बता पाते । यदि हमें आगे बढ़ना है तो चाहे यह राज्यों के पुनर्गठन का मसला हो या नयी योजना की कार्यान्विति का प्रश्न, हमें दलगत आधार पर नहीं होना चाहिये । हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि सभी के विचार और सभी की शक्तियाँ एक साथ मिलकर विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालने के लिये लग जायें ।

डा० राम सुभग सिंह : (शाहाबाद-दक्षिण) : सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में इस बात का ज़िक्र किया है कि,

> "मेरी सरकार को इस बात का बहुत क्षोभ है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सचिव ने इस सम्बन्ध में बोलते हुए पुर्तगाली बस्तियों को पुर्तगाल के प्रान्त कहा जिससे इस बात का भ्रम होता है मानो वे बस्तियाँ पुर्तगाल देश का एक अंग हों ।"

करीब दो महीने पहले अमेरिका के सचिव श्री जान फॉस्टर डलेस ने यह वक्तव्य निकाला था कि गोआ आदि पुर्तगाली बस्तियाँ पुर्तगाल के प्रदेश हैं । मैं इस लिये भी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वान्डुंग सम्मेलन में—और उससे कब्ल भी—उस ने पंचशील के आदर्शों को अपनाया, जिसका स्वागत दुनिया के अधिकांश देशों में हुआ है और हो रहा है । इसके लिये मैं प्रधान मंत्री महोदय और भारत सरकार दोनों को बधाई देता हूं । गोआ के विषय में अमरीका की नीति के सम्बन्ध में यहाँ भी कुछ भ्रम था, जिसका निराकरण अमृतसर कांग्रेस में हुआ, जहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री ढेबर ने अपने भाषण में खुले-आम कहा कि अमरीका की जनता डलेस के साथ नहीं है । इसके लिये मैं उन को भी धन्यवाद देता हूं ।

श्री डलेस ने कहा था कि लगभग चार सौ वर्षों से गोआ की यही स्थिति है, लेकिन अगर उन से सरकारी तौर पर यह पूछा जाय कि चार सौ वष पहले अमेरिका की स्थिति क्या थी, तो वह अनुचित नहीं होगा, क्योंकि तीन चार सौ वर्ष पहले अमेरिका में वहाँ के रेड इंडियन लोगों का अधिकार था । उसके अनुसार रेड इंडियन लोगों का अमरीका पर कब्ज़ा होना चाहिये ।

मैं प्रजातन्त्र में एक बड़ा दोष मानता हूं। अमरीका में श्री आइज़नहोवर वहाँ के प्रैज़िडेंट चुने गए, लेकिन अगर श्री डलेस चुनाव में खड़े हो कर गवर्नर के पद पर या किसी और इलैक्टिड पोस्ट (निर्वाचित पद) पर जाना चाहें, तो मेरी बुद्धि के अनुसार वह कभी भी नहीं चुने जा सकते हैं। इस को मैं गणतन्त्र का दोष इस लिये कहता हूं कि जो व्यक्ति चुना जाता है, वह अपने चुनने वालो के अधिकार की रक्षा उस हद तक नहीं करता जिस हद तक करनी चाहिये। वहाँ पर फिर नामज़दगी का सवाल आता है। श्री डलेस को वहां पर नामज़द किया गया और डेमोक्रेसी को धोखा दिया गया। अमरीका के लोगों की दृष्टि से वहाँ पर किसी चुनाव में ऐसे आदमी सफल नहीं हो सकते हैं।

हम एक दूसरे दृष्टिकोण से भी इस विषय पर विचार कर सकते हैं अर्थात् मुनरो डाक्ट्रिन (सिद्धान्त) के अनुसार। २ दिसम्बर को यह वक्तव्य प्रकाशित किया गया कि गोआ पुर्तगाल का अंग है। २ दिसम्बर, १८२३ को प्रेसीडेंट मुनरो ने अमेरिका की कांग्रेस को सन्देश दिया था कि उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका में कोई भी यूरोपियन राष्ट्र उपनिवेश स्थापित नहीं कर सकते। श्री डलेस को भारत के इतिहास का पता होना चाहिये और उनको मालूम होना चाहिये कि चार सौ वर्ष पहले गोआ की स्थिति क्या थी। मालूम होता है कि अपने यहाँ के अच्छे अच्छे लोगों के विचारों का भी उनको पता नहीं है।

वर्तमान स्थिति के लिये किसी कदर हम भी जिम्मेवार हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद से अमरिका की यह नीति रही है कि कम्युनिस्ट राज्यों को दबाने के लिये वह तमाम नान-कम्युनिस्ट राज्यों को अपनी तरफ मिलाना चाहता है और उसने यह नीति अपनाई है कि इन राज्यों को थोड़ी बहुत सहायता देकर अपनी तरफ कर लिया जाये। इस चक्कर में हम लोग भी थोड़े बहुत पड़ गये हैं और आज भी किसी हद तक पड़े हुए हैं। अमेरिका की इस नीति का पहला चरण था "एड टू ग्रीस एंड टर्की", दूसरा चरण था मार्शल प्लान और तीसरा चरण था नार्थ एटलांटिक ट्रीटी आर्गेनाइज़ेशन। उसकी धारा ४ में साफ लिखा है :

> "जब कभी किसी पक्ष की राय में उसकी सुरक्षा या राजनैतिक स्वतन्त्रता तथा राज्य क्षेत्रीय अखण्डता को खतरा हो तो पक्ष आपस में परामर्श करेंगे।"

यह सही है कि कनाडा के प्रधान मंत्री और दूसरे कुछ लोगों के अनुसार उसको गोआ पर लागू नहीं किया जा सकता लेकिन यदि श्री डलेस जैसे विचार के ही दूसरे लोग हों तो उसको जरूर गोआ पर लागू कर देंगे क्योंकि इस धारा में इसका साफ ज़िक्र है।

आप भारत के इतिहास को ले लीजिये। उससे प्रकट होगा कि गोआ पर पुर्तगाल का अधिकार होने से पहले भी गोआ का इतिहास रहा है। यदि ऐसा न होता तो हम मान सकते थे कि पुर्तगाल पर गोआ का अधिकार है। परन्तु ऐसा नहीं है। जब से यहाँ का इतिहास है तब से गोआ भारत का अंग रहा है। महाभारत काल में भी, मगध के मौर्य शासकों के जमाने में भी, आमीर और विजय नगर के राजाओं के समय में भी और बहमनी और बीजापुर के शासकों के समय भी गोआ भारत का अंग रहा है ऐसा इतिहास से पता चलता है। इसलिये यह कहना ग़लत है कि गोआ पर पुर्तगाल के अधिकार से पहले भारत का अधिकार नहीं था।

कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार गोआ को लेने के लिए उतने मज़बूत कदम नहीं उठाये जा सकते जितने कि उठाये जाने चाहिये। हमें इस प्रश्न पर भी तथ्यों को सामने रखकर विचार करना चाहिये। जब १७ फरवरी सन् १५१० को गोआ पर पुर्तगाल का अधिकार हुआ तो वहाँ पर एक नरमेध हुआ था और सैंकड़ों और हज़ारों लोग कत्ल किये गये थे। इससे स्पष्ट है कि पुर्तगाल ने एक आक्रमणकारी की भांति गोआ पर कब्जा किया। आप किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून

[डा० राम सुभग सिंह]

को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हमको किसी भी आक्रमणकारी की मुखालिफत करने का अधिकार है ।

गोआ को एक विदेशी आक्रमणकारी ने हिंसात्मक ढंग से अपने कब्जे में किया है । ऐसी दशा में हम को उसकी मुखालिफत करने का पूरा अधिकार है । मैं एक उदाहरण देता हूं । मान लीजिये कि आज कोई कलकत्ते पर हमला करे । उस स्थिति में हमारी सरकार को और हमारी सारी जनता को यह अधिकार है कि हम हर तरह से प्रयत्न करके आक्रमणकारी को कलकत्ते से निकालें । इसलिये मैं कहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भी हमको अधिकार है कि हम पुर्तगालियों को गोआ से हटा दें क्योंकि उस पर उनका जायज़ कब्जा नहीं है ।

आप विचार कीजिये आज क्या स्थिति होती यदि हम सन् ४७ और ४८ में जूनागढ़ और हैदराबाद को हिन्दुस्तान में न मिला लिये होते । हैदराबाद की नैगोसियेशन (दुरभिसंधि) गोआ को खरीदने के लिये चल रही थी । कहना कठिन है कि वह ऐसा करने में सफल होता या नहीं । लेकिन यदि आज हैदराबाद की पहले जैसी ही स्थिति रहती तो हमारी कठिनाई और भी अधिक हो जाती । आज स्थिति ऐसी हो रही है कि हम गोआ के मामले में कोई भी दृढ़ कदम नहीं उठा रहे हैं । हमारे प्रधान मंत्री ने सन् ४६ में कहा था कि :

"ब्रिटिश राज्य के समाप्त होने के बाद पुर्तगाली शासन भी समाप्त हो जायेगा।"

यह भाषण उन्होंने १० जुलाई सन् ४६ को दिया था । इसको करीब ९ साल हो चुके लेकिन वह अवस्था दुरुस्त नहीं हो सकी है । आज कल हमारे सामने पंचशील का आदर्श है । हमारे पंडित जी के चलते आज दुनिया के बहुत से देश इस आदर्श को मान्यता दे रहे हैं और इसके लिये हम सब को गौरव का अनुभव होता है । लेकिन पंचशील का पहला सिद्धान्त है : दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीय अखंडता और सार्वभौमिकता का सम्मान । अब सवाल यह पैदा होता है कि पुर्तगाल के राष्ट्र को हम कहाँ तक मानें । यदि गोआ को पुर्तगाल का अंग माना जाय तो उसके विरुद्ध हमको कार्रवाई नहीं करनी चाहिये । लेकिन जैसा कि मैं ने ऊपर सिद्ध कर दिया है, गोआ भारत का अंग है और पुर्तगाल का अंग नहीं है । भले ही श्री डलेस कहें कि वह पुर्तगाल का अंग है, लेकिन इतिहास के आधार पर यह नहीं सिद्ध किया जा सकता । हमें चाहिये कि हम जनता के एक एक सदस्य को यह जता दें कि गोआ पुर्तगाल का अंग नहीं है । जनता को किसी हद तक यह जता दिया गया था और जनता ने इस दिशा में कदम भी उठाया था लेकिन उसको रोक दिया गया । मैं चाहता हूं कि इस विषय में हमारी नीति बिल्कुल साफ होनी चाहिये कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी और जनता को किस हद तक कार्रवाई करनी चाहिये । आज नगर हवेली और दादरा की भी वही स्थिति होती जो शेष गोआ की हो रही है यदि २१ जुलाई सन् ५४ को वहाँ के लोगों ने उसको स्वतन्त्र घोषित न कर दिया होता । आज यदि यह हिस्सा स्वतन्त्र न होता तो वहाँ भी वही तबाही हो रही होती । हम अपने यहाँ के लोगों को कार्रवाई करने की छूट नहीं दे रहे हैं, केवल वहीं के लोग जो चाहें कदम उठा सकते हैं । लेकिन सवाल आता है कि हम वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में अन्तर क्यों मानते हैं । यह सही है कि वहाँ पर १२ या १६ हजार पुर्तगाली सैनिक हैं लेकिन जो शेष पाँच या छः लाख जनता वहाँ रहती है वे तो हमारे ही आदमी हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि उन लोगों को हम अपने समान बनावें । वहाँ सरकार के पास हर प्रकार के हथियार हैं, जब कि जनता निहत्थी हैं । ऐसी स्थिति में हम यह आशा नहीं कर सकते कि वहाँ की जनता अपने आन्दोलन में कामयाब हो जायेगी । हमें उनकी सहायता करनी होगी । और यदि हम ऐसा करें तो यह पंचशील के सिद्धान्त के विपरीत भी नहीं होगा क्योंकि गोआ भारत के भूखंड का ही अंग है । न ऐसा करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हो सकता है । कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करने से गोली चलेगी और रक्तपात होगा । लेकिन मैं कहता हूं कि यदि कोई आक्रमणकारी आकर कलकत्ते पर आक्रमण

करे तो हमें अपनी जनता को छूट देनी होगी कि वह उसकी हर प्रकार से मुखालिफत करे। अगर हम खुद नहीं करते तो न करें। लेकिन अगर वहाँ की जनता मुखालिफत करती है तो हर ढंग की नीति को देखते हुए भी इस में कोई दिक्कत की बात समझ में नहीं आती।

अब सवाल आता है ब्रिटिश कामनवेल्थ का। इसके बारे में कई बातें कही गई हैं। इस बात से भी हमें बड़ी खुशी हुई है कि गोआ के बारे में प्रधान मंत्री की ओर से स्पष्ट ऐलान कर दिया गया है कि युद्ध की दशा में भारत के विरुद्ध आक्रमण के लिये गोआ को अड्डा नहीं बनाया जायेगा। १९४८ की नाटो तथा १८८९ की एंग्लो पुर्तगाली संधि का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि भारत उनमें से किसी एक में भी शामिल नहीं है। १८८९ की जो एंग्लों पुर्तगाली संधि है उस के अनुसार अंग्रेज सरकार ने यह बीड़ा उठाया है कि :

> "ब्रिटिश सरकार पुर्तगाल के सभी उपनिवेशों तथा हितों की वर्तमान तथा भविष्य में सभी शत्रुओं से रक्षा करने का वचन देती है।"

अब हम लोग ब्रिटिश कामनवैल्थ में हैं तो क्या हम उन को इतना भी प्रभावित नहीं कर सकते कि वे खुद ब खुद इस संधि को रद्द कर दें। हमारे यहाँ तो यह ऐलान हो गया है कि इस ट्रिटी (संधि) का कोई रेलेवेन्स (संगति) नहीं है लेकिन क्या अंगरेज भी हमारी तरफ कुछ हमदर्दी दिखा कर इस संधि को रद्द करने की घोषणा नहीं करेंगे ? नार्थ ऐटलांटिक ट्रिटी आर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जेनरल लार्ड ईस्मे बराबर जा कर पुर्तगाल के लोगों को यह प्रेरणा देते रहते हैं कि कुछ भी हो हम नाटो प्रोग्राम के अनुसार विचार करेंगे। अब बात आती है भारत सरकार की। मार्शल प्लान, नार्थ ऐटलांटिक ट्रिटी आर्गेनाइजेशन, प्वाइंट फोर प्लान, इत्यादि चीजें हैं। इस प्वाइंट फोर प्लान के अन्तर्गत साफ सवाल है कि अगर आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो या तो आप खुद इतनी हस्ती रखिये कि उस काम को करा लोजिये, नहीं तो यह भी हम को अधिकार रखना चाहिये कि वे हम को ऐसा न समझें कि हम उन से डरते हैं।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : ऐसा वह नहीं समझते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : यदि प्वाइंट फोर प्लान के बारे में त्यागीजी ने यह समझा है तो ठीक है। मगर जब यह प्वाइंट फोर प्लैन चालू किया गया था तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह घोषणा की थी कि जितनी अंडरडेवेलप्ड कंट्रीज (अविकसित देश) हैं उनमें जा कर अमरिकी सहायता पहुँचायें इसलिये कि वहाँ पर कम्यूनिस्टों का प्रभाव न होने पावे यही उस का सिद्धान्त है जो कि शायद आप को पता होगा। अगर आप को इस का पता है तो यहीं पर हमारा विरोध आता है। यदि हम उसका विरोध करते हैं तो ठीक है, आँख मूंद कर विरोध कीजिये, लेकिन उस को अलग अलग नाम से रखना कहाँ तक ठीक है। मार्शल प्लैन है, कम्यूनिटी डैवलेपमेण्ट प्रोजैक्ट, नेशनल एक्स्टैन्शन सर्विस कोई तामिल या मलयालम का नाम दे दें। यह सब बातें अमेरिका के लोग ज्यादा आसानी से समझते हैं। आप के देहरादून में कोई समझता हैं या नहीं, यह मुझे पता नहीं। प्वाइंट फोर प्रोग्राम के बारे में हम बार बार एक के बाद एक समझौता करते गए, यहां तक समझौता भी कर लिया कि अमेरिकन घी लावें, यहाँ तक समझौता कर लिया कि अमरीका से जो गेहूँ लावें उस पर अमरीकी झंडा रहे। हमारे यहाँ बिहार में आदेश हुआ कि अमरीका के इस समझौते के अनुसार उस पर अमरीकी स्टार और स्ट्राइप्स रहेंगे। उनके बिना बोरों का वितरण नहीं हो सकता। मेरा कहना यही है कि या तो आप समझ कर समझौता कीजिये या फिर जो समझौते किये हैं उन में अगर कोई दस्तंदाजी करे तो उस को दुरुस्त कीजिये। बिहार में इस प्रकार से हो रहा है। इसी तरह से गिफ्ट्स (भेंटों) का सवाल है। अगर आप ने गिफ्ट्स के बारे में कोई समझौता किया है या किसी से गिफ्ट ली है तो किसी को कोई हक नहीं है कि उस पर अपने कंट्रोल की बात करे।

[डा० राम सुभग सिंह]

इसी तरह से हम लोगों की सेक्युलर (धर्म निरपेक्ष) सरकार है, यदि यहाँ पर कोई अन्य धार्मिक आदमी आता है तो कोई भी सरकार का आदमी या मंत्री अगर उस के साथ जा कर गाना गावे तो यह भी ठीक नहीं है यदि हमारी सरकार सेकुलर है तो उस के किसी भी आदमी को किसी भी धार्मिक संस्था के आदमी के साथ नहीं रहना चाहिये क्योंकि उस संस्था के आदमी का खास उद्देश्य है ।

इसी तरह से मान लीजिये कि जार्ज मीने ने, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन आफ़ फ्री वर्ल्ड ट्रेड यूनियन्स के प्रेजिडेंट हैं, पंडितजी के खिलाफ भाषण दिया कि वह कम्यूनिस्टों के हाथ में खेल रहे हैं, उनका भाषण सुन कर खून खौलने लगता है, लेकिन उस को आप छोड़ दीजिये क्योंकि इंटरनेशनल फेडरेशन आफ फ्री वर्ल्ड ट्रेड यूनियन्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है । यदि वहाँ यह कहा गया कि नीग्रो को उस ट्रेड यूनियन में रहने का अधिकार नहीं है तो ठीक है, इंटरनेशनल फैडरेशन आफ फ्री वर्ल्ड ट्रेड यूनियन को अधिकार है । यदि जार्ज मीने वहाँ ऐसा बोलते हैं तो वह फ्री हैं इस के बारे में । पर आप उसके चक्कर में न पड़ें । आप उसके सदस्य कैसे हो जाते हैं । इसके विरुद्ध हमने चेतावनी दी, हालां कि चेतावनी देने की मैं जरूरत नहीं समझता, लेकिन आप को इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिये कि वैसे लोगों की यूनियन के आप इकाई हो जायें ।

और भी बहुत सी बातें कही गई हैं जो कि शहर या देहात के बारे में हैं उन पर मैं बाद में कहूँगा लेकिन जहाँ तक गोआ का सवाल है वह पंचशील सिद्धान्त के बिल्कुल अन्दर आता है और उस के अनुसार हमें अधिकार है कि चूंकि वहां पर पुर्तगालियों की ओर से एग्रेशन (आक्रमण) हुआ है उस का जवाब हम उन को शांतिपूर्ण ढंग से दें, लेकिन अगर वह एफेक्टिव (प्रभावशाली) नहीं होता तो हमारा यह भी अधिकार है कि हम उस का जवाब किसी तरह से भी दे कर उन को वहाँ से हटावें, हमारा आप का धर्म है कि हम अपने भाइयों को जा कर स्वतन्त्र करें ।

इसी तरह से राज्य पुनर्गठन का सवाल है । हिन्दुस्तान में सभी लोग रहेंगे । लेकिन भाषावार प्रान्त के प्रश्न को लेकर सब लोग ऐसे हो गये हैं कि मालूम होता है कि जैसे उन्हीं का एक कल्चर (संस्कृति) हैं, उन्हीं की एक भाषा है और किसी का कल्चर या भाषा है ही नहीं । मैं इसे अपनी कमजोरी समझता हूँ । मान लीजिये कि झांसी की रानी की जगह से ग्वालियर से राजा कुंअर सिंह के जगदीशपुर तक के विठूर आदि सहित, जहाँ जहाँ सन् १८५७ में बलवा हुआ उन इलाकों से ले कर काल्पी तक न कोई भाषा रहने पाई न कोई संस्कृति रहने पाई । जिन इलाकों में बलवा नहीं हुआ वहाँ बहुत पढ़े लिखे अफसर हुए । आज वह कहने लगें कि हमारे पास अपना कल्चर है, इसके अलावा हिन्दुस्तान में कोई कल्चर नहीं, जहाँ के लोगों ने इतनी कुर्बानी की हिन्दुस्तान की आजादी के लिये उन का कोई कल्चर नहीं, उन की कोई ज़बान नहीं है, तो यह कैसे हो सकता है । आज यू० पी० का कल्चर ही तो सारे भारत का कल्चर है । चाहे राम, कृष्ण हुए, चाहे बुद्ध हुए, उन्हीं का कल्चर तो है हम लोगों का, फिर चाहे यहाँ हिन्दू हों, चाहे ईसाई हों या और कोई हो । आज मथुरा से ले कर गया तक जहाँ बुद्ध देव को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या नेपाल से लेकर राम के नगर तक के कल्चर में कोई अन्तर नहीं है, लेकिन कल्चर के नाम पर और भाषा के नाम पर आज सब लड़ने लगते हैं । आज वक्त का तकाज़ा है कि जब तक गोआ, दामन और डयू को हम स्वतन्त्र न करा लें, तब तक हम इस भाषावार प्रान्त के झमेले में न पड़ें । अगर हम इस प्रकार के प्रश्नों में अपने को उलझायेंगे तो परेशानी में पड़ जायेंगे । मुझे बड़ी खुशी है कि अब अशोक मेहताजी भी सोचने लगे कि हम को बाईलिंग्वल स्टेट्स बनानी चाहिये । गवर्नमेंट की भी यह कमजोरी है कि मान लीजिये कि आज दस पन्द्रह आदमी उठ कर मांग करने लगे कि हम को फलानी चीज़ चाहिये तो सरकार कांपने लगती है और सोचने लगती है कि उन की मांग मान ले । दस आदमियों ने कह दिया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दो, किसी ने कहा कि

रीजनल लेंग्वेज की स्टेट्स बना दो, बस तुरन्त सरकार ने एक कमिशन बना दिया। मेरा कहना है कि अगर आज कम्यूनलिज्म (सम्प्रदायिकता) के खिलाफ़ सरकार है तो उस को इस मामले में नरमी नहीं बरतनी चाहिये, न इस तरह के लोगों को अफसर बनाये और न मिनिस्टर बनाये। अगर आप को यह काम करना है तो मजबूती से करना होगा। इसलिये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ और सरकार तथा जनता का भी, कि जितनी विदेशी पार्क्ट्स यहां पर हैं पहले उन सभी से अपने देशवासियों को स्वतन्त्र कराना चाहिये, उसके बाद ही किसी दूसरी बात पर विचार करना चाहिये।

अब सवाल आता है टैक्सेशन (कराधान) का। आज क्वेश्चन अवर (प्रश्न काल) के समय संसदीय सचिव महोदय ने कहा कि हम ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों के सम्बन्ध में पाकिस्तान को लिखा, लेकिन पाकिस्तान सुनता ही नहीं है, आज ईस्ट बंगाल में जितनी आबादी है उस की चौथाई आबादी ऐसी है जिस को पाकिस्तान वाले हटाना चाहते हैं और अगर वह नहीं भी हटाना चाहते तो वहाँ की स्थिति के कारण वहाँ के लोग स्वयं ही यहाँ भाग कर आ रहे हैं। अब हम को ठंढे दिल से विचार करना है। जरूर यह हमारी राष्ट्रीय थाती है कि हम उन आने वाले लोगों की रक्षा करें, अगर वह यहाँ पर आवें तो हम दिल खोल कर उनका स्वागत करें। लेकिन क्या हम उन को इसी तरह से आने दें जैसे कि वह अपने घर बार छोड़ कर आ रहे हैं और उन को जैसे तैसे यहां वसावें? यहाँ पर हमारी पालिसी (नीति) का सवाल आता है। पालिसी आप को ऐसी बनानी चाहिये कि जिस में पाकिस्तान को, जो कि अंगरेजी दिमाग का ढांचा है, सोचना पड़े कि यदि पाकिस्तान के लोगों का टेरिटोरियल राइट आफ सेसेशन माना गया तो क्यों इन आदमियों का टेरिटोरियल राइट आफ सेसेशन माना जाय।

अगर आप एक चौथाई आबादी को हटाते हैं किसी कारणवश, तो आपका फर्ज हो जाता है कि आप उनको वसाने का भी प्रबन्ध करें। चाहे वे लोग अपने आप आते हैं, चाहे वे निकाले जाते हैं, उनको बसाने का सवाल बड़ा अहम है। उनकी जो ज़मीन वहाँ पर है उसका भी आपको ख्याल रखना है, आपको चाहिये कि आप उनको राज्य के नज़दीक ही बसावें। हम भाषावार राज्यों के फेर में इस चीज़ को भुला देते हैं। आज इसकी कोई भी माँग नहीं करता, न कम्युनिस्ट करते हैं, न सोशलिस्ट करते हैं और न ही हिन्दु महासभा करती है। अगर दो चार आदमी आते हैं तब तो उनको किसी भी जगह बसाया जा सकता है लेकिन जब लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं तब हमको अपनी पालिसी ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे कि उनका कल्याण हो सके और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारी पालिसी ऐसी होनी चाहिये जिससे कि पाकिस्तान का भी कल्याण हो सके।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : बात लाजिक की है।

डा० राम सुभग सिंह: अब मैं टैक्सों के बारे में कहूँगा, टैक्स भी खूब लगाये जा रहे हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूट खुल रही है, उस पर भी तकरीबन ६ करोड़ का खर्च होना है। ४५० करोड़ रुपये के नए टैक्स लगाने का भी विचार है। इसके अलावा ४०० करोड़ रूपये की और जरूरत होगी जिस को कहीं से लाना होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये भी आपने काफी टैक्स लगाये थे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि एड्मिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) में आप क्या सुधार कर पाये हैं। आप गरीब आदमियों से टैक्स तो काफी वसूल करते हैं लेकिन उसका ख्याल जरा भी नहीं करते। आप को चाहिये कि आप यह देखें कि एक एक पैसे का सदुपयोग हो। आपने कई कम्युनिटी प्राजेक्टस चलाई हैं, कई नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स चलाये हैं, बड़े बड़े कल कारखाने खोले है, और आप इन पर बहुत बड़ी बड़ी रकमें भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह भी देखने की कोशिश की है कि क्या इन म जो खर्च हो रहा है वह ठीक ढंग से भी हो रहा है या नहीं। जिस तरह के आप डाक बंगले बनाते हैं, जिस तरह की आप इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं और इन के लिए जिस तरह कि आप

[डा० राम सुभग सिंह]

बिल्डिंग्ज़ बनाते हैं वह ऐसी होती हैं जोकि एक साधारण आदमी ने कभी देखी भी न होंगी। आपने जो रुपया कम्युनिटी प्राजेक्टस पर खर्च किया है मैं चाहता हूं कि आप मुझे बतलायें कि उसमें से कितना रुपया अफ़सरों के घर बनाने पर खर्च किया गया है और कितना रुपया पेट्रोल इत्यादि पर खर्च किया गया है। मैं चाहता हूं कि इन सब चीज़ों की पहले जाँच की जाए और उसके बाद ही कोई नए टैक्स लगाये जायें। मैं यह नहीं कहता कि आप टेक्स न लगायें। आप १०,००० करोड़ के नये टैक्स लगायें लेकिन साथ ही साथ आप यह देखें कि पैसे पैसे का सदुपयोग हो। आज हमारे मिनिस्टर साहिबान जो कि सैंटर और स्टेट्स को मिलाकर सैंकड़ों की तादाद में हैं दौरा करते फिरते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं गया ? क्या कभी उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिया है कि जो रुपया फिजूल खर्च हो रहा है उसको रोका जाये और इसकी जाँच पड़ताल की जाए ? क्या उनको यह मालूम नहीं है कि घूसखोरी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है ? यह जो घूसखोरी बढ़ रही है, यह किसी एक खास डिपार्टमेंट में ही नहीं बढ़ रही है, हर डिपार्टमेंट में यह बढ़ रही है। चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट हो चाहे कोई और कोई भी इससे अछूता नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमें वैसे ही कार्य करने चाहिये जिनके करने से जनता की भलाई हो, उनके स्वार्थ की सिद्धि हो। यह जो घूसखोरी है यह किसी एक ज़िले या गांव तक ही महदूद नहीं है, यह हर जगह है। हम यहाँ पर कभी पुर्निया की चर्चा करते हैं और कभी किसी और जगह की। आज जैसी स्थिति है उसमें तो मैं यह देखता हूं कि लोग अपने आप को महफूज़ फील (महसूस) नहीं करते हैं। चोरियाँ और डकैतियां हर जगह हो रही हैं। आज हर सूबे में और हर देहात में मान सिंह है। बलिया में मान सिंह है, बाराबंकी में मान सिंह है, बिहार में मान सिंह है। साथ ही साथ हम कितने ही जलूस निकलते देखते हैं, कितने ही मुज़ाहरे होते देखते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या कारण है कि ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कहीं पर आग लगाई जाती है और कहीं पर कुछ और किया जाता है। इन सब चीज़ों को रोकने का क्यों प्रयत्न नहीं किया जा रहा है और जिन कारणों से यह सब चीज़ें होती हैं, उन कारणों को दूर करने की क्यों चेष्टा नहीं की जा रही है ? मुझे याद है कि १९४६ में हिन्दु-मुस्लिम रायट्स (दंगों) के दिनों में जवाहरलाल जी ने हवाई जहाज़ से जा कर इन को रुकवाने का प्रयत्न किया था और एक प्रकार से धमकी भी दी थी। आज भी हम को यह चाहिये कि हम यह देखें कि वही आदमी जिलों और देहातों में रखे जायें जिन की आवाज़ में ताकत हो, जो किसी भी स्थिति का मुकाबला करने में समझदारी से काम ले सकें।

अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने के बाद कितनी ही तरक्कियाँ अफसरों को दी गई इतनी प्रोमोशंज़ (तरक्कियाँ) कभी भी अंग्रेजों के ज़माने में नहीं दी गई जितनी पिछले चन्द सालों में दी गई हैं। जो आज हमारी सर्विसिस की हालत है वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं आप आर्मी (सेना) को ही ले लीजिये। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो अफसर होंगे वे तो एक तबके के होंगे और जो सिपाही होंगे वे दूसरे तबके के होंगे। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि हमारे यहां एक तो पब्लिक स्कूल्ज़ हैं और दूसरे बेसिक स्कूल्ज़ हैं। पब्लिक स्कूल जो हैं उनमें वही लड़के भर्ती होते हैं जो कि बड़े लोगों के लड़के होते हैं और जो बेसिक स्कूल हैं उनमें वही लोग भर्ती होते हैं जिनके मां बाप गरीब होते हैं। जो लड़के पब्लिक स्कूल से पढ़कर निकलते हैं वे तो अफसर हो जाते हैं और जो लड़के बेसिक स्कूल से पढ़कर निकलते हैं वे सिपाही बन जाते हैं। इसी तरह से आप आइ० ए० एस० और आई० पी० एस० को ले लीजिये। वहाँ पर भी यही हाल है। इस किस्म की चीज़ों को देखकर बहुत दुख होता है और दुख खास कर इसलिये और भी ज्यादा होता है कि यह अपनी सरकार है और इसके राज में ऐसी बातें हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि जहाँ पर भी कमियाँ हैं उनको दूर किया जाए और हर एक को पढ़ने के बराबर मौके मुहैया किए जायें।

अब मैं बेरोज़गारी के सवाल पर आता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना में हम ने बेकारी को दूर करने के लिये १७५ करोड़ रुपया खर्च किया है। कितने आदमियों को रोज़ी मिली है इसका कोई पता नहीं है। मैं तो यह कहता हूँ कि शिक्षितों को नौकरी देने के लिये आप टैक्स न लगायें जो लोग अशिक्षित हैं शिक्षित हो जाने के बाद वे भाषावार प्रान्तों की मांग करने लगते हैं और अगर उनको कहीं किसी दफ्तर में नौकरी मिल जाती है तो वे घूसखोरी करने लग जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी ही न दी जाये, मैं तो यह चाहता हूं कि उनमें जो यह बुराइयाँ आ जाती हैं, इन को दूर किया जाये और यह देखा जाये कि यह बुराइयाँ पैदा क्यों होती हैं। मैं चाहता हूं कि एक आदमी जब कहीं पर नौकर हो जाता है चाहे चितरंजन में हो जाता है, चाहे किसी सेक्रेटेरिएट में हो जाता है, चाहे मेडिकल सर्विस में आ जाता है, चाहे आइ० ए० एस० में आता है और चाहे आई० पी० एस० में आता है, आप उसका स्टेंडर्ड इतना ऊंचा न कर दीजिये जिससे कि वह उस स्टैंडर्ड को हासिल करने के लिये किस किस्म की बुराई में फंसे।

इसी तरह से सीलिंग का सवाल है। आपका ज़मीनों पर १२०० क़ी सीलिंग लगाने का विचार है। मैं चाहता हूं कि आप ५०० की सीलिंग लगाइये पर यह सीलिंग सर्वत्र लगे इसी तरह से बड़े लोगों की तनख्वाह पर भी ५०० की सीलिंग लगनी चाहिये। जो लोग थोड़ी तनख्वाह पाने वाले हैं उन की तनख्वाह में आपको वृद्धि करनी चाहिये और जो लोग पाँच सौ से ज्यादा तनख्वाह पाते हैं उनकी तनख्वाह में कमी करनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि ५०० की सीलिंग अगर लग जाए तो अच्छा है। साथ ही साथ जो बड़े आदमियों के अधिकार हैं उनमें कमी होनी चाहिये। जैसे दारोगा को तनख्वाह के साथ साथ अधिक अधिकार भी हैं। आज मैं देखता हूं कि जितने अधिकार दारोग़ा के पास होते हैं, उतने किसी के पास नहीं होते हैं। वह जितनी तबाही और बरबादी चाहे मचा सकता है। बड़े बड़े आदमियों की एक तो तनख्वाह में कमी होनी चाहिये और दूसरे उनके अधिकारों में कमी होनी चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दो चार आदमियों ने एक मांग पेश कर दी और आपने उसको मंजूर कर लिया, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। आपको मज़बूती के साथ और सोच समझ कर समस्याओं को हल करना चाहिये और जो कमियाँ मैंने बतलाई हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** (मुज़फ्फरपुर-मध्य) : मैं कतिपय माननीय सदस्यों के इस मत से सहमत नहीं हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूरी जानकारी और सूचना तथा भावी कार्यक्रम का व्यापक विवरण होना चाहिये था। तथापि इस में पिछली और भविष्य में की जाने वाली आवश्यक बातों का विवरण दिया गया है, और इस प्रकार के अभिभाषणों में इतना ही सम्भव होता है।

अभिभाषण में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिये सहकारिता की पद्धति के महत्व पर जोर दिया गया है। इस समय विश्व में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, पूंजीवाद और समाजवाद, और क्रमशः अमेरिका और रूस इन के प्रतिनिधि देश हैं। दोनों देश अत्याधिक प्रगति कर रहे हैं। इसलिये यह कहना कठिन है कि अन्त में कौनसी प्रणाली सफल रहेगी। किन्तु एक बात स्पष्ट है कि हम भारत में न तो निजी उपक्रम की उपेक्षा कर सकते हैं और न ही देश के सर्वोत्तम सामाजिक लाभ को ही भुला सकते हैं। इसलिये हमें मध्यवर्ती उपाय निकालना होगा और सम्भवतः सहकारिता सर्वोत्तम मध्यवर्ती उपाय हैं, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा निजी उपक्रम के साथ साथ सामूहिक स्वामित्व और सामूहिक कार्य भी होता है। इसके सम्बन्ध में जो बात अभिभाषण में कही गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। गिरते मूल्य के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों की अत्यन्त आवश्यकता है। सम्भवतः अभिभाषण के इस पहलू विशेष पर विचार करते समय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्यामनन्दन सहाय]

इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि देश में सहकारिता के आधार पर बड़े उद्योग भी अच्छी तरह चलाये जा रहे हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सहकारिता केवल कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों तक ही सीमित न रहकर बड़े उद्योगों तक भी इस का विस्तार होगा और किसी भी वर्ग को कोई कठिनाई पहुंचे बिना ही देश में समाजवादी राज्य व्यवस्था हो जाएगी और धन तथा लाभ का उचित वितरण सम्भव हो सकेगा।

राज्य पुनर्गठन के बारे में मैंने ऐसे ही एक पूर्व अवसर पर कहा था कि अभी यह मामला नहीं उठाया जाना चाहिये। अब इस मामले को उठाने का परिणाम यह हुआ है इससे उतनी समस्याएं हल नहीं हुईं जितनी कि उठ खड़ी हुईं। इस प्रश्न से जनता भड़क उठी है और कई स्थानों पर अवांछित घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसलिये अब समस्या का बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ निपटारा किया जाना चाहिये, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ या अव्यवस्था का अवसर न आये।

इस समस्या का बड़ी दृढ़ता के साथ सामना करने की आवश्यकता है। सुक्रात और अरस्तू भी सब लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते थे। कोई भी व्यवस्था सब लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकती।

मुस्लिम लीग ने भी अपनी संस्कृति को भारतीय संस्कृति से पृथक मान कर और खान पान तथा वेशभूषा का कृत्रिम भेद भाव पैदा करके देश का विभाजन कराया। अब भी उसी प्रकार की मनोवृत्ति राज्य पुनर्गठन के बारे में दिखाई पड़ती है और कई लोग अपने अपने राज्य में पृथक संस्कृतियों की बात कहते हैं। वास्तव में संस्कृति में युग की समस्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता रहता है। भाषा और संस्कृति के आधार पर खड़ा हुआ यह विवाद दुख का विषय है। न केवल इन कृत्रिम दावों को दबाने के लिये, अपितु समस्त राष्ट्र और देश के हित के लिये हमें इस प्रकार की बातों का दृढ़ता और मजबूती के साथ सामना करना चाहिये। कमज़ोरी प्रदर्शित करने का बुरा ही परिणाम निकलता है।

यदि बंगाल और बिहार का विलय देश के हितों के लिये आवश्यक है, तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों को निर्भीकता के साथ इसको आगे लाना चाहिये। यदि सहकारी कार्यों के द्वारा देश का भला हो सकता है तो हमें इस प्रकार के विलयों का स्वागत करना चाहिये। बंगाल और बिहार के समाचार पत्रों ने भी इस विलय पर कोई आपत्ति नहीं की है। मुझे दोनों मुख्य मंत्रियों की योग्यता और बुद्धि पर विश्वास है और मैं समझता हूँ कि इस विलय का अन्तिम चित्र कदापि हानिकारक नहीं होगा।

मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ राज्य पुनर्गठन उद्योग की सिफारिश के अनुसार बिहार का कुछ भाग बंगाल में मिला देना उचित नहीं है, क्योंकि जब इस विलय का प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है, तब बिहार के कुछ भाग को बंगाल में मिलाने का कोई आधार नहीं रह जाता और दूसरे इस से देश के इन भागों में वैमनस्य और द्वेष की भावना फैल जाने का डर है। इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र किया जाना चाहिये, क्योंकि विलम्ब करना हानिकारक होता है। यदि निर्णय अभी नहीं हो सकता, तो इसे कुछ समय तक के लिये स्थगित कर देना चाहिये, ताकि बिहार की जनता को अनावश्यक रूप से हानि न उठानी पड़े।

किसी विधि वेत्ता ने कहा है कि किसी न्यायाधीश के लिये ठीक न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि दूसरे यह समझें कि वह ठीक न्याय कर रहा है। इसी सिद्धान्त को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है हमारी तटस्थता की नीति अच्छी है, परन्तु विदेशों में भी तो लोगों का यह समझना ज़रूरी है कि हमारी तटस्थता की नीति है और उसके अमुक लाभ हैं। किन्तु विदेशों में लोगों की ऐसी धारणा नहीं है। इसका उत्तरदायित्व चाहे वैदेशिक कार्य मंत्रालय पर हो, चाहे हमारे राजदूतों पर, परन्तु हमें विदेशों में यह धारणा अवश्य उत्पन्न करनी होगी कि हम तटस्थता की नीति का पालन कर रहे हैं।

मैं समझता हूँ कि हमें अपनी सीमान्त सम्बन्धी समस्याओं के बारें मे दूसरा उपाय भी अपनाना चाहिये। काश्मीर, गोआ, नेपाल और पाकिस्तान से लोगों के आने और सम्पत्तियों के हस्तान्तरण आदि की अनेक समस्याओं के बारे में बातचीत होती है और असफल रहती है। हमें इन समस्याओं को निबटाने में कोई सफलता नहीं मिलती है। हमें अहिंसा की नीति के द्वारा इन में सफलता नहीं मिल सकती। मैं सांप और ऋषि वाली कहानी का स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सांप के न काटने से बच्चे उस पर पत्थर मारने लग गये थे, और ऋषि से कहा था कि काटो नहीं, फुनकार अवश्य करो। हमें भी इस समस्याओं के बारे में अवश्य कुछ करना चाहिये।

मुझे खेद है कि न अभिभाषण में और न किसी योजना में भिखारियों की समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया है। यदि हम वास्तव में ही समाजवादी ढंग का समाज बनाना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही इन आश्रयहीन लोगों के लिये रहने के स्थान का प्रबन्ध करना चाहिये, जो वर्षा और सर्दी तथा गर्मी में सड़कों पर सो कर गुजारा करते हैं।

मैं कालेजों में राष्ट्रीय सेना छात्र दल और स्कूलों में ए० सी० सी० (सहायक-सेना छात्र दल) की कार्रवाइयों का विस्तार करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे सामने बड़ी जटिल समस्याएं उपस्थित हैं, परन्तु सरकार का बड़प्पन और योग्यता इसी में है कि वह अच्छी तरह और शीघ्रतापूर्वक दृढ़ता के साथ उनका मुकाबला और निबटारा करे।

†**श्री यू० सी० पटनायक** (घुमसूर) : माना राष्ट्रपति का अभिभाषण विश्वकोष नहीं होता, किन्तु किसी समूचे चित्र में बहुत महत्वपूर्ण मामलों और नीति के बड़े प्रश्नों का उल्लेख अवश्य होना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन संख्या १३ प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री यू० सी० पटनायक** : जी, हाँ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री यू० सी० पटनायक द्वारा अपना संशोधन प्रस्तुत किया गया जिसका विषय रक्षा तथा राष्ट्र निर्माण कार्यवाहियों का समन्वय, आदि था।

†**श्री यू० सी० पटनायक** : निस्सन्देह राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मध्यपूर्व, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में होने वाले बगदाद समझौता, सीटो समझौता आदि सैनिक समझौतों के प्रति चिन्ता का भाव व्यक्त किया है, किन्तु उन्होंने अपनी सेनाओं की रचना आदि के बारे में कुछ नहीं कहा कि हम आधुनिक युद्ध में किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकते हैं।

अभी विश्व व्यापी युद्ध की तो कोई सम्भावना नहीं, क्योंकि दोनों ओर अणु शस्त्रों और अनेकानेक अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, इस कारण कुछ समय तक युद्ध रुका रहेगा। किन्तु कहीं कहीं पर युद्ध होने की सम्भावना अवश्य हो सकती है। हम ५० प्रतिशत रक्षा पर खर्च करते हैं। इस लिये सेना और असैनिक विभागों का समन्वय करने की आवश्यकता है। हालांकि हम ईश्वर, और पंच शील में विश्वास रखते हैं, तो भी हमें अपने रक्षा मंत्री से पूछना चाहिये कि क्या हम किसी भी समय आने वाले युद्ध के लिये तैयार हैं।

गत वर्ष तक हम समझते थे कि यदि हमारा युद्ध हुआ भी, तो पुराने शस्त्रों वाली घटिया शक्ति से होगा, जिस के पास न पर्याप्त सेना होगी और न पर्याप्त शस्त्रास्त्र। किन्तु पाकिस्तान का अमेरिका के साथ सैनिक समझौता होने और वगदाद समझौते के कारण उस स्थिति में आमूल परिवर्तन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यू० सी० पटनायक]

हो गया है । अब वहाँ धड़ाधड़ नवीन प्रकार के शस्त्रास्त्र आ रहे हैं और विदेशी विशेषज्ञ उनकी सेनाओं को सब प्रकार की युद्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण दे रहे हैं । यद्यपि बड़े युद्ध की तो सम्भावना नहीं, किन्तु यह आशंका है कि कहीं वे काश्मीर में गड़बड़ न करें । तब क्या स्थिति होगी ?

मुझे अपने असैनिक शक्ति की अपर्याप्तता पर कहने की आवश्यकता नहीं, किन्तु हमारे नागरिक जीवन में राष्ट्रीय एकता का अभाव है । यहां ही नहीं, विदेशों में भी हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रभाव देखने में आया है । यह भी भय है कि भाषा वाद की ओर दूसरी मनोवृत्तियां युद्ध के समय हमें विभाजित कर देंगी । रक्षा पर इतना अधिक व्यय करने के पश्चात् भी युद्ध के लिये हमारी कोई तैयारी नहीं, वर्तमान ढंग के शस्त्रास्त्र हमारे पास पर्याप्त नहीं, बहुत से नगरों में बमबारी को रोकने का कोई प्रबन्ध नहीं । हमारे पास नये ढंग के विमान नहीं और युद्ध की तथा रक्षा की कोई विशेष तैयारी नहीं है । इसी प्रकार नगरीय और औद्योगिक केन्द्रों की रक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है । लोकसहायक सेना ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, नगरों में नहीं । प्रादेशिक सेना भी बहुत थोड़ी है । नौ सेना की सहायक सेनाओं की स्थापना के लिये वर्षों से प्रतिज्ञाएं की गई हैं, किन्तु उसका अभी जन्म भी नही हुआ है । विमान सेना सहायक दल के लिये लोक-सभा ने बड़े उत्साह से मंजूरी दी थी, किन्तु अभी तक उसकी भी स्थापना नहीं हुई है । ऐसी अवस्था में हमें अपने प्रयत्नों और कार्रवाइयों को खूब तेज करना होगा । तभी हम अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं और युद्ध के समय अपने देश की रक्षा कर सकेंगे ।

हमारा राष्ट्रमण्डलीय संगठन पर अत्यधिक श्रद्धा रखना श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि इसके सदस्य देश बगदाद समझौते में भाग ले रहे हैं । हमें मालूम हुआ है कि इंगलिस्तान में हमारे जो प्रतिनिधि जाते हैं, उनको अन्य देशों के प्रतिनिधियों के समान प्रशिक्षण नहीं दिया जाता । हमें शिकायत की जांच पड़ताल करनी चाहिये कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है ।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इंगलिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को यहां उस प्रशिक्षण का उपयोग करने के लिये वर्तमान आयुध और विमान आदि दिये जाते हैं या नहीं । हम रक्षा पर इतना अधिक व्यय इसलिये कर रहे हैं कि हम किसी भी समय होने वाले युद्ध में अपने देश की रक्षा कर सकें । तो हम यह भी आशा कर सकते हैं कि हमारा प्रयत्न यह होगा कि हमारे पास सर्वोत्तम ढंग के शस्त्रास्त्र आदि हों । हमारा असैनिक रक्षण भी उत्तम हो और समुद्रीय रक्षा भी अच्छी हो । हमें इस बात की कोशिश करनी होगी कि हम जितना व्यय कर रहे हैं उसके अनुसार हमारी रक्षा सम्बन्धी प्रगति हो रही है ।

हमारे रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति सत्य तथा अहिंसा में पूर्ण विश्वास रखते हैं । अतः हम यह आशा करते हैं कि रक्षा संगठन इस बात का ध्यान रखेगा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के असैनिक तथा सैनिक पक्षों में कोई भारी खाई उत्पन्न न हो जाये । हम चाहते हैं कि रक्षा सेनाओं तथा नागरिक जीवन में एक निकट का सम्बन्ध स्थापित किया जाये और उन सेनाओं का देश के राष्ट्रीय उद्योगों तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण में अधिक से अधिक उपयोग उठाया जाये ।

हमारे रक्षा अध्ययन मण्डल के कुछ एक संसद्-सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के सैनिक तथा असैनिक पक्षों में समन्वय किया जाये और रक्षा सेनाओं से अधिक से अधिक उपयोग उठाया जाये ।

उदाहरणार्थ रक्षा संगठन के द्वारा समाज शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रविधिक शिक्षा का बड़े सुन्दर ढंग से प्रसार किया जा सकता है । अन्य देशों में, विशेषतः ब्रिटेन में इस दिशा में आशातीत सफ़लता प्राप्त हुई है । हम भी उसी प्रकार से यहाँ भी रक्षा संगठन का शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त उपयोग उठा सकते हैं ।

भारत में २२ युद्ध सामग्री कारखाने हैं परन्तु किसी में भी प्रशिक्षण सम्बन्धी उचित सुविधायें विद्यमान नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों मशीनें व्यर्थ में पड़ी हुई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा उपयोग किया जाये। इन कारखानों में योग्य तथा परिश्रमी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये, और इन कारखानों के द्वारा देश के नवयुवकों को प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रत्येक प्रकार की सुविधायें प्रदान की जायें।

इसी प्रकार से हमारे यहां एक सेना-इंजीनियरिंग संगठन है, परन्तु हम उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। अन्य देशों में ऐसे इंजीनियरिंग संगठन अपने देश के मुख्य बांधों, पुलों, सड़कों आदि के निर्माण में देश की पूरी सहायता करते हैं। अतः हमें भी इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

इसी प्रकार से रक्षा विभाग के अन्तर्गत ऐसी कई मशीनें आदि व्यर्थ पड़ी हैं जो कि राष्ट्र-निर्माण में अत्याधिक हितकारी सिद्ध हो सकती हैं। अतः हमें उनका भी अधिकाधिक उपयोग करने की ओर ध्यान देना चाहिये।

विमान बल का भी असैनिक उड्डयन के साथ समन्वय किया जा सकता है। इससे प्रादेशिक सेनाओं तथा राष्ट्रीय सेना छात्र दल के वैमानिक पक्षों को अत्यधिक लाभ होगा।

इसी प्रकार से जहाज निर्माण-संगठन के द्वारा देश के गैर-सरकारी क्षेत्र में जहाज़ निर्माणकर्त्ताओं को अत्यधिक लाभ पहुँचाया जा सकता है। इसी प्रकार से सैनिक जीवन का अनुभव प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को भी हर प्रकार की सुविधायें दी जा सकती हैं।

अतः हम अपने सैनिक तथा नागरिक दोनों पक्षों में समन्वय उत्पन्न करके बड़ी सुगमता पूर्वक प्रगति कर सकेंगे।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया।

†**श्रीमती ए० काले** (नागपुर) : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में हमें अत्याधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा दी है, परन्तु इस दृष्टिकोण को अपनाना अत्यन्त कठिन है। आज देश में चारों ओर हो रहीं दुर्घटनाओं की ओर से हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते, हमें यथार्थ वादी दृष्टिकोण से इन सभी बातों पर विचार करना होगा।

पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ अन्याय तथा अत्याचारपूर्ण व्यावहार किया जा रहा है, और इसीलिये वहां से हिन्दू सामूहिक रूप से शरणार्थी बन कर भारत की ओर आ रहे हैं। हम बड़े धैर्य से पाकिस्तान से न्याय की आशा करते रहे परन्तु हमारी सभी आशायें निराशा में बदल गईं। अतः हमें इन लोगों को बसाने के लिये पाकिस्तान से कुछ भूमि की मांग करनी चाहिये।

इसी प्रकार गोआ समस्या को ही लीजिये। यह वास्तव में देश के लिये एक लज्जाजनक बात है, परन्तु फिर भी हम से कहा जाता है कि हम उदारचेता बनें तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनायें।

अब हम घरेलू परिस्थितियों की ओर आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना अब समाप्ति पर है, अतः उसके सम्बन्ध में मैं निजी विचार प्रकट कर देना चाहती हूँ। संसद् की सदस्या होने के नाते मैं ने सारे देश की यात्रा की है और भारत की प्रगति को अपनी आंखों से देखा है। गत १५० वर्षों से विदेशी शाससकों ने हमारे ग्रामों का अत्याधिक शोषण किया है और उन्हें पूर्ण रूपेण उजाड़ दिया है। आज भी मुझे ग्रामों में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता। हम ने बड़ी बड़ी महान योजनायें बनाई हैं परन्तु हम इस बात को भूल गये कि भ्रष्टाचार, परिवार पोषण तथा अप्रवीणता जैसी बुराइयां इन योजनाओं को सफल नहीं होने देतीं। अतः इन बुराइयों को दूर करने के लिये हमें दृढ़ कार्य-वाही करनी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती ए० काले]

यह बड़े संतोष की बात है कि हमने कृषि उत्पादन में पर्याप्त उन्नति की है, तथापि आज भी ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जिन्हें दो समय भोजन भी प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से औद्योगिक उत्पादन में भी अभी बहुत कमी है। हमें अभी बेकारी जैसी भयंकर समस्या का सामना करना है। अतः हमें इन सभी बातों की ओर पूरा ध्यान देना है।

मुझे आशा है कि विशेषज्ञगण साधारण व्यक्ति के जीवन को समझने का प्रयत्न करेंगे, और यदि मेरे द्वारा कही गई बातों का पालन किया गया तो देश की आर्थिक असमानतायें तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के सभी भेद भाव दूर हो जायेंगे।

राष्ट्रपति ने हाल ही में बम्बई तथा उड़ीसा में हुई दुर्घटनाओं की आलोचना की है। हमें चाहिये कि हम उन दुर्घटनाओं के राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक कारणों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करें। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास को (कॉस्मोपोलिटन) नगर कहना एक फैशन सा बन गया है। वास्तव में ये बड़े बड़े नगर शव स्थान के समान दीखते हैं जिसमें मानवता का नाश हो चुका है ?

अणुबमों, उद्जन बमों तथा उन के कारण सारे संसार में फैले हुये भंयकर आतंक के सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस के बारे में हमारी नीति पूर्ण रूपेण अयथार्थवादी है। श्री मिकोयन का कथन यथार्थता के अधिक निकट है, यद्यपि रूस स्वयं भी अत्यधिक आतंकित है।

अतः हम अपनी स्वतन्त्र रूप से इस समस्या पर विचार करें, और इसका कोई ऐसा हल खोजें जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिक्षाओं के अनुरूप हो।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : मुझ से पूर्व कई सदस्य बोल चुके हैं और वे मुख्य रूप से विदेशी परिस्थितियों तथा राज्यों के पुनर्गठन पर ही बोलते रहे हैं। एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि हम देश का भला चाहते हैं तो हमें अहिंसा का सिद्धान्त त्याग देना चाहिये।

मैं नहीं समझ सका कि उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गत साठ वर्ष का इतिहास बताता है कि हम जिन सिद्धान्तों के आधार पर स्वातन्त्र्य युद्ध करते रहे हैं। वे हैं उपनिवेशवाद तथा प्रांतीयता का विरोध, अहिंसा का समर्थन और संसार में शान्ति की स्थापना। भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त भी हमने उसी पूर्ववर्ती विदेशी नीति को अपनाया है।

भारत की वैदेशिक निति की सफलता पूर्ण-रूपेण अहिंसा के सिद्धांत पर ही निर्भर करती है। अभी हाल ही में मास्को में विश्व साम्यवादी कांग्रेस में श्री अल्ब्राईट ने कहा है कि हमें अब हिंसा को त्याग कर अहिंसा के सिद्धान्त को अपनाना चाहिये। अतः आश्चर्य है कि हम स्वयं अपनी वैदेशिक नीति में से अहिंसा को निकाल दें।

यदि हम अहिंसा को त्याग देंगे तो हम संसार का उतना हित न कर सकेंगे जितना कि अब कर रहे हैं। सारा संसार जानता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कितना महान काम किया है।

कई सदस्यों ने गोआ समस्या के सम्बन्ध में अधीरता प्रकट की है। परन्तु मैं तो इसके सम्बन्ध में यही कहूँगा कि हमें कभी भी धैर्य, तथा अहिंसा और शान्ति के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिये। जिस प्रकार से पांडिचेरी आदि फ्रांसीसी बस्तियों की समस्या अहिंसात्मक रूप से हल हो गई थी, उसी प्रकार से यह समस्या भी हल हो जायेगी।

गोआ के सम्बन्ध में हो रहे सत्याग्रह को रोक कर भारत ने सारे संसार में मान प्राप्त किया है। सारे संसार का अब यह मत है कि गोआ भारत का ही अंग है शीघ्र ही उसमें मिल जायेगा।

वैदेशिक कार्यों में हम एक दो स्थानों पर चूक गये हैं, मैं उन्हीं का उल्लेख करना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि दक्षिणी अफ्रीका में जाति-भेद पर आधारित नीति की जाँच करने के लिये एक आयोग की स्थापना का प्रश्न उठा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां** : आयोग तो पहले ही स्थापित था ।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : उसे पुनर्नियुक्त करने का प्रश्न था । भारत उस आयोग से कार्य न करा सका ।

राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मैं श्री अशोक मेहता द्वारा व्यक्त विचारों से लगभग सहमत हूँ । मैं भी अनुभव करता हूँ कि भाषावार प्रान्तों की स्थापना कोई बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य नहीं है । राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना द्वारा हम प्रश्न हल न करें अपितु और अधिक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं ।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुई]

भारत जैसे देश में भाषा, अथवा जाति अथवा साम्प्रदायिक आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन करना एक असम्भव कार्य है । जातीयता तथा साम्प्रदायिकता हमारे देश के शत्रु हैं । धर्म के आधार पर ही तो हमारे देश का विभाजन हुआ । अतः मेरे विचारानुसार एक एकीय राज्य की स्थापना ही इन सभी समस्याओं का हल है । वर्तमान राज्य तो अब प्राचीन वस्तु बन गये हैं । अतः उन्हें समाप्त कर दिया जाये । अतः यदि हम भाषाओं के आधार पर होने वाले झगड़ों के कलंक को धोना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय एकीय राज्य की स्थापना है । केवल तभी हम लोगों की शक्तियों का देश के विकास के कामों में उपयोग कर सकेंगे तथा एक समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना कर सकेंगें ।

अभिभाषण में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि इस योजना की सफलता के परिणाम स्वरूप देश की राष्ट्रीय आर्थिक नीति अत्यधिक प्रगति कर रही है । परन्तु इसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि राष्ट्र के धन को औद्योगिक विकास में न लगा कर साम्प्रदायिक तथा जातीय विनाशों के प्रश्नों पर ही व्यर्थ में लगाया जाता रहा है ।

अन्य देशों में, उदाहणार्थ फ्रांस में, कोई पृथक पृथक राज्य नहीं है, वे सभी केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न विभाग हैं । अतः यदि हम भी अपने देश को प्रगतिशील तथा उन्नत शील बनाना चाहते हैं तो हमें भी एक दृढ़ केन्द्र, एक एकीय राज्य की स्थापना करनी होगी ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुल २५ कण्डिकाओं में से १५ कण्डिकाएं हमारी वैदेशिक नीति से ही सम्बन्ध रखती हैं जिससे यह प्रकट होता है कि हम अकस्मात ही अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इतने महान बन गये हैं ।

यह सच है कि हमारे देश में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति पधारे हैं, परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि हम इतने महान बन गये हैं । महान तो हम तब हैं जबकि कोई देश प्रत्येक साधारण भारतीय का मान करे । श्रीलंका में से भारतीयों को बाहर खदेड़ा जा रहा है, ब्रह्मा से भी भारतीयों को बाहर खदेड़ा जा रहा है । पाकिस्तान भी हमारे साथ वैसा ही दुर्व्यवहार कर रहा है । और पुर्तगाली छोटी छोटी बस्तियाँ भी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं । क्या अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हम इसी प्रकार का मान प्राप्त कर रहे हैं ? क्या यही हमारी महानता है ?

दक्षिणी अफ्रीका में जाति-भेद पर आधारित नीति अपनायी जा रही है; भारतीयों के साथ घृणा-पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है । फिर भी आप कहते हैं कि हम संसार में आदर तथा मान प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री डलेस के इस कथन कि और, कि गोआ पुर्तगाल का एक प्रान्त है, थोड़ा सा उल्लेख किया गया है । परन्तु मैं यह पूछता हूँ कि हमने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? गोआ को प्राप्त करने के लिये हम क्या कर रहे हैं ? यदि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न था तो हम अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

जा कर अभियोग चला सकते थ। यदि यह एक घरेलू प्रश्न था तो हम शत्रु को शक्ति के द्वारा बाहर खदेड़ सकते थे । परन्तु हमने कुछ भी नहीं किया । हम तो व्यर्थ में जान बूझ कर बात को बढ़ाये जा रहे हैं ।

हम गत दो वर्षों से देख रहे हैं कि हिन्दुओं को पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी भारी संख्या में खदेड़ा जा रहा है । उन हिन्दुओं के प्रति हमारा नैतिक आभार है, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है । क्या हम इस प्रकार से उनके साथ होने वाले भयंकर अन्यायों तथा अत्याचारों को चुपचाप सहते जायेंगे ? उनके आतंक का निवारण करना हमारा कर्तव्य है । इस प्रकार से हम अपनी वैदेशिक नीति में बुरी तरह से असफल रहे हैं । अतः जबकि अपने घर के लोग दुःखी हों तो बाहर के लोगों का ही भला सोचते रहना उपहासास्पद है ।

हमारे देश का व्यय बढ़ता जा रहा है । यदि हम १९१५–१६ का बजट देखें, जबकि हमारे देश का आकार आज की अपेक्षा कहीं बड़ा था, तो हमें ज्ञात होगा कि हमारी आय ५६ करोड़ रुपये और व्यय ५५ करोड़ रूपये था । आज हमारा बज्जट बहुत बढ़ गया है, परन्तु उससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ । भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सका है । फिर देश की उन्नति कैसे होगी ? पुर्नवास पर बहुत व्यय किया जा रहा है, किन्तु उससे वास्तव में निर्धन व्यक्तियों को लाभ नहीं पहुंचता । जिन लोगों को रुपया दिया जाना है उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है । इस विभाग में भी, जो कि निर्धनों की सेवा करता है, भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

हमारे देश के अनेक राज्यों में डाकू फैले हुए हैं किन्तु उन्हें खतम करने के बजाय पुलिस आचार्य कृपलानी जैसे नेताओं के कार्यों पर नज़र रखती है । क्या विरोधी दल के सदस्य देशद्रोही हैं ? फिर उन्हें पुलिस क्यों घेरे रहती है ? क्या यह ब्रिटिश शासकों की नीति का अनुसरण नहीं है । आप यह प्रावेक्षण (सेंसर) क्यों कराते हैं ? जिलाधीश मेरे पत्रों को पढ़ता है जिनमें वकालत सम्बन्धी लिखा पढ़ी रहती है जो कि मेरी जीविका का साधन है । इसके बावजूद भी आप अपने कार्यों को विधि-संगत कहते हैं ।

मैं कुछ शब्द अध्यादेशों द्वारा शासन करने के सम्बन्ध में भी कहूंगा । यह तरीका बहुत खराब है और उसे समाप्त करना चाहिये । कहा जाता है कि आप बहुत समय से बीमा व्यापार के राष्ट्रीयकरण की बात चीत सोच रहे थे । फिर क्या कारण है कि आपने लोक-सभा की बैठक प्रारम्भ होने के केवल २१ दिन पूर्व अध्यादेश जारी किया ? २१ दिन के अन्दर कौन सी कयामत आ जाती यदि यह अध्यादेश न जारी किया गया होता ? हमें समयानुसार चलना चाहिये । अध्यादेशों द्वारा शासन करने के दिन बीत चुके हैं । अब सर्वोच्च सत्ता संसद् के हाथ में है, इसलिये आपको अध्यादेशों द्वारा शासन नहीं करना चाहिये ।

मैं एक अन्य बात की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा । प्रजातन्त्र के विकास के लिये विरोधी दल का अस्तित्व अत्यावश्यक है, इसलिये आप उसे समाप्त करने का प्रयत्न न करें । विरोधी दल को समाप्त करने के प्रयत्न के सम्बन्ध में मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं । उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि की नगरपालिकाओं के चुनावों के परिणामों को देख लीजिए । उन स्थानों में भी जिनमें विरोधी दलों का पूर्ण बहुमत था आपने उनके सभापतियों को यह कहकर हटा दिया कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है ।

†**श्री त्यागी** : नगरपालिकाओं पर नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं किया जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** वही तो मैं सुझाव रख रहा हूं कि देश के स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में भी संविधान में कोई उपबन्ध किया जाना चाहिये जिससे राज्य सरकारें अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुचित तरीके से न कर सकें। आशा है आप मेरे सुझाव पर ध्यान देंगे।

अब मैं राज्यों के पुनर्गठन के जटिल प्रश्न पर आता हूं। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आयोग के प्रतिवेदन को उठा कर एक ओर रख दीजिये परन्तु लोगों को आपस में एक दूसरे का सिर मत फोड़ने दीजिये। हमारे संविधान में एकात्मक राज्य की कल्पना की गई है। हमारा भारत उप-महाद्वीप नहीं वरन् एक देश है, इसी तथ्य को ध्यान में रखकर एक विचित्र संघ राज्य की स्थापना की गई है, भाषायें परस्पर एक दूसरे को सम्बद्ध नहीं करती अन्यथा उत्तर प्रदेश के मुसलमान, जो उर्दू बोलते हैं, पाकिस्तान चले गये होते और बंगला भाषी हिन्दुओं ने पूर्वी पाकिस्तान छोड़ दिया होता। यद्यपि हमारी कोई एक भाषा नहीं है, तथापि हम सब भारतीय ही हैं। भाषावार विभाजन नहीं होना चाहिये। आन्ध्रा का निर्माण करके हम एक बार ग़लती कर चुके हैं। अब हमें पुनः वैसा नहीं करना चाहिये। हमें चाहिये कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन को उठाकर एक ओर रख दें और धीरे धीरे विभिन्न राज्यों को समाप्प करके एक ही राज्य अपने देश में रखें। विभिन्न राज्यों के मंत्री ही अपने पदों के स्वार्थ के कारण अपने राज्यों में परिवर्तन नहीं चाहते। हमें इस सत्य को समझना चाहिये।

पंजाब के लिये सूत्र (फार्मूला) ढूंढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं प्रादेशिक परिषदों का सूत्र (फार्मूला) नहीं समझ सका हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार सिखों से क्या वार्ता कर रही है? हम एक बार धर्म के आधार पर देश के निश्चय के सिद्धान्त को ठुकरा चुके हैं। अब हमें पुनः उस पर विचार नहीं करना चाहिये। अन्यथा हम उसी प्रकार जाल में फंस जायेंगे जैसे कि पहले मुसलमानों के साथ वार्ता में फंस चुके हैं। हमें उस ग़लती को दुहराना नहीं चाहिये।

थोड़े से शब्द कुछ अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में और कहूंगा। जहाँ तक राज्य बैंक के निर्माण का प्रश्न है, तत्सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा के दौरान में यह बताया गया था कि अन्य बैंकों को भी सरकार अपने हाथ में लेगी और जैसे राजस्थान बैंक, जयपुर बैंक, हैदराबाद और बड़ौदा बैंक। परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार ने कमजोरी दिखाई है, उनको अपने हाथ में अभी तक इसलिये नहीं लिया गया है कि वैसा न करने के लिये उन राज्यों के कुछ मन्त्रियों द्वारा जोर डाला जा रहा है क्योंकि उनके मित्र उन बैंकों में अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। यदि आपने समस्त देश के लिये यह कार्य लाभकारी समझा था तो फिर राजस्थान, हैदराबाद, मैसूर, मध्यभारत आदि में उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया ?

मैं कुछ शब्द लोक-सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में भी कहूंगा। कुछ सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत आदेशों के विरुद्ध भाषण देने के लिये गिरफ्तार कर लिया जाता है जो कि स्वयं उस संहिता में एक हस्तक्षेप अपराध नहीं माना गया है। पुलिस माननीय सदस्यों के भाषणों की ग़लत रिपोर्ट करती है और दो चार व्यक्तियों को लालच देकर उसकी गवाही करा देती है। माननीय सदस्य उसका प्रतिवाद नहीं कर सकते।

अन्त में मैं निवारक निरोध का उल्लेख करूंगा जिसके अन्तर्गत श्री सूफी मुहम्मद अकबर को जेल में बन्द कर दिया गया है और जिसका भय विरोधी दल के सदस्यों पर हर समय छाया रहता है। आपका निवारक निरोध अधिनियम ब्रिटिश शासन के रौलट एक्ट से भी अधिक खराब है क्योंकि पहले तो गवर्नर की सम्मति अपेक्षित थी किन्तु अब तो छोटा सा जिलाधीश भी यदि चाहे तो किसी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

सदस्य को गिरफ्तार करा सकता है। इस अधिनियम को समाप्त किया जाना चाहिये क्योंकि उससे शासन का अहित हो रहा है।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : वैसे तो मैं अपने भाषण को आन्तरिक प्रश्नों तक ही सीमित रखना चाहता हूं किन्तु दो एक वैदेशिक प्रश्नों के सम्बन्ध में भी निर्देश करूंगा जैसे गोआ और उसके सम्बन्ध में अमेरिकी विदेश मंत्री श्री डलेस का वक्तव्य। गोआ के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार की नीति ठीक रही है, सत्याग्रह को प्रोत्साहन न देकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है। खेद है कि श्री त्रिवेदी इससे सहमत नहीं हैं। तत्सम्बन्ध में एकमात्र विकल्प पुर्तगाल के विरुद्ध युद्ध घोषित करना था जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति जटिलतर हो जाती।

जहाँ तक श्री डलेस के वक्तव्य का सम्बन्ध है, वह एक बड़ी भयंकर गलती है जिसके लिये अमेरिका को शर्मिन्दा होना चाहिये। एक ऐसे राष्ट्र से, जिसने स्वयं अपने को इंग्लैण्ड से मुक्त किया हो, ऐसे वक्तव्य का आना आश्चर्यजनक बात है! अमेरिकी विदेश मंत्री के इस वक्तव्य से हमें उस देश की तत्सम्बन्धी नीति की कल्पना कर लेनी चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री ने लोक-सभा में और बाहर भी अनेक बार गोआ के प्रश्न पर यह कहा है कि हमें देखना है कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है। अमेरिका ने उसके उत्तर में एक बार भी कुछ नहीं कहा यद्यपि रूस सरकार ने यह घोषणा की कि वह भारत की नीति का समर्थन करती है। हमें इसके लिये रूस की सरकार को बधाई देनी चाहिये।

मैंने आज श्री कूपर की वह अपील पढ़ी जो उन्होंने भारत की स्थिति को समझने के लिये अमेरिका से की है। श्री कूपर ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अमेरिका सदा प्रत्येक स्थान में स्वतन्त्रता की रक्षा करने को उद्यत है। मैं चाहता हूं गोआ के सम्बन्ध में अमेरिका अपनी उक्त नीति को कार्यान्वित कर सके। विदेशी मामलों के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा।

जहाँ तक आन्तरिक मामलों का सम्बन्ध है, अभी तक जो भाषण हुए हैं उनमें राज्य पुनर्गठन के विषय का ही प्राधान्य रहा है। लगभग २० घण्टे का समय योजाना के लिए रखा गया था परन्तु उस विषय पर बहुत थोड़े से ही सदस्यों ने ध्यान दिया। यह ठीक है कि बम्बई, उड़ीसा और देश के अन्य भागों में जो घटनायें हुई उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही सभा में इस विषय को प्राधान्य मिला। परन्तु श्री मुखर्जी ने अपने भाषण में जिस सहयोग का उल्लेख किया क्या वह सहयोग सरकार को मिल रहा है। लोक-सभा की गत बैठक में जैसी गम्भीरतापूर्वक विचार हुआ था वह गम्भीरता भारत सरकार के निर्णयों की घोषणा के बाद समाप्त हो गई और जो घटनायें हुइं वे बड़ी शर्मनाक हैं और उनके कारण हम देश के अन्दर और बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उन घटनाओं को लेकर विदेशी पत्रों ने जो टीका-टिप्पणी की है, विशेषकर अमरीकी पत्रों ने, उनको हमें देखना चाहियें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह बड़े अभाग्य की बात है कि पुनर्गठन के प्रश्न पर प्रत्येक राजनैतिक दल में मतभेद है। साम्यवादी दल ने कहा था कि वह अपने मतभेद समाप्त करके जनता के सामने एक ही मत रखेगा। परन्तु ऐसा किया नहीं जा सका। गत सत्र में लोक-सभा में राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा में भाषण करते हुए श्री पुन्नूस ने कहा था कि देवीकुलम और पीरमेदे के ताल्लुके केरल के लिये जीवन और मरण के प्रश्न हैं। परन्तु मद्रास विधान-सभा में इस विषय पर साम्यवादी दल तटस्थ रहा। यही नहीं जब साम्यवादी दल ने श्री पुन्नूस के मत को स्वीकार किया तो उसका विरोध किया गया। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक दल इस मामले में पुनर्विचार करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं राष्ट्रपति के भाषण में प्रयुक्त "सोशलिस्ट" शब्द के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। यह कहा गया है कि गत वर्ष "सोशलिस्टिक" शब्द का प्रयोग किया गया था और इस वर्ष 'सोशलिस्ट" शब्द प्रयुक्त किया गया है। यह कथन तो ठीक नहीं है क्योंकि गत वर्ष भी 'सोशलिस्ट" शब्द ही प्रयुक्त किया गया था किन्तु यह अवश्य है कि गतवर्ष उस शब्द का प्रयोग अभिभाषण के उपान्तिम वाक्य में किया गया था और इस वर्ष उसको अभिभाषण के प्रारम्भ में भी रख दिया गया है। इससे उस शब्द पर अधिक जोर दिया गया मालूम होता है।

समाजवादी ढांचे की दिशा में बीमा व्यापार के राष्ट्रीयकरण का उल्लेख अभिभाषण में है। मैं उसका स्वागत करता हूँ परन्तु खेद है कि सरकार ने अपने को जीवन-बीमा तक ही सीमित रखा। अन्य बीमाओं के राष्ट्रीयकरण में क्या कठिनाई थी ? मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात पर ध्यान रखेगी।

मैं अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व योजना के एक दो पहलुओं की ओर भी इंगित करूँगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य १५ मिनट बोल चुके हैं। अभी बहुत से सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। माननीय सदस्य स्मरण रखें कि उन्हें १५ मिनट का ही समय दिया जायेगा।

†**श्री ए० एम० थामस :** कुछ समाचारपत्रों में ऐसी आलोचना की गई है कि योजना में आय के स्रोतों का पूर्व निर्धारण नहीं किया गया है। यह आलोचना प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाते समय भी की गई थी। श्री शेनोई और डा० बी० सी० राय ने अपने विमति-टिप्पण में इसका संकेत किया है। परन्तु मैं कहूँगा कि हमें आय के स्रोतों के पहलू पर इतना बल नहीं देना चाहिये। पहले हमें अपनी न्यूनतम आवश्यकतायें निश्चित करनी चाहिये और फिर आय के स्रोत ढूंढ़ने चाहिये। मैं कहूँगा कि इस सम्बन्ध में योजना का दृष्टिकोण सन्तोषजनक रहा है।

हमारे सम्मुख रखे गये योजना के प्रारूप में बेकारी की समस्या को कुछ महत्त्व दिया गया है। परन्तु मैं समझता हूँ कि यद्यपि समस्या का विश्लेषण सही है किन्तु जो उपाय सुझाया गया है वह अनुकूल नहीं है। यह कहा गया है कि बेकारी कम करने के लिए इतने कार्य किए गए हैं। परन्तु स्वयं प्रतिवेदन के पृष्ठ ४३ में लिखा है कि बेकारी की स्थिति पूर्ववत रहेगी। यदि ऐसी स्थिति है तो मैं पूछता हूँ कि सुझाया गया उपाय वास्तव में है क्या ? यद्यपि पढ़े लिखों की बेकारी को काफी महत्त्व दिया गया है परन्तु योजना के प्रारूप के ४४ और ४५ पृष्ठों से ज्ञात होता है कि पर्याप्त हल नहीं सुझाया गया है। उपाय करने के बावजूद भी २० लाख में से केवल २·४ लाख को ही नौकरी मिलेगी। मैं अनुरोध करता हूँ कि योजना आयोग को इस पहलू पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिये। जब राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में त्रावणकोर-कोचीन को मद्रास में मिलाने का सुझाव रखा गया था तो बहुत असंतोष व्यक्त किया गया था क्योंकि उस राज्य में शिक्षितों की बेकारी बहुत है और यदि वह राज्य किसी अन्य में मिला दिया जायेगा तो उस राज्य में ऐसे बेकारों की संख्या फिर और बढ़ जायेगी।

यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समस्या है और हमें इसे प्राथमिकता देनी होगी। योजना आयोग ने यह स्वीकार किया है कि बेरोज़गारी की समस्या के कुछ प्रादेशिक पहलू भी हैं। परन्तु योजना आयोग ने इस कष्ट के निवारण के लिये क्या किया है ? यदि बेरोज़गारी को दूर करने के लिये समस्या का समाधान न किया गया तो न केवल प्रादेशिक राज्यों बल्कि पड़ौसी राज्यों में भी एक तूफ़ान फूट पड़ेगा। भारत सरकार की स्थिरता की नींव भी हिल जायेगी। जब योजनायें बनाई जाती हैं इस समय भारत सरकार को शिक्षित व्यक्तियों की बेरोज़गारी को दूर करने की आवश्यकता पर भी ध्यान देना चाहिये। भारत सरकार और योजना आयोग को विशेष परियोजनाओं के लिये स्थान नियत करने के सम्बन्ध में दल भेजते समय यह आदेश देने चाहिये कि वे दल यह देखें कि किसी विशेष क्षेत्र में, जहां अत्यधिक बेरोजगारी है, जहां आबादी बहुत ही घनी है, वहां पर किसी विशेष उद्योग को स्थापित करना कहां

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० एम० थामस]

तक सम्भव है । भारी विद्युत उपकरण उद्योग की स्थापना के लिये आप दल को सारे भारत का पर्यटन करने का परामर्श दे सकते हैं । यह पता लगाना होगा कि क्या इन में से किसी क्षेत्र में इस की स्थापना सम्भव है । ऐसे स्थानों पर जहाज़ बनाने का दूसरा कारखाना, छोटी लाइन के रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना आदि उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं । योजना आयोग ने इन में से किसी बात की ओर ध्यान नहीं दिया है । मैं चेतावनी देता हूँ कि जब तक बेरोज़गारी की इस समस्या को, विशेषतया शिक्षित व्यक्तियों की बेरोज़गारी को, सुलझाया न गया, तब तक इस देश में शान्ति और समृद्धि नहीं हो सकती ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : १४ दिसम्बर को मैंने राज्य पुनर्गठन की समस्या के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे । १४ दिसम्बर के बाद से अब तक कई नई बातें हो चुकी हैं । बम्बई के बाज़ारों में काफ़ी रक्त बह चुका है । बम्बई के मुख्य मंत्री ने विधान मण्डल में अपने भाषण में एक 'योजना' की चर्चा की है । और इस 'योजना' का उद्देश्य क्या है ? बताया गया है कि 'योजना' का उद्देश्य बम्बई में सत्ता प्राप्त करना है ताकि गैर-महाराष्ट्रियों को बम्बई के सम्बन्ध में महारष्ट्रियों का दावा स्वीकार करने के लिये विवश किया जा सके । किसी तीसरी श्रेणी के न्यायालय का भी कोई वकील इस वक्तव्य से यही उपलक्षित अर्थ निकालेगा कि बम्बई में हुये इस दंगे की योजना महाराष्ट्रियों द्वारा तैयार की गई थी क्योंकि वे बम्बई को महाराष्ट्र में सम्मिलित किये जाने के समर्थक हैं । यह एक भीषण आरोप है । ३ करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के इस समुदाय के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप की निरपेक्ष रूप से जाँच की जानी चाहिये और इस सम्बन्ध में श्री गाडगील की मांग का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ । बम्बई में क्या कुछ हुआ इस की मैं यहाँ पर चर्च नहीं करना चाहता वे सब समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में कंडिका २० में कहा गया है कि यह तथ्य सर्वोपरि है कि हम, अहिंसा, सहिष्णुता और राष्ट्रीय महानता सूचक मौलिक दृढ़ता के बिना अपने देश को ऊंचा नहीं उठा सकते । क्या अहिंसा को केवल ग़ैर-सरकारी सदस्यों तक ही सीमित किया जाना है ? क्या अहिंसा का पालन केवल उन्हीं व्यक्तियों को करना है जिनके हाथ में सत्ता नहीं है ? जो व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त नहीं हैं क्या केवल उन्हीं व्यक्तियों से अहिंसा तथा सहिष्णुता की आशा की जाती है ? खेद की बात है कि आज हमारे देश में, सत्ता सम्भालने के साथ, हमारे उपदेशों और आचरणों में इतनी दूरी है जितनी अमेरिका और अफ्रीका के महाद्वीपों में । श्रीमान् आप एक सुविख्यात वकील हैं । आप यह बताइये कि यदि अपराध करना हो, यदि किसी समुदाय को तंग करना हो तो क्या वह इच्छुक अपराधी ऐसे स्थानों पर अपराध करेगा जहाँ पर तुरन्त ही और क्रूर ढंग से बदला लेने का कार्य किया जा सकेगा अथवा वह देश के ऐसे भाग में जायेगा जहाँ पर आत्महानि के बिना दूसरों को तंग किया जा सकता है, जहाँ पर किसी प्रकार की पाबन्दी के बिना, बदले के बिना, जैसे कि बम्बई में हुआ है, अपराध किया जा सकता है । मैं अपने ग़ैर-महाराष्ट्रीय मित्रों को बता दूं कि हज़ारों गांव हैं और लगभग प्रत्येक गांव में एक धनी बनिया, एक धनी गुजराती और एक धनी मारवाड़ी है । क्या किसी महाराष्ट्रीय ने इन में से किसी भी गांव में किसी भी एक गुजराती को तंग किया है ? क्या किसी ने किसी मारवाड़ी को कोई कष्ट पहुँचाया है ? मैं गर्व से यह बात कहता हूँ कि महाराष्ट्रियों ने भूतकाल की अपनी रण-प्रियता के होते हुए भी अत्यधिक सहिष्णुता और अहिंसा में अटूट विश्वास का परिचय दिया है । इन गांवों में किसी भी गुजराती या मारवाड़ी का बाल भी बांका नहीं हुआ । श्रीमती जयश्री विस्तृत छान-बीन के पश्चात् एक नगर कोल्हापुर का ही नाम ले सकी हैं ।

आचार्य कृपलानी ने कहा है कि हमें इस समस्या को इस वर्ष के लिये स्थगित कर देना चाहिये । जब आप एक बार एक शेर को भड़का चुके हैं अब आप पीछे लौटने की बात कैसे कह सकते हैं । शेर आपका पीछा करेगा और आप पर झपट पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित के० सी० शर्मा** (जिला मेरठ-दक्षिण) : शेर को जंगल में जाना होगा ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : इन्हें जंगल की बात मालूम है मुझे कुछ मालूम नहीं ।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इस समस्या की उपेक्षा करके इस का समाधान नहीं कर सकते हैं । इसका समाधान करना ही होगा । भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक युक्तियुक्त इच्छा है । यह एक ऐसा पौदा है जिसे आप पिछले ३० वर्षों से सींचते रहे हैं, और जो अब एक विशाल पेड़ बन गया है । अब आप अपनी नीति नहीं बदल सकते और यह नहीं कह सकते कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन सम्बन्धी नीति ग़लत है । मानव मस्तिष्क समस्याओं में अभिरुचि प्रदर्शित करने लगता है, समस्यओं के प्रति भक्ति उसमें उत्पन्न होती है और किसी कार्य को पूरा करने की दृढ़ता उसमें विकसित हो जाती है । राष्ट्रीय आन्दोलन काल में भी हमने ऐसा ही किया था । यह दृढ़ता एक ऐसी बात की भावना है जो लोग चाहते हैं और जिसे पाने की वे आशा करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसे राजनयिक तथा लोकतन्त्रात्मक ढंग से सुलझाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ।

मैं समाचार पत्रों में बराबर यही पढ़ता आ रहा हूँ कि महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं की कांग्रेस हाई कमान के साथ बातचीत हो रही है । यह बातचीत क्यों की गई ? महाराष्ट्र के नेताओं को क्या शर्तें दी गईं ? उन्हें एक ही एक स्पष्ट शर्त यह लगाई गई कि वे एक ऐसा सूत्र ढूंढ निकालें जिससे कि बम्बई महाराष्ट्र में सम्मिलित न हो । ऐसा क्यों ?

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में भी यह स्वीकार किया गया है कि बम्बई भौगोलिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र का एक अंग है । 'कांग्रेस हाई कमान' को भी अपना निर्णय सुनाने से पहले तथ्यों को अपने ध्यान में रखना चाहिये था । यदि प्राकृति ने बम्बई को महाराष्ट्र का एक अभिन्न अंग बनाया है तो फिर महाराष्ट्र के नेताओं को इसके विपरीत सूत्र ढूंढ निकालने की शर्त क्यों पेश की गई ? इसलिये कि आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि गुजरातियों और गैर-महाराष्ट्रीय तत्वों में एक मानसिक असन्तुष्टता है । आप एक ऐसे छोटे समुदाय की मानसिक असन्तुष्टता को ध्यान में रख सकत हैं परन्तु तीन करोड़ महाराष्ट्रीयों में मानसिक असन्तुष्टता, मानसिक खलबली और मानसिक विपद्रव पर ध्यान नहीं दे सकते जो अग्नि का रूप धारण कर सकती है ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : और गुण्डागर्दी भी ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : क्या गुण्डागर्दी केवल महाराष्ट्रीयों तक ही सीमित है ? जिस प्रकार शर्मा सभी जगह पर हैं इसी प्रकार सभी जगहों पर गुण्डे भी हैं । कोई भी विशेष भूमि . . . .

†**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : श्रीमान्, मुझे इस पर कठोर आपत्ति है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सदस्यों से बार बार यह अनुरोध कर चुका हूँ कि वे ऐसी बातों में न उलझें । बुरे व्यक्ति सभी जगहों पर होते हैं । कोई भी समुदाय बुरा नहीं होता है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : बम्बई के मुख्य मंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्रीयों की एक 'योजना' है । यह योजनाओं का युग है और महाराष्ट्रीयों ने क्या योजना बनाई ? . . . .निर्माण के लिये नहीं, उन्होंने विनाश की योजना बनाई, और यह विनाश क्या था ? . . . . एक विशेष समुदाय को महाराष्ट्रीयों का दावा स्वीकार करने के सम्बन्ध में विवश करने के लिये सरकार का विनाश यह एक ऐसा सुझाव है जो कि ऊपरी आकृति से बहुत ही स्पष्ट है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 'कांग्रेस हाई कमान' ने इस समस्या के प्रति लोकतन्त्रीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त करना चाहिये ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : समाधान ढूंढने का यह सूत्र केवल इसी बात तक ही सीमित क्यों रखा गया.....किसी भी और बात की चर्चा कीजिये परन्तु बम्बई की चर्चा न कीजिये क्योंकि एक विशिष्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एस० एस० मोरे]

समुदाय की मानसिक असन्तुष्टता एक दहाड़ते हुए शेर की भांति मार्ग में बाधक होती है, इसलिये 'कांग्रेस हाई कमान' ने ऐसे एक सूत्र का आविष्कार करने के लिये महाराष्ट्र के समूचे नेतृत्व को जोखम में डाल दिया ।

मैं भी महाराष्ट्र वासी हूँ । मैं कांग्रेस सदस्य नहीं हूँ परन्तु यह सारी बातचीत कांग्रेसी लोगों तक ही सीमित क्यों रखी गई ? क्योंकि 'कांग्रेस हाई कमान' का यह विचार था कि जो कोई कांग्रेसी है वही व्यक्ति एक महाराष्ट्रीय होने का सच्चा नमूना है । कांग्रेस को इस विषय को एक दल का मामला नहीं बनाना चाहिये था । यह एक राष्ट्रीय मामला होना चाहिये । देश में सभी व्यक्तियों से परामर्श करना चाहिये क्योंकि सभी के जीवन से इस समस्या का सम्बन्ध है । परन्तु खेद है कि किसी से भी परामर्श नहीं किया गया ।

मैं इस बात को फिर दुहराता हूँ कि पंडित जी को इस मामले में पहल करनी चाहिये, इसे अपने हाथ में लेना चाहिये । १९५२ के निर्वाचन में बम्बई नगर कांग्रेसी उम्मीदवारों को निर्वाचित करने के लिये इतना उत्साह से भरा था कि समाजवाद और साम्यवाद दलों के उम्मीदवारों की हार हुई । परन्तु अब बम्बई नगर एक ऐसे पशु की भांति मित्र से शत्रु बन रहा है जिसका शिकार किया जा रहा हो और वह कह रहा है कि कांग्रेस ने हमारे साथ अनुचित व्यवहार किया है ।

मैं फिर कहूँगा कि पंडितजी को इस समय आगे बढ़ कर महाराष्ट्र के सभी उत्तरदायी तत्वों, दलों और व्यक्तियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये ताकि कोई स्वीकृत सूत्र निकाला जा सके । सम्भवतः महाराष्ट्र के नेता इस कार्य के लिये बहुत निर्बल थे, परन्तु अभी भी सूत्र ढूंढ़ निकालने में विलम्ब नहीं हुआ है ।

बम्बई को महाराष्ट्र के हवाले कर दिया जाये । यदि आप चाहें तो कुछ निर्बन्धन लगा सकते हैं । जैसा कि १९३५ के अधिनियम के अधीन राज्यपाल को एक अनुदेश संलेख दिया गया था और उनसे अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिये कहा गया था । इसी प्रकार बम्बई को महाराष्ट्र के हवाले कर दिया जाये । संस्कृति और अन्य बातों को छोड़कर भी वह भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका है, और एक राज्यपाल नियत कर दीजिये और उसे यह अनुदेश दें कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का भार वह संभाले यही एक बात है जो आप कर सकते हैं । आप केन्द्र में सत्ता संभाले हैं; परन्तु सत्ता को आपको भविष्य के प्रति अधिक जागरूक और चौकन्ना बनाना चाहिये, ताकि सत्ता बनी रहे सत्ता का यह अभिप्राय नहीं है कि हम भविष्य के प्रति अन्धे हो जायें ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ग़ैर-महाराष्ट्रीय हैं उन्हें किसी पथ भ्रष्ट करने वाले प्रचार का शिकार नहीं होना चाहिये । हम पर झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं । हमें उन व्यक्तियों द्वारा बुरा भला कहा जा रहा है जिन के हाथ में प्रैस है और कीचड़ उछालने वाले एजेन्ट हैं ।

मैं सभा के ग़ैर-महाराष्ट्रीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे समस्या का निरपेक्ष दृष्टि से अध्ययन करें और यदि आवश्यकता हो तो उचित ढंग से नरम शब्दों में हाई कमान से प्रार्थना करें ताकि देश की एकता तथा अखंडता भंग न हो ।

देश की एकता के हम भी आप जितने ही इच्छुक हैं । परन्तु समाज को एक सूत्र में बान्धने के लिये कड़ियां होनी चाहियें । आप कहते हैं कि आप जातपात के विरोधी हैं, वर्ग भेद के विरोधी हैं, संकुचित भावनाओं के विरोधी हैं । यदि जातपात उड़ गई, संकुचित भावनायें खत्म हो गईं और समाज का गठन जिन बातों से हैं वे न रहीं तो वह कौन सा नाता है जो समाज को जीवित रख सकेगा । सम्भवतः कांग्रेस की सदस्यता । परन्तु यह स्पष्ट हो गया है कि यह भी अधिक देर तक नहीं रख सकता ।

इस कारण मैं अनुरोध करता हूँ कि भाषा और संस्कृति ही समाज को छिन्न भिन्न नहीं होने देती। कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार करने का दावा किया है और ऐसी समस्याओं पर वैज्ञानिक लेखकों का यही मत रहा है। आचार्य कृपलानी समस्या को इस वर्ष के लिये स्थगित करने का परामर्श देते हैं। क्या वह गारंटी देते हैं कि वे मानव भावनाएं, जो अब तीव्रता से फूटकर बह रही हैं, दस वर्ष बाद शान्त हो जायेंगी। ये तो मानव भावनाएं हैं, ये मूलभूत भावनायें हैं। इसलिये इनका सामना करके इनका उचित रूप से समाधान करना होगा।

अन्त में मैं एक प्रार्थना करूंगा, महाराष्ट्र निर्धन है। महाराष्ट्र यद्यपि आज निर्धन है तथापि परम्पराओं में वह समृद्ध रहा है। महाराष्ट्र के बारे में विपरीत राय बनाना बहुत ही आसान है। महाराष्ट्र के सम्बन्ध में न्याय निर्णयन करने वाले लोग उतने निरपेक्ष नहीं जितना उन्हें होना चाहिये। इस कारण वे महाराष्ट्रीयों के हृदय की पीड़ा और जलन का अनुभव नहीं कर सकते।

मैं लोक-सभा के सदस्यों से कहूँगा कि वे महाराष्ट्र के मामले का और महाराष्ट्र की परम्परा का अध्ययन करें। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अहिंसा तथा सहिष्णुता द्वारा समस्याओं को सुलझाने के लिये कहा है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूँ कि महाराष्ट्रीयों से अधिक कोई भी इस संदेश का सच्चा पालन नहीं करता है।

बम्बई में या महाराष्ट्र में रहने वाले ग़ैर-महाराष्ट्रीयों को हम अपना भाई मानते हैं। यदि आप वहां की स्थानीय संस्थाओं की रचना को देखें तो आप देखेंगे कि बहुत से ग़ैर-महाराष्ट्रीय इन संस्थाओं के प्रधान तथा पदाधिकारी हैं। अहिंसा में कोई भी महाराष्ट्रीयों को मात नहीं दे सकता।

†**डा० रामा राव** : (काकिनाडा) : आप जानते हैं कि हम आन्ध्रवासी भाषावार राज्यों की रचना में सब से आगे रहे हैं और मुझे अपने आन्ध्रवासी होने, साम्यवादी होने और भाषावार राज्यों की रचना में अटूट विश्वास रखने पर गर्व है। हम भाषावार राज्य क्यों चाहते हैं ?

हर व्यक्ति लोकतन्त्र की दुहाई देता है, जन साधारण की शपथ लेता है परन्तु कोई भी व्यक्ति इस बात का इच्छुक प्रतीत नहीं होता कि जन साधारण की अपनी भाषा में उसकी सरकार हो ताकि वह जान सके कि क्या कुछ हो रहा है और वह अपने ही राज्य में स्वयं को एक परदेसी अनुभव न करे। हम यह देखना चाहते हैं कि जन साधारण को अपने विकास के लिये अधिक अवसर मिलें।

जब आप समस्याओं को ग़लत ढंगसे अपने हाथ में लेकर लोगों के साथ अन्याय कर, बड़ी बड़ी गलतियां कर चुके हैं तो आप अपने को ऐसी स्थिति में पाते हैं जिस से आप को भय लगता है। अब आप यह कहते हैं कि देश की एकता को ख़तरा है और भाषावार राज्यों के विरुद्ध सभी प्रकार की बेतुकी दलीलें देते हैं।

पहले एक अवसर पर मैंने बताया था कि भाषावार राज्य अल्पसंख्यकों की समृद्धि और उचित विकास के लिये क्यों आवश्यक है। कर्नाटक को ही लीजिये। मद्रास राज्य में कन्नड़ भाषाभाषी लोग अल्पसंख्या में हैं। वे हैदराबाद राज्य में और बम्बई राज्य में भी अल्पसंख्यक हैं। इन अल्पसंख्यकों को आपस में मिलाना ही संयुक्त कर्नाटक का प्रयोजन है। सौभाग्य से राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस माँग को स्वीकार कर लिया है। मुझे आशा है कि सरकार इसे नहीं ठुकरायेगी।

भाषावार राज्यों की रचना के प्रश्न को ग़लत समझा गया है ग़लत बयान किया गया है और अनावश्यक रूप से इसका विरोध किया गया है।

जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, उसने राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न को ग़लत दृष्टिकोण से देखा है। जब आयोग को नियुक्त किया गया था तब हमारा विचार था कि आयोग कुछ सिद्धान्त निर्धारित

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० रामा राव]

करके पद्धतिबद्ध आधार पर इस समय का समाधान करेगा। सीमा सम्बन्धी विवादों को सीमा आयोगों द्वारा निपटाया जायेगा।

अब देश के समक्ष दो मुख्य समस्यायें हैं। एक बम्बई नगर के महाराष्ट्र से सम्बन्ध के बारे में है। और दूसरी राज्यों के संविलयन की और द्विभाषी और त्रिभाषी राज्यों की रचना की स्थिति है जिसे सरकार ने उत्पन्न किया है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम भाषावार राज्य चाहते हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, हम गुजरातियों या किसी और के विरुद्ध नहीं हैं। हम केवल भाषावार राज्यों की रचना चाहते हैं। उदाहरण के लिये बम्बई नगर को लीजिये। सौभाग्य से श्री जवाहरलाल नेहरू यह स्वीकार कर चुके हैं कि बम्बई नगर महाराष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। मैंने श्री सी० सी० शाह का एक भाषण पढ़ा था जिसमें उन्होंने इस पर आपत्ति की थी और कहा था कि भौगोलिक दृष्टि से बम्बई का महाराष्ट्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्भवतः वह उस समय डलेस-कुन्हा विचारों के अनुयाइयों की टोली में शामिल होने की बात सोच रहे थे।

वह बम्बई नगर को महाराष्ट्र से क्यों अलग करना चाहते हैं? अपना यह दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए कि बम्बई नगर महाराष्ट्र में अवश्य सम्मिलित होना चाहिये, मैं आप को उस दृष्टिकोण का स्मरण कराना चाहता हूँ जो हमने आन्ध्र राज्य की स्थापना के समय मद्रास नगर के बारे में अपनाया था। साम्यवादी दल के हम लोगों ने, कुछ विरोध होते हुए भी, दृढ़तापूर्वक घोषित किया था कि मद्रास नगर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? दूसरी बात हम ने यह कही थी कि इतना ही नहीं कि मद्रास नगर पर हमारा अधिकार नहीं है अपितु यह भी कि मद्रास नगर मद्रास राज्य का अभिन्न अंग होना चाहिये। अतः यह बात नहीं है कि हम गुजरातियों के विरुद्ध महाराष्ट्रियों का पक्ष लेना चाहते हैं। यह सिद्धान्त का प्रश्न है। भाषा की दृष्टि से जो भाग हमारा नहीं है, वह उन्हीं लोगों का होना चाहिये जिनका उस पर उचित अधिकार है। बम्बई नगर के लिये महाराष्ट्रियों की मांग उचित है। महाराष्ट्र के सब लोग चाहते हैं कि बम्बई नगर संयुक्त महाराष्ट्र में मिला दिया जाये। अतः उनकी यह मांग अवश्य स्वीकार की जानी चाहिये। झगड़े होने का एकमात्र कारण यही है कि सरकार ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की थी। जिस दिन प्रधान मंत्री ने रेडियो पर भाषण किया था, उसी दिन प्रातःकाल बम्बई नगर में ४०० या ५०० व्यक्ति पकड़े गये थे। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि समस्या का उचित रूप से सामना किया जाना चाहिये और न्याय होना चाहिये। अतः मैं आशा करता हूँ कि सरकार यह कार्यवाही करेगी और झूठी प्रतिष्ठा पर नहीं अड़ी रहेगी।

इसके अतिरिक्त, संविलयन का, बिहार और बंगाल के संविलयन का, नया प्रयत्न किया गया है। यदि यह काम लोगों की अनुमति से किया जाता है, तो निश्चय ही मैं उसका स्वागत करूँगा? परन्तु बात ऐसी नहीं है। मैं सरकार से गम्भीरतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि वह दूसरे नगर में, अर्थात् कलकत्ता में, ऐसा झगड़ा उत्पन्न न करें जिसमें लोगों की जाने जायें। एक भाषा-भाषी क्षेत्र ही रहने दीजिये और उन्हें पारस्परिक सहायता से उन्नति करने दीजिये। हम केवल भाषावार राज्यों को ही अलग अलग इकाई बनाना चाहते हैं ताकि वे स्वयं उन्नति कर सकें और अपने ही लोगों की अपने ही ढंग से सरकार सत्तारूढ़ कर सकें।

इस सम्बन्ध में मैं एक समाचार का निर्देश करना चाहता हूँ। आज के समाचार पत्रों में कहा गया है "विदित हुआ है कि उर्दू की विशिष्ट स्थिति, जो उसे तेलंगाना में आजकल शिक्षा और प्रशासन के माध्यम के रूप में प्राप्त है, बनी रहेगी"। यह बहुत ही गम्भीर बात है। मैं अल्पसंख्यकों की रक्षा का पूर्णरूपेण समर्थक हूँ। परन्तु अल्पसंख्यकों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर सकता।

कुछ सप्ताह पहले प्रधान मंत्री ने कहा था कि हैदराबाद के लोगों पर उर्दू लादी गई थी। अब तेलंगाना में भी उसी प्रकार की उर्दू लादने की योजना बनाई जा रही है। यह बात उचित नहीं है। यदि यह केवल रक्षण है तो ठीक है। परन्तु समूचे तेलंगाना राज्य में प्रशासन-कार्य और शिक्षा का उर्दू में होना अनर्गल है।

गोआ के बारे में श्री थामस ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। परन्तु, मैं उन्हें और अन्य मित्रों को यह स्मरण कराता हूँ कि डलेस-कुन्हा वक्तव्य के बारे में बहुत से प्रतिष्ठित अमरीकियों ने आपत्ति की है। उन्होंने यह कहा है कि वक्तव्य से रूसी प्रोपैगंडा, साम्यवादी प्रोपैगंडा को सहारा मिलता है। परन्तु किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने यह नहीं कहा है कि वक्तव्य ग़लत था; किसी भी अमेरिकी ने यह नहीं कहा है कि गोआ भारत का है। यह बात हमें अवश्य याद रखनी चाहिये।

मैं ने अपने संशोधन में मलाया का उल्लेख किया था। मलाया में लोगों के दमन के लिये आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड की सेनायें भेजी जा रही हैं। ये सेनायें वहाँ इस उद्देश्य से जा रही हैं कि वहाँ उपनिवेशवादी हितों को ध्यान में रख कर मलाया के भविष्य के बारे में अन्तःक्षेप करें।

बम्बई के बारे में, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ जैसा कि श्री गाडगिल ने की है, कि सरकार एक न्यायिक जाँच कराये। उन्हें चाहिये कि वे उन लोगों के अतिरिक्त, जिन्होंने भयंकर अपराध किये हैं, सारे लोगों को मुक्त कर दें। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार को प्रतिष्ठा पर जमे रहने की बजाय बम्बई के बारे में वही कार्यवाही करनी चाहिये जो उचित है, और बम्बई सहित संयुक्त महाराष्ट्र बनाना चाहिये। जहाँ तक सीमा सम्बन्धी झगड़ों का प्रश्न है, वे सीमा आयोगों द्वारा निपटाये जाने चाहियें।

श्री बंसीलाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस से पूर्व कि मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में अपने विचार रक्खूं, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरे पूर्ववक्ता श्री मोरे ने अभी अपने भाषण में बताया कि बम्बई में जो कुछ हुआ उस को लेकर महाराष्ट्रियों के दिल में पंडित जवाहर-लाल नेहरू के प्रति जो श्रद्धा थी वह शून्य हो गई। मैं एक ऐसे राज्य का रहने वाला हूँ जिस के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग ने या कांग्रेस ने कोई ऐसा निर्णय नहीं किया जिस के बारे में किसी को कोई आपत्ति हो। परन्तु मैं श्री मोरे को यह बतला देना चाहता हूँ कि बम्बई में जो घटनायें इस पुनर्गठन के प्रश्न को लेकर हुई हैं उन से सारे देश में महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के प्रति कुछ श्रद्धा बढ़ी हो, यह बात नहीं है। जिस प्रकार का वातावरण बम्बई में बना और जिस प्रकार का वहाँ पर खून खच्चर हुआ वह न केवल महाराष्ट्रियों के लिये या गुजरातियों के लिये या मारवाड़ियों के लिये बल्कि सभी के लिये शर्म की बात है और मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि बम्बई में जो कुछ हुआ उसके कारण से महाराष्ट्रियों के दिल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति श्रद्धा शून्य हो गई।

जहां तक राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर प्रस्तावित किये गये धन्यवाद के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं कर्तव्यबद्ध हूँ कि उस का समर्थन करूँ। परन्तु फिर भी अंतःकरण का यह तकाज़ा है कि उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी अपने विचार इस सदन के सामने प्रस्तुत करूँ।

जिस मौके पर राष्ट्रपति जी का भाषण होता है, वैसे तो वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाषण होता है और उस से सरकार की रीति नीति का पता चलता है। परन्तु ऐसे मौके पर जब सारे देश के अन्दर इस प्रकार का वातावरण हो और बजट से पहले जो भाषण हो तो उस के प्रति देश के लोगों का विशेष ध्यान जाना एक साधारण बात थी। मैं तो केवल यह पूछना चाहता हूँ कि इस अभिभाषण से देश के लोगों में क्या कोई स्फूर्ति पैदा हुई, कोई आनन्द की लहर पैदा हुई, कोई उत्साह पैदा हुआ ? उन के सोये हुए अरमानों में क्या कोई जागृति हुई ? इससे हम इस बात का पता चला सकते हैं कि जो रीति नीति इस अभिभाषण में सरकार की है उस से देश के लोगों में कितनी खुशी हुई है।

[श्री बंसी लाल]

दो दिन से इस सदन में इस अभिभाषण पर जो वाद-विवाद हुआ है उस में ज्यादातर सम्मानित सदस्यों ने राज्य पुनर्गठन कमिशन या उस की रिपोर्ट के बारे में सरकारी निर्णय की घोषणा की गई है, उस के बारें में विचार प्रकट किये। कई सम्मानित सदस्यों ने तो दोबारा वे ही विचार सदन के सामने रक्खे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं माननीय सदस्यों के विचार एक बार तो बजट के ऊपर और दूसरी बार बिल के समय सुनने को मिलेंगे। परन्तु इस विषय में, जिस के ऊपर सारे देश में इतनी चर्चा हुई है और भाषण यहाँ पर हुए हैं और जो वातावरण सारे देश में बना है, उससे कुछ फायदा हुआ और वह फायदा यह हुआ कि जो प्रस्ताव कमिशन ने दिये हैं देश के विचार के लिये वे प्रस्ताव इस जमाने में मान्य नहीं हो सकते। बड़े खेद के साथ यह भी देखा गया कि इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो अनुशासन होना चाहिये था वह भी शासन चलाने वाली पार्टी के सदस्यों में नहीं रहा। शायद ही पहले कभी कोई इस प्रकार का विषय इस सदन में आया हो जिस के बारे में एक ही पार्टी के लोगों में इस प्रकार का मतभेद हों।

जितने भी भाषण हमारे माननीय सदस्यों ने दिये उनसे यही पता चलता था कि उनमें से कोई भी अपनी मांग से एक भी इंच इधर या उधर जाने वाला नहीं है। बम्बई को ही लीजिये, या पंजाब को ही ले लीजिये या किसी और प्रान्त की जटिल समस्या को ले लीजिये। इन प्रान्तों के बारे में जब यहां पर बहस हुई उसमें जो इन प्रान्तों के रहने वाले सदस्य नहीं थे उनको यह मौका कभी भी नहीं दिया गया कि वह भी अपने विचार यहाँ पर पेश कर सकें। बम्बई के बारे में जब बहस हुई तो श्री पाटिल का बड़े उग्र रूप से भाषण सुनने को मिला। इस भाषण का उत्तर श्री गाडगिल साहब ने बड़े ही ज़ोरदार शब्दों में दिया। आज भी श्री मोरे ने बम्बई के बारें में अपना भाषण दिया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से यह समस्या या कोई दूसरी समस्या हल होने वाली नहीं है। अगर श्री गाडगिल या पाटिल या श्री मोरे यह समझते हैं कि बम्बई उनका ही है तो वे गलती पर हैं। बम्बई तो सारे देश का है। मैं समझता हूँ कि आज देश में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बम्बई में दिलचस्पी न रखता हो। खैर इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार का वातावरण इस समय देश में बन गया है उसको देखते हुए इन सारी समस्याओं का एक ही हल है और वह यह है कि देश में एक इकाई शासन की स्थापना हो। यद्यपि यह चीज़ आज मुश्किल नज़र आती है मगर एक न एक दिन हमें यह तय करना ही होगा और इसके हक में अपना फैसला देना ही होगा, और मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें उतना ही अच्छा है। यहाँ पर यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट (एकात्मक सरकार) ही ठीक रहेगी। जिस प्रकार की समस्यायें खड़ी हो गई हैं उनको हल करने का यही एकमात्र उपाय है। यह कहा जाता है शासन को सुगम बनाने की दृष्टि से यह सब कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि राज्यों का पुनर्गठन कोई मानी नहीं रखता अगर इससे जनता को खुशी न हो। आखिर इसका मतलब क्या है? इस का मतलब तो केवल इतना ही है कि दो या दो से अधिक प्रान्त यदि मिला दिये जायें तो वहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों में खुशी का संचार हो, न कि यह कि वहाँ पर कटुता-पूर्ण वातावरण पैदा हो।

जिस समय देशी रियासतों को मिलाकर बड़े बड़े राज्य बनाये गये थे उस समय क्या हुआ? यह ठीक है कि राजा लोग इस के विरुद्ध थे। मगर वहां की जनता को इसमें किसी प्रकार का भी एतराज़ नहीं था। इन राज्यों के बन जाने के बाद जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है वह हमारे सामने है। माननीय सदस्य जानते ही हैं वहां का शासन किस तरह से अस्थिर रहता है और किस प्रकार वहां पर रोज़मर्रा मंत्रिमण्डलों में परिवर्तन होते रहते हैं। राजस्थान को ही ले लीजिये। राजस्थान

के बनने के बाद से मैं समझता हूँ वहाँ पर कम से कम १२ बार मंत्रिमंडल बने और बिगड़े। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अलग अलग रियासतों को मिला तो दिया गया लेकिन दिल नहीं मिले। मिलने वाले लोगों ने अलग अलग क्षेत्रीय भावनायें रखीं, उनका त्याग नहीं किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी तो यह स्पष्ट राय है कि इसका एक मात्र हल यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट ही है। इस चीज़ को हमें एक न एक दिन मानना ही पड़ेगा और इसको कार्यरूप देना ही होगा। हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक राजधानी है और इसके होते हुए भी क्या कारण है कि यहां पर यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट न हो। यह कहा जा सकता है कि एक इकाई शासन की स्थापना होने से कई समस्यायें उठ खड़ी होंगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस समय गृह मंत्रालय के सामने कुछ कम समस्यायें हैं? प्रान्तों में जिस प्रकार के मंत्रिमंडल हैं और जिस तरह से वे काम कर रहे हैं वह भी एक समस्या प्रस्तुत करते हैं। हमें कठिनाइयों से डर कर जो सही बात है उसको करने से घबराना नहीं चाहिये। इस बारे में मेरी स्पष्ट राय है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करते हुए आचार्य कृपलानी जी ने यह सुझाव दिया है कि देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह जो कमिशन की रिपोर्ट है इसको ताक में रख दिया जाए। उन्होंने यह सुझाव किसी भी कारणवश दिया हो परन्तु मैं समझता हूँ कि यदि एक इकाई शासन लागू करने के लिये इस रिपोर्ट को ताक में रख दिया जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है। मगर मैं किसी भी ऐसे सुझाव का समर्थन करने को तैयार नहीं हूँ कि इस सारी की सारी रिपोर्ट को ताक में रख दिया जाए। इस रिपोर्ट में बहुत से उपयोगी सुझाव दिये गए हैं जिनको अवश्य ही कार्यान्वित किया जाना चाहिये। कमिशन ने जहाँ कई राज्यों के बारे में विवादास्पद सुझाव दिये हैं वहां पर उपयोगी सुझाव भी दिये हैं। इस रिपोर्ट में सब राज्यों को एक श्रेणीबद्ध करने का सुझाव दिया गया है, इसमें राजप्रमुख प्रथा को समाप्त करने का सुझाव दिया है और इसी तरह से और भी कई सुझाव हैं जो कि स्वागत करने योग्य हैं और जिन को ताक में नहीं रखा जा सकता।

मैं यह भी देखता हूँ कि जिस प्रकार का उत्साह माननीय सदस्यों के अन्दर उस समय था जिस समय कि कमिश्न बनाने का सुझाव रखा गया था, उस प्रकार का उत्साह जब इस कमिशन की रिपोर्ट पर यहां बहस हुई, देखने में नहीं आया। यहां पर १०–१२ दिन तक इस कमिशन की रिपोर्ट पर बहस हुई परन्तु उससे वातावरण में कोई सुधार नहीं हुआ। सभी माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किये, एकता की दुहाई दी, त्याग की दुहाई दी और बलिदान की दुहाई दी। यह भी उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं उनके प्रति हमारे हृदय में आदर है, श्रद्धा है और हम सब को उनके हाथ मजबूत करने चाहिये। परन्तु जब उन की स्टेट के किसी इलाके का प्रश्न आया तो वे बहक गए और बड़े ही कटुतापूर्ण शब्दों में उन्होंने इसका विरोध किया। मुझे याद है हमारे वयोवृद्ध साथी श्री भार्गव साहब ने बड़ी लम्बी चौड़ी तकरीर देश की एकता कायम रखने के बारे में, देश की संस्कृति कायम रखने के बारे में दी। परन्तु जब लोहारू तहसील को पंजाब में से काट कर राजस्थान में मिलाने का प्रश्न उठा तो उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में इसका विरोध किया। इसी प्रकार के भाषण करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने दिये। क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि जो कुछ हो रहा है, उससे देश की शान नहीं बढ़ेगी, उससे देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में मदद नहीं मिलेगी, उससे देश के लोगों में खुशी का संचार नहीं होगा, उससे लोग आनन्द अनुभव नहीं करेंगे। ऐसी हालत में यह जरूरी है कि देश के अन्दर अच्छा वातावरण पैदा हो और हमें चाहिये कि हम वही करें जो हम कहें।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह शिक्षा पद्धति के बारे में है। जब मैंने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ इस बात को देख कर कि इस में शिक्षा पद्धति के बारे

[श्री बंसी लाल]

में कुछ भी नहीं कहा गया है। वैसे माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति जी के विचार जो कि उन्होंने लोक-सभा के बाहर प्रकट किये हैं, मालूम ही हैं। उन्होंने शिक्षा पद्धति के बारे में काफी बड़े शब्दों का प्रयोग किया है और इसकी निन्दा की है। परन्तु अपने इस अभिभाषण के अन्दर उन्होंने इसका कोई भी ज़िक्र नहीं किया है। जो शिक्षा पद्धति इस समय देश के अन्दर है यदि वह चलती रही तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। हमारे देश में बेकारी बढ़ती जा रही है। अगर यही हालत रही तो हमें एक बड़ी क्रान्ति के लिये तैयार रहना चाहिये। जिस प्रकार का आज वातावरण बना हुआ है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें एक दूसरी क्रांति में से होकर गुज़रना पड़ेगा। यह क्रान्ति अहिंसा और सत्य के आधार पर होगी, यह मुझे नज़र नहीं आता है क्योंकि अहिंसा और सत्य पर से हमारे देशवासियों का विश्वास काफी हद तक पिछले दिनों में उठ गया है। जिस प्रकार के वाकयात बम्बई के अन्दर पिछले दिनों में हुए हैं शायद ही वैसे वाकयात किसी दूसरे देश में हुए हों। ११४ बार वहाँ पर एक एक दिन में गोली चली है। जैसे भयंकर दृश्य वहाँ पर देखने को मिले उससे तो ऐसा ही लगता है कि यहां पर अहिंसा और सत्य का जनाज़ा निकल गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर पूज्य बापू के जीवनकाल में यह चीज़ होती तो उन्होंने कौनसा निर्णय किया होता। परन्तु यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार का देश में वातावरण बनता जा रहा है वह एक खतरे का सूचक है। यह ठीक है हमारे एक दो नेता हैं जिन पर देश का पूरा विश्वास है और जो गैर कांग्रेस जन भी हैं उनका भी विश्वास है।

परन्तु क्या किसी देश की सब समस्याओं का हल ऐसे एक या दो चार सम्माननीय नेता निकाल सकते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार देश की समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं। मैं यह नहीं कहता कि इलैक्शन या चुनाव से ही देश की नीति और वास्तविक स्थिति का पता चलता है। अन्दर ही अन्दर सब महसूस करते हैं कि हमारे देश में अशान्ति बढ़ रही है और इसका कारण यह है कि हम विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में किसी एक नीति पर नहीं चलते हैं। हमारे सब मामले उलझे हुए हैं। हमारी इंडस्ट्रियल पालिसी उलझी हुई है। काटेज इंडस्ट्रीज़, एजूकेशन, अन-एम्पलायमेंट किसी भी विषय के बारे में हमारी कोई साफ नीति नहीं है। इस हालत में जो भी समस्या आती है, वह बजाय हल होने के उलझ जाती है। इस प्रकार सब समस्याओं में उलझाव पैदा होता रहता है। परिणाम यह है—और वह इस सभा को मालूम ही है—कि पंचवर्षीय योजना के अधीन बहुत काम होने के बावजूद, भाखरा-नांगल जैसा बड़ा बांध बनने के बावजूद देश के सुख और शान्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अगर हम सब अपने दिलों पर हाथ रख कर सोचें, तो हम महसूस करेंगे कि ऐसा नहीं हो सका है। इसका नतीजा यह होगा कि अन्दर ही अन्दर जो असन्तोष फैल रहा है, उस के कारण हम को एक दिन एक महान क्रान्ति का सामना करना पड़ेगा। राज्य पुनर्गठन के सम्बन्ध में हो रही घटनायें, हमारे देश में मौजूद बेकारी की समस्या और वर्तमान शिक्षा पद्धति सब इस बात का संकेत करते हैं कि आज हम अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से इन समस्याओं का हल नहीं निकाल पाते हैं। बेकारी की समस्या के बारे में मेरे अलावा कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है, मगर मैं देखता हूँ कि हम बड़े ऐश और आराम के साथ इस समस्या का हल ढूंढ़ते हैं। हम को दर्द तो है, मगर बड़े आराम के साथ और बहुत शनैः शनैः इस बारे में सीचते और कार्य करते हैं। कभी मौका आया तो किसी भाषण में बेकारी की समस्या के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि इस तरह इस समस्या का हल निकल आयगा। एक ओर हम देश के माता-पिताओं को आह्वान करते हैं कि वे अपने लड़कों को कालिजों में पढ़ने के लिये भेजें और कहा जाता है कि कानून की शिक्षा के लिये और दूसरी शिक्षा के लिये कालिजों के दरवाज़े खुले हैं। दूसरी ओर जब वे लड़के पढ़ कर कालिज से निकलते हैं और उनके माता-पिता बड़े अरमान के साथ सोचते हैं कि अब हमारे

लड़के काम करने के काबिल हो गए हैं, उस वक्त सरकार कहती है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम को कोई काम दिया जाये । मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल असंगत बातें हैं । जब देश का शासन—देश की गवर्नमेंट—देश के नौजवानों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये आह्वान करती है, तब उस का यह भी कर्तव्य है कि जब वह शिक्षा प्राप्त कर चुकें, तब उन को काम करने के अवसर भी उपलब्ध करे । अगर वह ऐसा नहीं करती है, तो वह इस किस्म की शिक्षा दिलानी बन्द कर दे । आज हमारे देश में ग्रैजुएट्स, एम० ए० और एल० एल० बी० हज़ारों की तादाद में कालिजों से निकल रहे हैं, लेकिन उन के सामने कोई काम नहीं है । कितना दर्द होता है उन माता-पिताओं को, जो पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को तैयार करते हैं और बाद में जिनको यह जवाब मिलता है कि उनके लिये कोई काम नहीं है । मुझे एक स्वायत्त शासन संस्था को चलाने का मौका मिला है । एक बार हम को दो तीन क्लार्क्स की ज़रूरत पड़ी, तो, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा, आठ सौ एप्लिकेशन्ज़ एक लोअर डिविज़न क्लार्क की जगह के लिये आई । हमारे सामने यह मुश्किल आई कि कैसे उन सब लोगों को इन्टरव्यू के लिये बुलायें । मुझे याद है कि नौजवान, खुशनुमा चेहरे, अपने बुजुर्ग वालिद को साथ ले कर नौकरी की तलाश में–एक मामूली लोअर डिविज़न क्लार्क की जगह के लिए—आए । यह हम सब जानते हैं कि देश में बेकारी फैल रही है, लेकिन खेद इस बात का है कि हम उस समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं निकालते हैं और योजना में लगे हैं । बड़े आराम के साथ, ख़रामां-ख़रामां हमारी योजनायें चलती हैं और बनती हैं । मैं इस सभा को बता देना चाहता हूँ– हालांकि दूसरे सदस्यों की तरह मेरी आवाज़ का भी हाल होगा, उस का कोई बहुत बड़ा असर होगा, यह मैं आशा नहीं करता हूँ—अगर सरकार ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन इसकी कीमत देने के लिये हम सब को तैयार रहना चाहिये—उस को कोई रोक नहीं सकता है । आप पंचवर्षीय योजना में दस बीस लाख नौजवानों को काम दिलाने की बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस समस्या को हल करने का यह तरीका नहीं है । आप को वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना होगा । अगर आप को ऐसे नौजवानों की—ग्रैजुएट्स की—जरूरत नहीं है, तो आप कालिजों को बन्द कर दीजिये । आज उन कालिजों में उन लोगों का वक्त ज़ाया हो रहा है और आप का रुपया ज़ाया हो रहा है । आप थोड़ी देर के लिये ला-क्लासिज़ को बन्द कर दीजिये । अगर और ला ग्रैजुएट्स नहीं निकलेंगे, तो यहां पर वकीलों की कमी नहीं होने वाली है । इसी तरह से आर्ट्स कालिज भी बन्द कर दीजिये । आज उन पर जो रुपया खर्च हो रहा है, वह एक प्रकार से बेकारी को बढ़ाने पर खर्च हो रहा है । एक और आप बेकारी बढ़ाते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है ।

इस प्रकार के राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की रीति-नीति का एक दर्शन होना चाहिये, उससे जनता में एक नई हवा आनी चाहिये, उससे बेकार लोगों के दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ जानी चाहिये कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाने वाली है, जिससे हमारी जिन्दगी में रोशनी होगी । मगर हम को ऐसा नज़र नहीं आता ।

मैं संक्षेप में तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । उसका दिल और दिमाग, उसका मस्तिष्क, हर एक समस्या के बारे में साफ होना चाहिये । अगर दिल और दिमाग साफ है, तो अपनी योजनाओं को जल्दी कार्यान्वित करने की चेष्टा करनी चाहिये । धीरे धीरे काम करने की हमारी जो आदत पड़ गई है, उस को हमें छोड़ना होगा । मैं बताना चाहता हूं कि ज़माना हमारा इन्तजार नहीं कर सकता है । अगर हम अब भी सावधान नहीं होंगे तो इतिहास में यह लिखा जायगा कि एक बहुत बड़ा मौका हम को देश के शासन का मिला और हम ने उस का ठीक उपयोग नहीं किया ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, २२ फरवरी, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १८९–९०

(१) उद्योग विकास तथा (विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५३ पर चर्चा के समय दिये गये आश्वासनों के अनुसरण में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की निम्न अधि-सूचनाओं में से प्रत्येक की एक एक प्रति

(क) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४३६/आई डी आर ए/१८ए/१/५५, दिनांक ८ नवम्बर, १९५५

(ख) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४३७/आई डी आर ए/१८ए/२/५५, दिनांक ८ नवम्बर, १९५५

(ग) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४४०/आई डी आर ए/१८ए/५/५५, दिनाक ९ नवम्बर, १९५५

(घ) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५६४/आई डी आर ए/१८ए/३/५५, दिनांक २५ नवम्बर, १९५५

(ङ) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५६५/आई डी आर ए/१८ए/४/५५, दिनांक २५ नवम्बर, १९५५

(२) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३१/आर ए एम, डी टी, ३ दिनांक ३१ दिसम्बर १९५५

विधेयक पर रायें १९०

पत्र संख्या ७ जिसमें भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें हैं।

राज्य सभा से सन्देश ... १९०

सचिव ने राज्य-सभा के निम्न संदेश सभा में पढ़े

(१) कि राज्य-सभा ने अपनी १६ फरवरी, १९५६ की बैठक में प्रतिलिप्य अधिकार विधेयक को सदनों की संयुक्त समिति को सौंप देने का प्रस्ताव पारित किया है और इस आशय की प्रार्थना की है कि उक्त प्रस्ताव पर लोक-सभा की सहमति और उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले लोक-सभा के सदस्यों के नाम राज्य-सभा को सूचित किये जायें।

(२) कि राज्य-सभा ने अपनी १६ फरवरी, १९५६ की बैठक में बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है।

पृष्ठ

विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १९१

सचिव ने बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन-उपस्थापित १९१

रेलवे मंत्रालय के सम्बन्ध में समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक-पारित किया गया १९१–९६

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक पर अग्रेतर विचार किया गया । खण्ड ९ अस्वीकृत हुआ । विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया गया ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव १९६–२३५

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, २२ फरवरी, १९५६ के लिये कार्यावलि

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ।

M78LSD—190—25-9-57 GIPF